खण्ड-338, अंक-2
गुरूवार, 13 वैशाख, शक संवत् 1901
(3 मई, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 338 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९८०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१५५–१५८
प्रश्नोत्तर	१५९–१८६
प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों की समुचित व्यवस्था न होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१८६–१८७
कप्तान गंज (देवरिया) व सरदार नगर (गोरखपुर) की चीनी मिलों द्वारा गन्दे पानी को छोटी गण्डक व गोरी नदियों में छोड़ देने से नदियों का पानी विषावत हो जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१८७–१८८
बाराबंकी जिले के कतिपय मार्गों पर बसों की समुचित व्यवस्था न होने से जनता की कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१८८–१८९
सीतापुर जनपद के थाना रामकोट व मिश्रिख के पुलिस कर्मचारियों द्वारा हरिजनों के साथ अत्याचार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१८९–१९०
देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर के ग्राम करमटार गंगा, गडौना तथा खाली पासी में अग्निकांड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१९०–१९१
बदायूं नगर में जल संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१९१–१९२
प्रतापगढ़ के बहुचरा ग्राम में अग्निकांड से क्षति तथा सहायता की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१९२–१९३
श्रम मंत्री के विरुद्ध सी० आई० डी०, सहकारिता सेल द्वारा मुकदमें दर्ज किये जाने विषयक नियम ३०१ की सूचना स्वीकार किये जाने पर आपत्ति ..	१९३–२०५
श्रम मंत्री के विरुद्ध सी० आई० डी०, सहकारिता सेल द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२०५–२०६
श्रम मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का उनके द्वारा स्पष्टीकरण	२०६–२१०
स्कूल चलाने के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू करने सम्बन्धी शिक्षा मंत्री के वक्तव्य पर औचित्य का प्रश्न ..	२१०–२१२
मेरठ हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारित किए जाने पर आपत्ति ..	२१२–२१३
नियम ३०१ की सूचनाओं के उत्तर में विलम्ब होने एवं उत्तर मन्त्रियों द्वारा दिये जाने पर आपत्ति ..	२१३–२१४

विषय		पृष्ठ-संख्या
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	..	२१४–२१५
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	२१५–२१७
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	..	२१७–२३०
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९ (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	..	२३०–२४२
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर एवं मालकर) (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ तथा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधन (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ के अननुमोदन का संकल्प व उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९ (अननुमोदन के संकल्प अस्वीकृत व विधेयक पारित)	..	२४२–२६०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	..	२६१
नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	..	२६१–२७५
श्री	..	२७७–२७८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक ३ मई, १९७९

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३३५

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बढ़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कबूल सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर, भैया, श्री

चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री

नंगा राम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज," श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर

भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री

राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलबत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंदल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम नरायन तिवारी, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखद राज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमखी शर्मा, श्रीमती
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट:—अम मन्त्री, श्री श्री क्रान्ति कुमार तथा स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री रामाधार पांडेय भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, ३ मई, १९७९

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री द्वारा निजी रूप से हेलीकाप्टर का प्रयोग

**१—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, १९७७ से १५ फरवरी, १९७९ की अवधि में हुये विधान सभा और लोक सभा उप चुनावों में तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा निजी रूप से हेलीकाप्टर का उपयोग किया गया था ? यदि हां, तो उस पर आने वाले खर्च की अदायगी किस मद से की गई और यदि नहीं की गई तो उसके भुगतान की क्या व्यवस्था की जा रही है ? क्या यह भी सही है कि जनता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय ने उक्त धनराशि को देने से इन्कार कर दिया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

जून, १९७७ से १५ फरवरी, १९७९ तक की अवधि में तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा निजी रूप से हेलीकाप्टर का कोई उपयोग नहीं किया गया । अतः किसी प्रकार की अदायगी अथवा भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद में इन्सेफिलाइटिस महामारी का प्रकोप

**२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को जानकारी है कि गत वर्ष प्रदेश में इन्सेफिलाइटिस (अभिन्यास ज्वर) महामारी का तीव्र संक्रमण सर्वप्रथम देवरिया जनपद में हुआ था तथा इस वर्ष भी देवरिया जनपद के बिशुनपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत अनेक ग्राम समूहों में उक्त महामारी से अनेक शिशु काल कवलित हो चुके हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये ? युद्धस्तर पर इसका तत्काल नियन्त्रण किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

यह सही है गत वर्ष राज्य में इन्सेफिलाइटिस के प्रकोप की सूचना सर्वप्रथम देवरिया जनपद के बारे में थी किन्तु इस वर्ष देवरिया जनपद के बिशुनपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत इन्सेफिलाइटिस से अनेक शिशुओं के काल कवलित होने की अधिकारिक सूचना नहीं है । प्रश्नगत बीमारी की रोकथाम के लिए एहतियातन निम्नलिखित कार्यवाही की गई हैं :—

(१) जनपद में प्रश्नगत बीमारी के नियंत्रण तथा उपचार से सम्बन्धित औषधियों तथा कीटनाशक दवाओं की समुचित मात्रा में व्यवस्था की गई हैं ।

(२) जनपद में तीन इन्सेफिलाइटिस नियंत्रण सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं ।

(३) इन्सेफिलाइटिस नियंत्रण सेवा केन्द्रों पर अतिरिक्त औषधियों, शैय्याओं एवं विशेषज्ञों की सेवाओं का प्रबन्ध किया गया है ।

(४) प्रभावित ग्रामों के शतप्रतिशत घरों में बी० एच० सी० का छिड़काव कराया गया है ।

(५) सभी सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशनगत बीमारी के नियंत्रण एवं उपचार के सम्बन्ध में समुचित निर्देश भी दे दिये गये ह ।

श्री हरिकेवल प्रसाद---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह जो बीमारी व्यापक रूप से देवरिया में फैल गयी थी तो उसमें इस सत्र तक कितने लोगों की मृत्यु हुई ? कितने गावों में छिड़काव कराया गया और रोकथाम की व्यवस्था की गयी और शासन का कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री रमाशंकर कौशिक---

यह सूचना मुझे इस समय नहीं है कि इसमें कितना रुपया अब तक खर्च हुआ । लेकिन इस साल देवरिया में मृत्यु का जहां तक सम्बन्ध है मुझे यह सूचना मिली कि १६ अप्रैल को निदेशालय से एक व्यक्ति भेजा गया जो जांच कर के आया । उसने बतलाया ऐसे ७ केसेज देवरिया व गोरखपुर में प्राप्त हुए । इसके बाद दुबारा जांच कराई गयी ३० अप्रैल तक और उसमें देवरिया गोरखपुर में दो केसेज हुए और उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई । बस्ती में चार केसेज हुए उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई । गोरखपुर में १३ ऐसे केसेज हुए जिनमें से दो की मृत्यु हुई है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद---

मन्त्री जी तथ्यों को छिपा रहे हैं । वह तालिका उठा कर देख लें जिसके अन्तर्गत बतलाया गया है कि बस्ती और गोरखपुर में यह हुआ लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई । मेरा उनसे साफ आग्रह है कि पिछले वर्ष कितने लोगों की मृत्यु हुई इसे वह बतला दें ?

श्री रमाशंकर कौशिक---

मैं पिछले वर्ष की सूचना भी दिये देता हूं । पिछले वर्ष भयंकर रूप से प्रकोप हुआ था । देवरिया में ७२६ बीमार हुए जिनमें से २१९ की मृत्यु हुई । गोरखपुर में १००२ बीमार हुए, २९७ की मृत्यु हुई, बस्ती में १३० में से ४९ की मृत्यु हुई, बलिया में ३०६ में से ८२ की, गाजीपुर में १३४ में से ३९ की आजमगढ़ में ५३२ में से १२६ लोगों की मृत्यु हुई तथा गोंडा मे ३८ बीमार हुए तथा १८ की मृत्यु हुई ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सब आंकड़े क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री हरिकेवल प्रसाद---

मान्यवर, इस बीमारी की रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने एक अध्ययन दल भेजा था कि वह यह पता लगाये कि यह कैसी बीमारी है और इसका क्या निदान है । तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के उस अध्ययन दल की क्या रिपोर्ट है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, उसकी रिपोर्ट इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए जो हम लोग कदम उठाते हैं वह उसी के आधार पर उठाये गये होंगे। जो इस प्रकार हैं प्रश्नगत बीमारी के नियंत्रण तथा उपचार से सम्बन्धित औषधियों तथा कीटनाशक दवाओं को समुचित मात्रा में व्यवस्था की है। हमने तीन सेन्टर्स-हाटा पडरौना और देवरिया-देवरिया जिले में ऐसे बनाये हैं जहां जिले में कहीं से भी इस रोग की सूचना मिले तो वह किसी भी तरीके से इसकी रोकथाम की व्यवस्था करें। इसके अलावा तीन इन्सेफिलाइटिस नियंत्रण सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं और २० प्राथमिक केन्द्रों पर २० मई, १९७९ से छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इन्सेफिलाइटिस नियंत्रण सेवा केन्द्रों पर अतिरिक्त औषधियों, शैय्याओं एवं विशेषज्ञों की सेवा का प्रबन्ध किया गया है। यह रोग मच्छर से ही होता है, यह जानकारी मेडिकल विभाग से मिली है इसलिए मच्छरों को समाप्त करना ही सबसे बड़ी व्यवस्था हो सकती है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि देवरिया से ही यह रोग पूरे प्रदेश में न फैले, इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है? दूसरी बात यह है कि देवरिया से ही सटा हुआ गोरखपुर है इसलिए वहां भी एक माह के अन्दर कुछ मौतें हुई हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जैसे मैंने शुरू में निवेदन किया कि गोरखपुर में इस वर्ष १३ केसेज इन्सफिलाइटिस के आये थे जिनमें से दो की मृत्यु हुई है। गोरखपुर मेडिकल कालेज में कुछ केसेज बिहार से भी आये थे। इसलिए वहां भी छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है। गोरखपुर के अलावा भी अन्य जिलों में मच्छरों के प्रकोप को समाप्त करने के लिए बी० एस० सी० का छिड़काव करने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, हमें भी मौका दें, यह केवल देवरिया का ही मामला नहीं है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मैं जानना चाहूंगा कि मोतीचक, रामकोला, हाटा और कप्तानगंज में आज तक कितना छिड़काव हुआ है? किसी भी जगह कोई छिड़काव नहीं हुआ है और न वहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गये हैं। इसलिए क्या मन्त्री जी छिड़काव की व्यवस्था करेंगे ताकि वहां के मच्छर समाप्त हो सकें?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे भाग का उत्तर दे दें।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, जरूर व्यवस्था करेंगे, सबेरे ही कह दिये होते।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में एक राजाज्ञा की थी इन्सेफिलाइटिस से जो लोग पीड़ित हों और जिन्होंने अपने निवास से पी० एच० सी० तक आने जाने का खर्च अपना किया हो उसे राज्य सरकार वहन करेगी लेकिन अभी तक ऐसे उत्पीड़ित लोगों को वह धन नहीं दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह इससे नहीं उठता है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मान्यवर, यह इसी से संबद्ध है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर मन्त्री जी आपके पास सूचना हो, तो दे दें ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

यह तो सही है कि उन लोगों को सहायता के आदेश निर्गत हुए थे । यदि उनको पैसे नहीं मिले हों और वह इसके अन्तर्गत आते हैं तो जरूर व्यवस्था की जायेगी अगर माननीय सदस्य मुझे बता दें कि ऐसे कौन-कौन लोग है ।

निजी नलकूपों पर न्यूनतम सरचार्ज के आदेशों का कार्यान्वयन

**३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निजी नलकूपों का न्यूनतम सर चार्ज १५ रु० प्रति हार्स पावर से १२ रु० प्रति हार्स पावर करने का एलान राज्य सरकार की ओर से कुछ समय पूर्व किया गया ? यदि हां, तो क्या उसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)--

जी हां । निजी नलकूपों पर न्यूनतम सर चार्ज १५ रु० से घटाकर १२ रु० प्रति माह प्रति अश्व शक्ति दिनांक १ अप्रैल, १९७९ से किये जाने के संबंध में आदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा जारी किये जा चुके हैं और अब १ अप्रैल, १९७९ से निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं से १२ रु० प्रति अश्व शक्ति प्रति माह की दर से न्यूनतम सरचार्ज लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबद्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा प्रश्नगत आदेश कब जारी किये गय और जिलों में यह आदेश कब पहुंचे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

यह आदेश २८ मार्च को जारी कर दिये गये हैं और कुछ जिलों में पहुंच गये हैं उसके दो तीन दिन बाद हर जिले में पहुंच जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् काश्तकारों को बिजली की पूरी मात्रा में आपूर्ति नहीं करती जिसके कारण किसानों को अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जितनी बिजली का प्रयोग वह करते हैं उसका भुगतान वह करें अर्थात् मिनिमम चार्जेज की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह इससे नहीं उठता है । सरचार्ज की बात है आपूर्ति की बात नहीं है । आपूर्ति का इससे संबंध नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश इसलिए लागू नहीं हो रहे हैं कि इसमें पहली अप्रैल रखा गया है ।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बिजली का प्रोडक्शन है वह कितने पैसे यूनिट है और किसानों को किस तरह दी जाती है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इससे संबंधित नहीं है।

श्री गोकरन प्रसाद--

चूंकि धान बुआई का समय आ रहा है तो क्या मन्त्री जी ऐसी कार्यवाही करेंगे कि नलकूपों को अधिक बिजली दी जा सके ।

श्री रेवती रमण सिंह--

बिलकुल बिजली मिल रही है और मिलेगी ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मैं मन्त्री जी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार १२ रु० प्रति हार्सपावर से भी कम रेट पर बिजली देने का विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह इससे नहीं उठता ।

परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारियों का स्थायीकरण

**४--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारियों के स्थायीकारण का मसला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां, परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारियों के स्थायीकरण का मसला काफी समय से शासन के विचाराधीन है। चूंकि परिवार कल्याण योजना केन्द्र-सरकार द्वारा पुरोनिधानिक योजना है और इस योजना का समस्त व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है अतः इन पदों को स्थायी किये जाने के फलस्वरूप पेन्शन तथा ग्रेच्युटी आदि पर होने वाले व्यय भार को वहन करने के लिए भारत सरकार को लिखा गया है। भारत सरकार का उत्तर प्राप्त हो जाने पर इस मामले में आगे कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार के स्वास्थ्य बजट पर भारित मातृ एवं शिशु कल्याण कर्मचारियों के अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है।

अभी निश्चित समय बता पाना सम्भव नहीं है कि इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

यद्यपि मंत्री जी इस समस्या से काफी चिन्तित हैं और उसे हल करने के लिए प्रयत्नशील हैं और वह यह भी जानते हैं कि १५-२० साल से यह २२ हजार कर्मचारी पूरे प्रदेश में अस्थायी रूप से कार्यरत हैं और उन्हें यह भी विदित है कि शासन का भविष्य भी इन्हीं पर निर्भर करता है और उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि परिवार कल्याण योजना केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना है और इस योजना का समस्त व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, अतः मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या परिवार कल्याण आयुक्त, भारत सरकार से सन् १९६८ से अब तक लगातार, इन कर्मचारियों के ३३ प्रतिशत को स्थायी करने के बारे में निदेश आते रहे हैं और जब केन्द्र सरकार पर इनके स्थायीकरण का मसला निर्भर करता है, तो इसी विभाग के ९ अधिकारियों को कैसे स्थायी किया गया है? जिनके नाम भी बता सकता हूं। तो क्या अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में आप अलग-अलग नीति अपनाते हैं?

श्री रमा शंकर कौशिक--

माननीय सदस्य को मैं सुधार दूं, यह २२ नहीं २५ हजार कर्मचारी हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने सेन्ट्रल हेल्थ कौंसिल की मीटिंग में भी इस बात को रखा था कि यह कोई कारण नहीं है इतने-इतने दिन तक इन कर्मचारियों को नौकरी में अस्थायी रूप से रखा जाय। जब भारत सरकार उसके सारे खर्चे को वहन कर रही है और ३३ प्रतिशत के स्थायीकरण की बात करती है, तो यह भारत सरकार का दायित्व हो जाता है कि वह अपने कर्मचारियों को स्थायी करे, जिससे उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा प्राप्त हो। उस कौंसिल में केन्द्रीय मंत्री ने यह कहा कि यह ऐसा विषय है जिस पर वह शीघ्र निर्णय लेंगे और उसी बारे में ६ अप्रैल को उनका अन्तरिम उत्तर हमें प्राप्त हुआ है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही कोई निर्णय लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं यह जानना चाहता था कि १९६८ से अब तक लगातार परिवार कल्याण आयुक्त के ३३ प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी करने के संबंध में जो निर्देश आते रहे हैं, उस पर शासन ने क्या किया? दूसरे जो इन्होंने ९ अधिकारियों को स्थायी कर दिया, तो कर्मचारियों को स्थायी करने में इनके सामने क्या अड़चन है?

श्री रमा शंकर कौशिक--

वह तो हमारे उत्तर प्रदेश के ही अधिकारी हैं । वह केवल उस काम को देखते हैं । यों तो मैं भी उनके काम को देखता हूं, मेरा भी स्थायीकरण हो जाना चाहिये । कर्मचारियों के बारे में आपकी बात सही है कि ३३ प्रतिशत कर्मचारियों के बारे में वह लिखते रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी लिखा जाता रहा है, क्योंकि भारत सरकार इसके सारे खर्चे को वहन करती है, इसलिए उनके स्थायीकरण का भी भार वही वहन करें । इस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप अपने को स्थायी बना रहे हैं और उनको अस्थायी रखना चाहते हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १९७६-७७, १९७७-७८ में एक आदेश निदेशक ने दिया था जिसमें ६ हजार कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिए आदेश दिया था, उसको जांच करवाने की कृपा करेंगे वह अब तक लागू क्यों नहीं किया गया ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मातृ शिशु वाले जो कर्मचारी हैं, उससे सम्बन्धित शायद माननीय सदस्य का सवाल है । उसमें केन्द्रीय सरकार के भी हैं और कुछ कर्मचारियों का भार उत्तर प्रदेश सरकार भी वहन करती है और वह मातृ शिशु के कुल मिला कर ७ हजार कर्मचारी हैं । इनमें से जो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगभग पौने तीन हजार, (२७ सौ) के करीब होगी । उन पर पूरी तरह से कार्यवाही हो रही है । मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र ही एक-डेढ़ महीने के अन्दर उन पर निर्णय हो जायगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय मंत्री जी ने बार-बार कहा कि ये केन्द्रीय कर्मचारी हैं । ये केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत काम कर रहे कर्मचारी, प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं ? क्या स्थिति है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

ये पुरोनिधानित योजना के तहत कर्मचारी...

श्री मैनेजर सिंह--

मेरा स्पष्ट प्रश्न है, मंत्री जी बतायें कि वे केन्द्रीय कर्मचारी हैं या केन्द्र पोषित योजना में प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं ? केवल यह उत्तर दीजिये कि केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप स्पष्ट कर दीजिए, इसको ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

उन लोगों को जो पुरोनिधानित योजना के तहत यहां पर काम कर रहे हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट जिनका पूरा पैसा दे रही है उनको राज्य सरकार ने अपना कर्मचारी नहीं माना है ।

उनको केन्द्र सरकार का कर्मचारी माना है । इसी आधार पर राज्य सरकार केन्द्र सरकार से मांग कर रही हैं कि उनके सारे दायित्वों का वह वहन करे ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से कहिए, पढ़ कर समझ लें, अपने को दुरुस्त कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष —

अब साफ कर दिया उन्होंने ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि इस प्रश्न पर बहुत समय से विचार हो रहा है । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने वर्षों से इस प्रश्न पर विचार हो रहा है और इस सम्बन्ध में कब-कब केन्द्र सरकार को लिखा गया ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

बराबर केन्द्र सरकार को लिखा जाता रहा है । लेकिन जहां तक इस समय की बात है लगभग परिपक्व अवस्था है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

उत्तर नहीं आ रहा है । मेरा स्पष्ट प्रश्न है ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

सुन लीजिये । मैं जवाब दे रहा हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आपके शू बात करें, उनसे कहिए ।

मेरा प्रश्न स्पष्ट है । माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि कितने अरसे से इस प्रश्न पर विचार हो रहा है और किन-किन तारीखों पर केन्द्र सरकार को लिखा गया ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

कई वर्ष से यह मामला विचाराधीन है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, फिर वही गोल उत्तर आ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले उत्तर तो आ जाना चाहिये ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

कई वर्षों से इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस पर बराबर लिखा पढ़ी की जा रही है । जैसा निवेदन किया अब परिपक्व अवस्था आ गयी है । जैसा कि भारत सरकार का ६ अप्रैल को उत्तर प्राप्त हुआ है, भारत सरकार ने लिखा है कि जो आपने सुझाव भेज हैं उन पर बहुत जल्द निर्णय ले कर सूचित करेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं । मेरा स्पष्ट प्रश्न है, कितने वर्षों से विचार हो रहा है ?

अभी भी माननीय मन्त्री जी ने उत्तर नहीं दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कई वर्ष बताये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जी हां । कई वर्षों का मतलब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बता दें कि योजना जब से शुरू हुई है तभी से विचार हो रहा है या बीच से शुरू हुआ है ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

मंत्री जी के उत्तर में बड़ा घपला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री लक्खी सिंह--

मैं सवाल कर रहा हूं । यह दवा दारू मंत्री जी अभी बने हैं । यह नवजवान हैं, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २५ हजार की फौज बनी है तो आप विचार कब तक चलायेंगे । आप कहते हैं कि विचार हो रहा है । आप पेटेन्ट बतायें कि कब तक इनको स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

इसमें केवल राज्य सरकार का निर्णय निहित नहीं है, केन्द्रीय सरकार की भी बात है । इसलिए समय बता पाना मुश्किल है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला भागरा)--

मैं यह स्पष्टीकरण मांग रहा था कि क्या मंत्री जी का स्थायीकरण होने जा रहा है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

१८ जनवरी, १९७९ को स्वास्थ्य भवन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा मन्त्री जी उपस्थित थे, तो उसमें क्या निर्णय उनकी मांगों के सम्बन्ध में किया गया है ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

इन्होंने तो शुरू से खोल दिया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी क्या यह बतायेंगे कि गोलमेज सम्मेलन की क्या रिपोर्ट है ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर काफी विचार हो चुका है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका क्या निर्णय है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, २२ हजार कर्मचारियों ने हड़ताल की थी १७ जनवरी को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री कल्याण सिंह और कर्मचारियों के मध्य एक कमेटी बनी थी, तो उस कमेटी की कितनी बठकें हुईं और कब-कब हुई ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आपको सूचना हो तो बता दें ।

(मंत्री जी उत्तर के लिये खड़े नहीं हुये ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन व ग्रेच्युटी का भुगतान

*१--श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

क्या विद्युत मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् के गत दो वर्ष के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अब तक पेन्शन या अन्य देय प्राप्त नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो देरी का कारण क्या है तथा कब तक इनको पेन्शन आदि का भुगतान हो जायगा ?

श्री रेवती रमण सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से गत दो वर्षों में कुल ६३० कर्मचारी सेवा निवृत्त किये गये हैं जिनमें से ४५६ सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेन्शन/ग्रेच्युटी के प्रकरण तय किये जा चुके हैं । शेष १७४ कर्मचारियों को अभी तक पेन्शन/ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सका है, परन्तु इनमें से ६७ कर्मचारियों को ७५ प्रतिशत ग्रेच्युटी का भुगतान हो चुका है ।

निम्ननिखित कारणों से १७४ कर्मचारियों के पेन्शन/ग्रेच्युटी के मामले अभी तय नहीं हो पाये हैं---

(१) सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र भरकर जमा न किया जाना ।

(२) परिषद् को देय भुगतान न किया जाना ।

(३) विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित प्रपत्रों के तैयार किये जाने में कठिनाई ।

(४) न्यायालय में मामले विचाराधीन होने के कारण ।

(५) सेवा निवृत्ति के बाद अपने उत्तराधिकारी को कार्यभार न सौंपने के कारण ।

(६) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर से वांछित नियोजक का अंशदान वापस न आने के कारण ।

(७) विभिन्न इकाइयों से सूचना प्राप्त न होने के कारण ।

(८) विभागीय जांच के अपरिपूर्ण होने के कारण ।

(९) परिषद् के विचाराधीन विवादास्पद मामले ।

सभी लम्बित मामलों को शीघ्र तय किये जाने के सम्बन्ध में प्रयास जारी हैं और जैसे-जसे कागजात पूरे होते जाते हैं पेन्शन/ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाता है ।

श्री नेम सिंह चौहान--

आपने अपने उत्तर में एक कारण यह बताया है कि विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित प्रपत्रों के तैयार किये जाने में कठिनाई है, तो यह जो विवरण आदि तयार किया जाता है वह तो विभाग करता है इसमें सेवा निवृत्त कर्मचारी का क्या दोष ह । उनका कानपुर आदि से भी क्या सम्बन्ध है । यह तो विभाग की लापरवाही के कारण उनको नहीं मिल पाती ह तो क्या मन्त्री जी कोई निश्चित तारीख बतायगे कि उस तारीख तक ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन तथा अन्य देयों का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह--

ऐसा है कि कोई हाई कोर्ट चला जाता है, कभी कोई ग्रेच्युटी फार्म नहीं भरता, किसी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, किसी ने अन्य आवश्यक परिपत्र नहीं भरा है, तो ऐसे मामलों में देरी लगती है । वैसे मने यह निर्देश कर दिये हैं कि रिटायरमेंट के ६ माह के अन्दर हर सेवा निवृत्त कर्मचारी को पेन्शन आदि अवश्य मिल जानी चाहिये ।

श्री ऊदल--

वाराणसी विद्युत अन्डरटेकिंग जिसे विद्युत परिषद् ने ले लिया है, उसके ८ सेवा निवृत्त कर्मचारी मेरे पास आय, उनके सारे कागजात तैयार हैं, पर उन्हें पेन्शन आदि नहीं मिली है । तो क्या उनके मामलों को शीघ्र निपटाने तथा पेन्शन आदि शीघ्र दिलवाने के आदेश करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर ऊदल जी मुझे लिखकर दे देंगे ।

श्री ऊदल--

लिखकर भी भेज दिया है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

म कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी पेन्शन आदि मिल जाये ।

श्री नेम सिंह चौहान--

क्या मंत्री जी ऐसी प्रक्रिया कोई अपनाने के आदेश देंगे जिससे कि सेवा निवृत्त कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के अन्दर ही उसके सारे देयों का भुगतान हो जाये ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर तो वे दे चुके हैं कि ६ महीने में होने के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

श्री नेम सिंह चौहान--

कोई निश्चित तिथि होना चाहिये, उसके लिये आदेश दे दें कि उस तिथि तक इनका भुगतान हो जाये ।

श्री लक्खी सिंह--

कोई तिथि निश्चित कर दें, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष --

कोई तिथि निश्चित कर दें ।

श्री रेवती रमण सिंह--

जो मामला न्यायालय में नहीं है, उनका सबका ६ महीने में पूरा हो जाए, यह मेरी कोशिश है ।

हृदय पट्टी, वाराणसी की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

*२--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या विद्युत मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम हृदय पट्टी, पोस्ट भदोही, जनपद वाराणसी की हरिजन बस्ती में अभी तक बिजली नहीं लग पाई है ? यदि हां, तो बिजली अभी तक न लगने का क्या कारण है तथा ग्राम हृदय पट्टी (हरिजन बस्ती) में भी बिजली लगवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

हृदय पट्टी हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित सीमा से अधिक आती है । हृदय पट्टी हरिजन बस्ती में कनेक्शन हेतु यदि इतने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो जाते हैं कि इसके विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत पर १५ प्रतिशत राजस्व प्रतिलाभ उपलब्ध हो जाय तबा इस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण कर दिया जायगा ।

श्री श्रीनारायण —

मान्यवर, हरिजन लोग के जौन समस्या आजकल बा खाइ का नोन भात मिलत बा और भुइ पर सूतत ह, बिच्छू और सांप काटत बा । मैं यह जानना चाहता हूं कि हरिजन बस्ती में १५ प्रतिशत का प्रतिबन्ध हटाय कर बिजली तुरन्त लगाई जाय ।

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री नारायण जी, यह, खुद ही जानत बा कि नियम बा, एक जगह अगर करते हैं, तो उसमें नियम बा । उसमें हम कोशिश यह करब कि हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण हो जाय ।

श्री श्रीनारायण—

बहुत जगह तार पहुंच गया, खम्भे खड़ल बा, आजकल के समय का विचार करते हुए मन्त्री जी उस गांव में बिजली जल्दी लगवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जहां-जहां श्री नारायण जी बतायेंगे, वहां पर जरूर बिजली लगवाने की कोशिश की जायगी ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिए कितना धन रखा गया है, मैं यह जानना चाहता हूं और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हरिजन बस्ती में जहां विद्युतीकरण हो गया है, एक दफा बल्ब लगाने के बाद दुबारा उसका रिप्लेसमेन्ट नहीं किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी व्यवस्था माननीय मन्त्री जी करायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न का जो दूसरा भाग है, इसका उत्तर दे दें ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

श्रीमन्, धन का भी बता दें कि कितनी व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय जानकारी इनके पास नहीं होगी ।

श्री रेवती रमण सिंह—

३ हजार की लागत आती है, हरिजन बस्ती में, १५ प्रतिशत के अन्दर जो बस्ती आती है, उसमें बिजली लगवा दी जाती है । जहां तक रिप्लेसमेंट की बात है, कोशिश यह की जाती है कि रिप्लेसमेंट कर दिया जाय, लेकिन अगर कहीं-कहीं ऐसी दिक्कत है, गनेशी लाल जी हमें बतायेंगे, तो उसे अवश्य पूरा किया जायेगा ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, गनेशी लाल चौधरी के पीछे आपकी नजर जाती ही नहीं ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष --

तारांकित प्रश्नों पर २ अनुपूरक रखे जाते हैं और दो हो चुके हैं ।

प्रदेश में पाम आयल की बिक्री तथा शर्तें

*३--श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७७-७८ म सरकार ने आदेश दिया था कि पाम आयल की बिक्री के पूर्व रिफाइन करना, पब्लिक एनालिसिस कराना और सरकार का बिक्री हेतु आदेश प्राप्त करना अनिवार्य है ? यदि हां, तो राज्य में पाम आयल की बिक्री किन शर्तों पर की जाती है ? क्या पाम आयल की बिक्री के उक्त आदेश तथा शर्तों का उल्लंघन करके वर्ष १९७७ और १९७८ में राज्य के गाजियाबाद, आगरा और कानपुर के विभिन्न व्यापारिक संस्थानों ने करोड़ों रुपए का पाम आयल बिक्री-कर दिया है ? यदि हां, तो किन-किन ने और ऐसी फर्मों एवं संस्थाओं के लाइसेन्स निरस्त न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

वर्ष १९७७ में स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५५ की धारा २२ (ए) के अन्तर्गत पाम आयल आदि के मानक निर्धारित करते हुए समस्त राज्य सरकारों को यह निदेश दिए थे कि सभी प्रकार के खाने वाले तेलों जो सालवेन्ट एक्सट्रेक्शन मैथड से तयार किए गए हों, को मनुष्य के उपयोग हेतु रिलीज करने से पूर्व उनको रिफाइन किया जाना आवश्यक है । तदनुसार खाद्य एवं औषधि नियंत्रक उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिनांक २८ अक्तूबर, १९७७ को निर्देश भेजे गए है ।

पाम आयल के विक्रेताओं द्वारा उक्त आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य है । जहां इनका उल्लंघन पाया जाता है उसमें सम्बन्धित निर्माताओं/विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही दिए जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्नगत जिलों के जिन निर्माताओं/विक्रेताओं के यहां से वर्ष १९७७ तथा १९७८ में पाम आयल के नमूने लिए गए उनका विवरण संलग्न सूची में इंगित है । अपमिश्रित पाए गए मामलों में लाइसेन्स निरस्त न करके सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाए जाने की व्यवस्था है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन फर्मों ने सरकारी आदेश का उल्लंघन करके अपना माल बेचा है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जैसा कि संलग्न सूची में दर्शाया गया है, जिनके आगे अशुद्ध लिखा है उन सब पर मुकदमें कायम हैं और न्यायालय में मुकदमें विचाराधीन हैं तथा कार्यवाही चल रही है ।

देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २७७ पर ।)

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

मेरी सूचना को सही मान कर क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गाजियाबाद की एक फर्म में केवल जनवरी का नमूना लिया गया है । इसमें फरवरी ६० करोड़ का माल बिना पब्लिक एनालिस्ट की लिस्ट की रिपोर्ट आए ही बाजार में बिक्री कर दिया गया ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है मुझे इसी प्रकार बतायें मैं उन पर आवश्यक कार्यवाही जरूर करूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जो अशुद्ध तेल पाया गया है तो उनके लाइसेन्स निरस्त करने की कृपा करेंगे या कम से कम उनके लाइसेन्स निलम्बित करने का आश्वासन देंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

अधिनियम में ऐसा प्राविधान नहीं है । जो मुकदमें सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध चलाए जाते हैं और आरोप प्रमाणित न होने पर सरकार उनको बकाया धन देती है इसी प्रकार अगर ये निर्दोष पाए जाते हैं तो निलम्बन की अवधि का भुगतान किस प्रकार होगा । यह भारत सरकार का अधिनियम है, मैं इसे दिखवाऊंगा कि ऐसा कोई प्राविधान हो जाए ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हो गए हैं मिलावट के, प्रथम दृष्टया उन पर मुकदमें बन चुके हैं और अदालत म उनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं, लाइसेन्स निरस्त करने का प्राविधान नहीं है, यह समझ में आता है लेकिन उनके लाइसेन्स को निलम्बित न किया जाए तो क्या उनको बराबर मिलावट को छूट दे दी जाए ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर आ चुका है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नियम के अनुसार जब उस जगह का तेल ह्यूमन कंजंप्शन के लिए बाहर आयेगा तो उसका परीक्षण करा लिया जायगा आप उस पर कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बिना परीक्षण कराए बाजार में ले आने के लिए जो दोष किया है उसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, ऐसा है जो इसका लाइसेन्स दिया जाता है वह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है । भारत सरकार उन लोगों को लाइसेन्स देती है जो वनस्पति बनाती है या और सारी चीजें बनाते हैं । उसमें होता यह है कि जब यह लोग उस माल को बाहर भेजते हैं तो जो उत्तर प्रदेश का कानून है कि हम

[श्री रमाशंकर कौशिक]

लोगों को खाद्य पदार्थों को बेचने का लाइसेन्स देते हैं इसमें हम देखते हैं कि जो चीज वह बेच रहे हैं वह ऐसी तो नहीं है कि उसमें कोई गलत चीज हो। तो इस मामले में जहां तक जो राजेन्द्र कुमार जी का प्रश्न है उस मामले में भारत सरकार को कहना पड़ेगा, जसा माननीय सदस्य चाहते हैं। लेकिन इस मामले में विचार हो रहा है कि खाने-पीने की चीजें जिनमें हम लाइसेन्स देते हैं उनको हम किस प्रकार से सजा दे सकें, मुकदमा चलायें बिना भी निलम्बन कर सकें, इन सब चीजों को मैं दिखवाने की कोशिश कर रहा हूं।

घरों के विद्युतीकरण हेतु केबिल का अभाव

*४--श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--

क्या विद्युत् मंत्री को जानकारी है कि घरों के विद्युतीकरण में केबिलों के अभाव को लेकर लखीमपुर-खीरी में कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उपभोक्ताओं को यह छूट देगी कि वह अपने-अपने केबिल लगवा कर कनेक्शन ले लें, जैसा कि मोटरों के मामले में व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी नहीं। केबिल का अभाव नहीं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर शुगर वर्क्स, पडरौना, जिला देवरिया में रामजियावन नामक हरिजन युवक की मृत्यु

*५--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि कानपुर शुगर वर्क्स पडरौना में जनवरी, १९७९ के द्वितीय सप्ताह में भटवलिया ग्रामवासी, राम जियावन, हरिजन युवक जो उक्त प्रतिष्ठान में नियमित श्रमिक था, ड्यूटी पर तैनात रहते समय स्लाइजर में फंस कर दर्दनाक मौत का शिकार हो गया और उसकी विधवा पत्नी और वृद्ध माता भुखमरी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो कितनी क्षतिपूर्ति की गयी ?

श्रम मंत्री (श्री क्रान्ति कुमार)--

यह सही है कि मेसर्स कानपुर शुगर वर्क्स, पडरौन, ब्रांच, पडरौना, जिला देवरिया में दिनांक ११-१-७९ को श्री राम जियावन पुत्र श्री बुद्धू की मैगमा मिक्सर पर कार्य करते समय संघातक दुर्घटना हुई थी। उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के विषय में उपश्रमायुक्त, गोरखपुर क्षेत्र वर्कमेन्स कम्पेनसेशन ऐक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

(श्री पुरुषोत्तम कौशिक (के अनुपस्थित होने पर।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है जवाब दिलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष---

यह नियम विरुद्ध होगा।

[गुरुवार, ३ मई, १९७९ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्थानीय निकायों के निर्वाचन की तिथि

*१--श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित) तथा श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नागरीय स्थानीय निकायों के चुनाव कराने हेतु कोई तिथि निश्चित की गयी है ? यदि हां, तो कौन ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामाधार पाण्डेय)--

स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन २४ जून, १९७९ को कराने का निर्णय लिया गया है ।

प्रदेश में पूर्ण मद्य निषेध योजना का कार्यान्वयन

*२--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी कब से लागू होने जा रही है ? इस सम्बन्ध में क्या मार्च, १९७९ से होने वाली नीलामी को समाप्त करने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

अभी इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है शासन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पूरे प्रदेश में पूर्णनशाबन्दी लागू करने के लिए कृत संकल्प है । जिन जिलों में अब तक मद्यनिषेध लागू हो गया है वहां नीलामी को समाप्त करने की व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक बयान में मंत्री जी ने एलान किया था कि पहली अप्रैल से पूरे प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी जायगी । तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी परिस्थितियां और कारण या रुकावटें थीं जिनकी वजह से पूरे प्रदेश में पहली अप्रैल से पूर्ण नशाबन्दी लागू नहीं हो सकी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मैं माननीय सदस्य को जरा सुधारना चाहूंगा बयान के सम्बन्ध में । मैंने यह नहीं कहा कि पहली अप्रैल से पूरे प्रदेश में शराबबन्दी हो जायगी । मैंने यह कहा कि पहली अप्रैल, १९७९ से पूरे प्रदेश मे नशाबन्दी करने का मामला विचाराधीन है । तो जहां तक हमारी बचनबद्धता का प्रश्न है जो भारत सरकार की नीति है कि ४ वर्षों में की जायगी जिसके २ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और २ बाकी हैं । जहां तक हमारी बचन बद्धता है उसे पूरा करना ही है । लेकिन जो विचाराधीन वाला मामला था उसमें और कोई रुकावट वाली बात नहीं है । सवाल यह है कि जो नुकसान होने वाला है उसकी पूर्ति जितनी जल्दी से जल्दी कर सकें उसमें हम इसको कर देंगे । बचन बद्धता हमारी ४ वर्ष की निश्चित है जो आर्थिक नुकसान होगा अगर इस साल पूरा कर पाते हैं तो इस साल करेंगे, अगले वर्ष पूरा हो जायगा तो अगले वर्ष कर देंगे ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों की गरीबी को देखते हुए और फिर भी वहां शराब धड़ल्ले से बिकती है इसलिए क्या देवरिया, बलिया आदि पूर्वी जिलों में इस वर्ष नशाबन्दी अभियान चलाने का आश्वासन देने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है और जितने निर्णय शराबबंदी के क्षेत्र मे लेने थे वह हो चुके हैं इसलिए आगे से इस बात को ध्यान में रखा जायेगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश सें नशाबन्दी लागू की जाय ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अभी इनकी पार्टी के सांसद श्री पीलू मोदी ने अखबार में वक्तव्य दिया हैं कि शराब पीना जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार के सम्बन्ध में शासन अपनी नीति में क्या परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत मैं नहीं देता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, बिहार से लगे उत्तर प्रदेश के जनपदों में जहां बिहार में पूर्ण नशाबंदी के कारण १० किलोमीटर के बेल्ट में नशाबंदी शासन ने कर दिया है तो इससे बलिया और देवरिया आदि जिलों में कठिनाई पैदा हुई है कि एक हिस्से में नशाबंदी हो गयी और एक हिस्से में नहीं । इसलिए वहां ठेकेदार पुरानी दुकानों को चला रहे हैं जोकि नशाबंदी क्षेत्र में है । इसलिए क्या वहां पूर्ण नशाबंदी करके घपलेबाजी को बन्द करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, जहां ऐसा संक्रमण काल आयेगा तो ऐसी स्थिति हर जगह है कि जहां शराब बन्द है तो उससे मिले हुए क्षेत्र में नशाबंदी नहीं है। इसलिए जब तक पूर्ण नशाबन्दी नहीं हो जायेगी तब तक यह स्थिति रहेगी। दूसरा प्रश्न जो १० किलोमीटर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की शिकायत है उसमें मैं माननीय सदस्य से मालूम करके तत्काल उसमें उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

जैसा मंत्री जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कई टुकड़ों में कई बार में नशाबन्दी लागू की जा रही है जैसे कि पहले कुछ जिले फिर कुछ जिले तो इन जिलों को लेने में क्या माप दंड है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि पहले से तीन पर्वतीय जिलों में नशाबंदी तो थी ही । उसके बाद वहां कुछ और जिले लिये गये । पिछले साल कुछ चुनौती भरे जिले लिए गए जैसे लखनऊ, कानपुर और फिर उनके पास के छोटे मोटे जिलों को लिया गया जैसे बाराबंकी, उन्नाव आदि । इस वर्ष कोशिश की गयी है

कि एक पट्टी बन जाय और जो बीच रास्ते में जिले आये वहां नशाबन्दी लागू हो जैसे हरदोई, मुरादाबाद, बिजनौर जो पहाड़ों से मिले जिले हैं। फिर राजधानी से मिले जिलों जैसे रायबरेली में नशाबंदी लागू की गयी।

श्री राम द्विवेदी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद में अयोध्या धार्मिक स्थल है और वहां नशाबंदी करने की बात उस समय के तत्कालीन राज्य मन्त्री श्री अवधेश प्रसाद ने वहां जाकर किया था। तो फैजाबाद को नशाबन्दी क्षेत्र में न लेने का क्या आधार है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो नीति संबंधी प्रश्न है इसका वह जवाब दे चुके हैं।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मंत्रि परिषद् की शपथ ली गयी थी तो उसमें यह भी शपथ ली गयी कि नशाबंदी से मंत्री लोग दूर रहेंगे? यदि नहीं, तो जनता पार्टी के मंत्रियों को क्या यह शपथ दिलाई जायेगी?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं है।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की मांगे

*३--श्री राम अदसरे वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ, मुरादाबाद और सरकार के मध्य कर्मचारियों की कुछ मांगों के सम्बन्ध में कोई समझौते १७ अक्तूबर, १९७८ और १२ फरवरी, १९७९ को हुए थे यदि हां, तो उन समझौतों में मुख्य बातें क्या-क्या थी और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राजाधार पाण्डेय--

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में १७ अक्तूबर, १९७६ की स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ से कोई समझौता नहीं हुआ था। उनकी मांगों के सम्बन्ध में १२ फरवरी, १९७९ को उनके प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी और उस बातचीत में जो निर्णय लिए गए थ वे निम्न प्रकार हैं--

(१) शिक्षा, चिकित्सा तथा अवकाश नकदीकरण की सुविधा राज्य-कर्मचारियों के समान प्राप्त करने में जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है, उन्हें दूर करने के लिए शासनादेश निर्गत किए जायेंगे। इस प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

(२) वाहन भत्ते की अनुमन्यता में कर्मचारियों के कुछ अन्य श्रेणियों को शामिल करने के प्रश्न पर सुझाव प्राप्त होने पर विचार कर लिया जायेगा। अभी सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री राम आसरे वर्मा---

उत्तर बहुत लम्बा है । इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय । नहीं तो प्रश्नों का समय समाप्त हो जायेगा और प्रश्न करने का समय नहीं मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न का उत्तर है । यह पढ़ा जायगा ।

श्री रामाधार पान्डेय---

(३) स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर पेंशन नियमावली १-४-७९ से लागू की जायेगी । केन्द्रीयित सेवा की पेंशन नियमावली आपत्ति हेतु प्रकाशित कर दी गई है । अकेन्द्रीयित सेवाओं के लिए पेंशन नियमावली बनाई जा रही है ।

(४) टाउन एरियाओं/नोटोफाइड एरियाओं में बेरियर्स हटाए जाने की स्थिति में इस कार्य से सम्बन्धित मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

(५) महापालिकाओं के अतिरिक्त जिन स्थानीय निकायों में सीवर योजना हैं, उनसे सम्बन्धित कर्मचारी को सीवर भत्ता देने का प्रस्ताव सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया है । इस सम्बन्ध में शीघ्र आदेश जारी किए जायेंगे । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(६) स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ को मान्यता देने के आदेश शीघ्र जारी कर दिए जायेंगे । स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ से इस सम्बन्ध में कुछ सूचना मांगी गई है । सूचना के प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(७) विभागीय पदों पर प्रोन्नत कोटा की रिक्तियों में विभागीय कर्मचारियों को उपलब्धता की सूची में बाहरी व्यक्तियों को नियुक्तियां नहीं की जायेंगी । यह सुनिश्चित किया जा रहा है ।

(८) कर्मचारियों की शेष मांगों एवं कठिनाइयों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा जिसमें महासंघ के भी प्रतिनिधि होंगे । कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु सभी स्थानीय निकायों में ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिव कमेटी बनाई जायेगी । महासंघ ने अभी अपने प्रतिनिधियों का नाम नहीं भेजा है उनसे नाम प्राप्त होने पर कमेटी के गठन की कार्यवाही की जायेगी । ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिव कमेटी के सृजन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस उच्च स्तरीय समिति के गठन की बात माननीय मंत्री जी ने कही है उसके कब तक बन जाने की संभावना है और क्या इसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के नाम महासंघ से मांगे गये हैं ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

यह समझौता जो महासंघ के प्रतिनिधियों से हुआ और जिसकी बनियाद पर यह हड़ताल समाप्त की गयी है उसमें यह है कि वे अपन नाम तुरन्त निर्दिष्ट कर दें ताकि समिति बन जाय । मैं यह भी सूचना देना चाहता हूं कि इलाहाबाद जहां से नाम आ गये थे वहां कमेटी बन गयी है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कहा है कि शिक्षा, चिकित्सा तथा अवकाश नकदीकरण की सुविधा राज्य कर्मचारियों के समान प्राप्त करने में जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उन्हें दूर करने के लिए शासनादेश निर्गत किए जायेंगे । इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि कब तक यह शासनादेश निर्गत हो जायेंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

मान्यवर, यह सुविधाएं उपलब्ध हो गयी हैं और जहां नहीं हो रही हैं उसके लिए निश्चित किया है कि २ महीने के अन्दर सभी जगह लागू कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त ।

बाराबंकी जिले के महादेवा मेले में बिजली के तार छू जाने से पांच व्यक्तियों की मृत्यु

*४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या बिजली मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ फरवरी, १९७९ की महा शिवरात्रि के दिन बाराबंकी जिले के महादेवा मेला में बिजली के तार छू जाने से ५ व्यक्ति मर गए तथा अनेक घायल हुए यदि हां, तो घटना का कारण क्या है ? दुर्घटना के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा आहतों के आश्रितों को क्या सहायता दी गई है

श्री रेवती रमण सिंह--

बाराबंकी जिले के महादेवा मेला में दिनांक २५ फरवरी, १९७९ को राज्य विद्युत परिषद् की ११ के० वी० की ओवरहेड लाइन के नीचे खड़ी एक निजी बस को छत पर सामान चढ़ाते समय श्री ईश्वर दास नामक व्यक्ति की जीवन्त तार के सम्पर्क में आने से मृत्यु हुई तथा बस विद्युत् से चार्ज हो गई जिसके कारण अन्य ४ व्यक्तियों की भी मृत्यु हो गई तथा ५ व्यक्ति घायल हो गये ।

दुर्घटना के उपरान्त दोषी कर्मचारियों को निलम्बित करके उनके विरुद्ध राज्य विद्युत परिषद द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य विद्युत परिषद् ने पांचों मृतकों में से प्रत्येक के वैधानिक आश्रितों को पांच-पांच हजार रुपये की क्षतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृति की है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

शिवपुर दियर, जिला बलिया में हीरा सिंह का कत्ल तथा मृत्यु के पुर्व का बयान

*५--श्री राम दुलारे (जिला रायबरेली)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात हैं कि शिवपुर दियर, नयी बस्ती, जिला बलिया में १४ मार्च १९७९ को हुए श्री हीरा सिंह के कत्ल के मामले में स्थानीय सरकारी अस्पताल में डा० गुप्ता ने उनके अस्पताल में चार घंटे तक जिन्दा रहने पर तथा उनके निकट सम्बधियों के प्रार्थना करने पर भी श्री हीरा सिंह के मृत्यु के पूर्व का बयान नहीं लिया इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्री को ३० मार्च, १९७९ को रजिस्ट्री से भेजे गए प्रार्थना-पत्र पर क्या कायंवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

कथित घटना के सम्बन्ध में श्री गनेश सिंह, ग्राम व पोस्ट शिवपुर दियर, नयी बस्ती, तहसील व जिला बलिया का एक दिनांक रहित शिकायती पत्र दिनांक ६-४-७९ को प्राप्त हुआ हैं, जिस पर जांच कराने हेतु आदेश दिए गए हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

*६--श्री हरिचरण यादव--

[३२ गुरुवार के लिए स्थगित ।]

अतारांकित प्रश्न

तहसील बीकापुर में पेयजल व्यवस्था

१--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के बीकापुर तहसील में किन-किन स्थानों पर पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष १९७८-७९ में पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा चुकी है इस सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र ३० अगस्त, १९७८ के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

जल निगम द्वारा वर्ष १९७८-७९ में तहसील बीकापुर के किसी स्थान पर पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना संभव न हो सका ।

प्रश्नगत पत्र के संदर्भ में जिला परिषद फैजाबाद से पेयजल योजना हेतु प्रस्ताव पारित करने को कहा गया किन्तु जिला परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित न किए जाने के कारण कोई कार्यवाही संभव न हो सकी ।

२--श्री श्रीराम द्विवेदी--

[२२-३-७९ को अतारांकित प्रश्न संख्या २ द्वारा उत्तरित ।]

३--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

[२२ बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत विभाग में स्क्रीनिंग किए हुए सेवा निवृत कर्मचारी

४-श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति के दौरान विद्युत विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी है जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवा निवृत कर दिया

गया था और उनमें से कितने को स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर और कितनों को बगैर स्क्रीनिंग किए हुए सेवा निवृत किया गया है जिन विद्युत कर्मचारियों को बगैर स्क्रीनिंग के सेवा निवृत किया गया उनके विरुद्ध क्या कोई अभियोग थे यदि ऐसा था, तो क्या प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा उन्हें तथा कथित अभियोग के विरुद्ध बचाव या स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान किया गया था यदि नहीं, तो क्यों

श्री रेवती रमण सिंह--

विद्युत परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत ५० वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त परिषद् के कुल १०१ अधिकारियों/कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत किया गया । इनमें से ९० अधिकारियों/कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के उपरान्त तथा शेष ११ को दक्षता में ह्रास आने, अक्षमता, घोर प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्य के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के निमित्त चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर सेवा निवृत्त किया गया । उनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं थे अतः उनको बचाव या स्पष्टीकरण का अवसर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

अतिरिक्त निदेशक एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, लखनऊ के आदेशों के विरुद्ध शिकायतें

५--श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है नवम्बर तथा दिसम्बर, १९७८ में अतिरिक्त निदेशक एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या प० क०/चार-बजट-२४/७६ ७७-४४५१५-९०, दिनांक १७ अक्तूबर, १९७८ के संदर्भ में कुछ माननीय सदस्यों के शिकायती-पत्र शासन तथा सम्बन्धित अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं यदि हां, तो उनके तथ्य क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां, इन शिकायती पत्रों में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि राज्य परिवार कल्याण अधिकारी के आदेश दिनांक १७-१०-७८ में नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों में प्रशिक्षित तथा अनुभव प्राप्त एल० एच० बी० तथा ए०एन०एम० के स्थान पर अप्रशिक्षित कर्मचारियों (प्रसार शिक्षकों एवं एल० एस० डब्लू०) की नियुक्ति को वरीयता दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं हैं । इससे एक तो शासन की मितव्ययता की नीति का उल्लंघन होगा, दूसरे नवजात शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को उचित रोगोपचार तथा सलाह नहीं मिल पायेगी । इसके साथ ही परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत शिशु प्रजनन विरोध में अनिपुण कर्मचारियों से कार्य कराये जाने पर समाज को अपूर्णीय हानि होगी तथा नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित पी० पी० स्कीम की नीति का उल्लंघन होगा । इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित पी० पी० स्कीम के अन्तर्गत सृजित पदों को फालतू करार देना, राज्य परिवार कल्याण अधिकारी के कार्य क्षेत्र में नहीं है ।

भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक १० जनवरी, १९७८ व २७ जनवरी, १९७८ में सूचित किया है कि इन केन्द्रों पर कार्यरत एल० एस० डब्लू० तथा प्रसार शिक्षकों को तब तक न हटाया जाय जब तक इनकों अन्यत्र खपा न लिया जाय । भारत सरकार के निर्देशानुसार जब तक इन कर्मचारियों को अन्यत्र खपा न लिया जायगा, तब तक वें इन केन्द्रों पर कार्य करते रहेंगें ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरियागंज, जिला बस्ती में गोलमाल

६--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुमरियागंज, बस्ती ने वर्ष १९७७-७८ में अस्पताल के दरवाजों में जाली लगाने के लिए लगभग २,१०० रुपया निकाला गया, परन्तु जाली नहीं लगाई गयी जिसकी जांच संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मंडल ने किया है और रुपए का गोलमाल साबित हुआ ह ? यदि हाँ, तो दोषी व्यक्ति कौन-कौन से हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी नहीं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुमरियागंज, जिला बस्ती के दरवाजों में जाली लगाने के लिये धन नहीं निकाला गया था, वरन् क्वार्टर्स की मरम्मत तथा पुताई के लिये २,००० रु० आहरित किया गया था । संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मंडल ने इसकी जांच की थी और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का गोलमाल नहीं पाया, अतः दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा अधिकारी, डुमरियागंज द्वारा घर की बिजली का भुगतान सरकारी मद से किया जाना

७--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या जांच के समय संयुक्त निदेशक ने यह भी पाया कि कर्मचारियों के घरों में बिजली का भुगतान हर माह सरकारी मद से किया जाता रहा है और कर्मचारियों से हर माह उसका पैसा भी वसूला गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां । सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी को चेतावनी दिये जाने, कर्मचारियों से वसूल की गयी धनराशि को उनसे वसूल करने तथा उनकी चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करने की संस्तुति संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मंडल द्वारा की गई है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । फिलहाल सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी को डुमरियागंज से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

आगरा जनपद के क्षेत्र फिरोजाबाद में काश्तकारों को दिए गए नलकूपों के कनेक्शन

८--श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या विद्युत मंत्री बतायेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के कितने काश्तकारों के नलकूप कनेक्शन का एग्रीमेन्ट वर्ष १९७७-७८ से जल विद्युत् परिषद् से हुआ और क्या उनको वर्ष १९७७-७८ में उनके नलकूपों पर लाइन खींच कर बिजली दे दी गयी और नलकूप चालू हो गए ? यदि नहीं, तो अब तक कितनों को एग्रीमेन्ट पर बिजली देना शेष है और कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह--

वर्ष १९७७-७८ में आगरा जनपद के क्षेत्र फिरोजाबाद में कुल ७८ काश्तकारों ने नलकूप के कनेक्शन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् स अनुबन्ध किय, जिसमें से ५८ काश्तकारों को वर्ष १९७७-७८ में ही लाइन खींचकर बिजली दे दी गयी । शेष २० काश्तकारों में से १७ काश्तकारों को उनके द्वारा अपने नलकूपों की फिटिंग आदि वर्ष १९७८-७९ मे पूरी करने पर बिजली दे दी गयी । बाकी बचे ३ काश्तकारों के नलकूपों का फिटिंग आदि पूरी न होने के कारण कनेक्शन देना अवशेष हैं ।

इसके अतिरिक्त वर्ष १९७७-७८ के ३५ काश्तकारों ने वर्ष १९७८-७९ में अनुबन्ध किये और इसमें से ३४ काश्तकारों को वर्ष ७८-७९ में ही कनेक्शन दे दिये गये । शेष एक काश्तकर का परिसर का कार्य पूरा न होने के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सका ।

वर्ष १९७७-७८ के ४७ काश्तकार ऐसे भी हैं, जिन्होंने अभी तक अनुबन्ध नहीं किया है । अनुबन्ध करने के पश्चात् इनको कनेक्शन देने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में उत्पादित बिजली तथा किसानों को दी गयी बिजली से प्राप्त राजस्व

९--श्री हुकुम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९७७ से दिसम्बर, १९७८ तक कुल कितनी बिजली प्रदेश में उत्पन्न हुई तथा उसका कितने प्रतिशत किसानों को दिया गया तथा कुल किसानों को दी गयी बिजली का कितना राजस्व वसूल हुआ ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जुलाई, १९७७ से दिसम्बर, १९७८ तक प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा कुल १४,३७२.६९४ मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की गयी आर ४५५.४१५ मिलियन यूनिट आयन्त एवं १४१.०९९ मिलियन यूनिट निर्यात की गयी । परिषद द्वारा उत्पादित विद्युत में से १०३८.४२८ मिलियन यूनिट स्टेशब आक्जील रोज में खर्च हुयी । इस प्रकार कुल १३,६४८.५८२ मिलियन यूनिट बिजली विक्रय के लिए शष बची ।

इस अवधि में २,२२५.००५ मिलियन यूनिट बिजली किसानों को उनके निजी नलकूपों एवं पम्पसेटों को चलाने हेतु दी गयी जो कुल विक्रय के लिए उपलब्ध १३,६४८.५८२ मिलिबन यूनिट का १६.३० प्रतिशत है । माह जून, १९७७ तक किसानों पर विद्युत देयों की कुल १८ १५ करोड़ रुपये की धनराशि बकाया था तथा जुलाई, १९७७ से दिसम्बर, १९७८ तक की अवधि में कृषकों के निजी नलकूपों पर कुल ३६.३५ करोड़ रुपये के विद्युत बिल भेजे गये । कुल ५४.५० करोड़ रुपये की उक्त धनराशि में से जुलाई १९७७ से दिसम्बर, १९७८ की अवधि में ३०.२४ करोड़ रुपया किसानों से वसूल किया गया ।

आबकारी निरीक्षक, देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

१०—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आबकारी निरीक्षक, पडरौना (देवरिया) के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य अभी तक प्रकाश में आए एवं सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध क्या-क्या कायवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां ।

आबकारी निरीक्षक पडरौना (देवरिया) के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है । अभी तक कार्यवाही पूरी नहीं हुई है । सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध जांच कार्यवाही पूरी न होने के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

जनपद बाराबंकी के कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र और जमा किया गया विद्युती शुल्क

११—श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत विकास खंड पूरे डलई के ग्राम खेता सराय विकास खंड दरियाबाद के शहरी तथा विकास खंड रामनगर के ग्राम किन्तूर के निवासियों ने घरेलू उपयोग हेतु बिजली के कनेक्शन लेने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है और बी० एल० फार्म के साथ नियमानुसार शुल्क भी अदा कर दिया है ? फिर भी उक्त ग्राम वासियों को बिजली नहीं दी जा रही है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

ग्राम खेता सराय के ४० व्यक्तियों ने, ग्राम शहरी के १५ व्यक्तियों न तथा ग्राम किन्तूर के १७ व्यक्तियों ने २५ रुपये 'अर्नस्टमनी' के साथ घरेलू उपयोग हेतु बिजली के कनेक्शन लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं । परन्तु अभी तक किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करके बी० एल० फार्म जमा नहीं किया गया है । अतः कनेक्शन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

१२—श्री अशर्फी लाल यादव—

क्या विद्युत् मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त ग्रामों में से प्रत्येक ग्राम में बी० एल० फार्म के साथ शुल्क अदा करने वालों की संख्या क्या है। और उन्होंने किस सन् में शुल्क दाखिल किया है तथा उन्हें कब तक विद्युत् कनेक्शन मिल जायेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम कुमार, निवासी, कोटवा धाम (बाराबंकी)की बिजली के करेन्ट से मृत्यु तथा परिवार को सहायता

१३—श्री अशर्फी लाल यादव—

विधान सभा उत्तर प्रदेश की कार्यवाही, दिनांक १३ अक्तूबर, १९७७ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री रामकुमार निवासी कोटवा धाम, विकास खंड बरियाबाद, जनपद बाराबंकी, जिनकी मृत्यु बिजली के करेन्ट लगने से हुई थी, के परिवार की क्षतिपूर्ति कब की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ?

परिषद ने मृतक के आश्रितों हेतु ५,००० रु० (पांच हजार) की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत किया है जिसमें से १,००० रु० की धनराशि सहायता आश्रितों के वितरण हेतु जिलाधिकारी बाराबंकी के पास चेक द्वारा दिनांक ७-१०-७७ को परिषद द्वारा जमा की जा चुकी है ।

जनपद बाराबंकी के स्वास्थ्य सहायकों को शैक्षिक योग्यतानुसार रिक्त पदों पर खपाया जाना

१४—श्री अशर्फी लाल यादव—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या प० नि०/३/से० समा०/स्वा० स०/७७/५४१२/५५, दिनांक १९ मई, १९७७ के स्तम्भ ७ के अन्तर्गत बाराबंकी जनपद के कितने स्वास्थ्य सहायकों को उनकी शैक्षिक योग्यतानुसार विभाग के रिक्त पदों पर अब तक खपाया जा चुका है ? यदि किसी को नहीं खपाया गया, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

इन आदेशों के अनुसार बाराबंकी जनपद के उन नये स्वास्थ्य सहायकों जिनकी सेवायें समाप्त की गयी थीं, में से किसी को भी उनकी शैक्षिक योग्यतानुसार कोई पद रिक्त न होने के कारण, अभी तक खपाया नहीं जा सका है ।

कानपुर मेडिकल कालेज में प्रवेश न मिलने के सम्बन्ध में डाक्टर हृदय नाथ त्रिपाठी का प्रार्थना-पत्र

१५—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताएगी कि डा० हृदय नाथ त्रिपाठी, जो बी० आर० डी० मेडिकल-कालेज के स्नातक हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन (मेडिसिन) करने के लिए १९७९-८० सत्र से अभ्यर्थी थे ? क्या इन्होंने वरीयता क्रम में प्रथम नम्बर पर कानपुर मेडिकल कालेज को चुना था ? क्या इस कालेज में बी० आर० डी० मेडिकल कालेज के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी स्नातकों में इनके नम्बर सर्वाधिक थे ? यदि हां, तो अंक उच्चतम होने एवं वरीयता क्रम में भी प्रथम होने पर इनका प्रवेश कानपुर मेडिकल कालेज में क्यों नहीं किया गया ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के चिकित्सा स्नातक, डा० हृदय नाथ त्रिपाठी, सत्र १९७९–८० के लिये एम० डी० (मेडिसिन) में प्रवेश पाने हेतु अभ्यर्थी थे। प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, ने जो सूचना दी है उसमें यह बताया गया है कि प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, ने डा० त्रिपाठी की प्रथम वरीयता मेडिकल कालेज, आगरा, बताई थी, इसी के आधार डा० त्रिपाठी को मेडिकल कालेज, आगरा, में प्रवेश दे दिया गया है यद्यपि कानपुर मेडिकल कालेज के एम० डी० (मेडिसिन) में प्रवेश हेतु मेडिकल कालेज, गोरखपुर, के चुने गये अभ्यर्थियों की तुलना में डा० त्रिपाठी के नम्बर अधिक थे।

१६—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या इस सम्बन्ध में डा० त्रिपाठी ने जनवरी, १९७९ में स्वास्थ्य मन्त्री को कोई ज्ञापन भी मिलकर दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

डा० त्रिपाठी ने जनवरी, १९७९ में भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री जी को एक ज्ञापन दिया था जिस पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक से आख्या मांगी गई है। उनकी आख्या की प्रतीक्षा की जा रही है।

१७—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक ३–५–७९ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ को पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों की समुचित व्यवस्था न होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी–गढ़वाल)—

मैं एक बहुत गम्भीर प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अभी नियम ३०१ की सूचनाएं ले रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

ठीक है।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, प्रदेश में गेहूं के क्रय केन्द्रों को समुचित रूप से न चलाने के कारण किसानों के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार व्यापारी मनमाने भाव पर गेहूं की खरीद कर रहे हैं तथा सरकार द्वारा शोषित सर्मथित मूल्य की उपेक्षा की जा रही है। इससे किसानों की क्रय शक्ति ह्रास होने के साथ ही सरकार के भंडार पर भी कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि प्रदेश में तात्कालिक प्रभाव से गेहूं के क्रय केन्द्रों पर समुचित खरीद प्रारम्भ करें तथा किसानों पर चल रहे शोषण को समाप्त करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसानों के सम्बन्ध में । तो मैं सरकार को इसमें निर्देश दे रहा हूं कि एक वक्तव्य शीघ्र ही इसके बारे में दें ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि....।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

मान्यवर, कौन-कौन से सदस्यों ने ऐसी सूचना दी है ? मान्यवर, मेरा आग्रह है....।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी और श्री राधेश्याम शर्मा की सूचना भी इसी गेहूं के क्रय केन्द्रों के बारे में है । चूंकि तीन आदमियों की सूचनाएं थीं और एक ही सब्जेक्ट था, इसलिये इसको ले लिया है और बाकी को इसी में सम्मिलित कर लिया है ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

मान्यवर, जब तक ये वक्तव्य देंगे, तब तक तो असेम्बली भी उठ जायेगी । इसमें, मान्यवर, कुछ करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

गेहूं के क्रय केन्द्रों के बारे में कई सदस्यों ने नियम ३०१ के अन्दर सूचनायें दी हैं । इसलिये मैं निर्देश देता हूं कि सरकार इसके बारे में जल्द से जल्द एक वक्तव्य दे कि किस प्रकार इसकी प्रगति प्रदेश के अन्दर चल रही है । ५ तारीख को वक्तव्य दे दें ।

कप्तानगंज (देवरिया) व सरदारनगर (गोरखपुर) की चीनी मिलों द्वारा गंदे पानी को छोटी गन्डक व गोरी नदियों में छोड़ देने से नदियों का पानी विषाक्त हो जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, गोरखपुर मंडल की जनपद देवरिया की चीनी मिल कप्तानगंज एवं गोरखपुर जनपद की सरदार नगर की चीनी मिल, आये दिन मिल का गंदा पानी नदियों में छोड़ी करते हैं । इसी पखवारे में कप्तानगंज चीनी मिल ने छोटी गंडक और सरदार नगर चीनी मिल ने राप्ती तथा गोरी नदियों में गंदा पानी छोड़ दिया, जिससे नदियों का पानी काला एवं विषाक्त हो गया । नदी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

मछलियों के मर कर सड़ने से नदी के किनारे काफी दूर तक दुर्गन्ध का साम्राज्य स्थापित हो गया, नदियों का विषाक्त पानी पीने से हजारों पशु बीमार हैं तथा लगभग एक सौ तक मर गये। नदियों की मरी हुई मछलियों के खाने से सैकड़ों लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं तथा एक दर्जन लोग मर गये। लगभग दस लाख रुपये से अधिक की मछलियां मरी हैं, तथा बारों धान की फसल सूख रही है। नदियों के दोनों किनारे के लोगों का जीवन संकट में है। इस प्रकार मिलों द्वारा गन्दा एवं विषाक्त पानी छोड़ने से दोनों जनपदों के मवेशियों एवं मनुष्यों के जीवन एवं स्वास्थ्य पर गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतः आज मैं माननीय सदन में इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि--

(१) तत्काल बचाव की व्यवस्था की जाय,

(२) जिन चीनी मिलों ने पानी छोड़ा है, उन पर कानूनी कार्यवाही की जाय।

(३) मछलियों, पशुओं, आदमियों के मरने तथा धान सूखने का मुआवजा चीनी मिलों से दिलाया जाय।

मान्यवर, बड़े गम्भीर संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जबकि नियम यह है कि गंदा पानी नहीं छोड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

सरकार इस पर शीघ्र ध्यान दे।

श्री हरिकेवल प्रसाद---

मान्यवर, सरकार को निर्देश दें कि शीघ्र इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

सरकार है कहां ? मुख्य मन्त्री गायब हैं, उप मुख्य मन्त्री गायब हैं। जो मन्त्री बैठे हैं, वे गप्पें लड़ा रहे हैं।

बाराबंकी जिले के कतिपय मार्गों पर बसों की समुचित व्यवस्था न होने से जनता को कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :---

मान्यवर, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत हैदरगढ़ से बाराबंकी वाया कोठी उस्मानपुर रोड, हैदरगढ़ से भिटरिया वाया देवीगंज रोड, देवीगंज से बाराबंका वाया सिद्धौर रोड पर गत वर्षों में पर्याप्त प्राइवेट बसें चलती थीं। इन दिनों उक्त मार्गों पर सरकारी बसें चल रही हैं, जो अपर्याप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, परिणामतः ग्रामीण जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग जबरदस्ती बस की छतों पर बैठ कर यात्रा करते हैं, फिर भी सभी लोग अपने वांछित स्थान तक नहीं पहुंच पाते। चालकों तथा परिचालकों की जानें असुरक्षित रहती हैं, उन्हें अपनी जान बचाने के लिये थाने, चौकियों पर बस खड़ा कर देना पड़ता है। कभी-कभी सवारियां सरकार विरोधी नारे लगाती हुई यात्रा करती हैं। सरकारी व्यवस्था बिलकुल नाकामयाब हैं। बाराबंकी जनपद की सभी प्राइवेट बसें सरकार की इस मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। जनता भी अपनी परेशानियों पर इसका कोई विरोध नहीं करती। इन मार्गों से सरकार को हजारों रुपयों की चोरी प्राइवेट बसें करती हैं। इस विषय में कई बार मेरे द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर सड़कों पर बसों की समुचित व्यवस्था की मांग की गई परन्तु कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इस प्रकार एक ओर जहां जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर सरकार को हजारों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। शांति व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि तुरन्त उक्त मार्गों पर पर्याप्त बसों की समुचित व्यवस्था कर जिससे समस्या का समाधान हो।

सीतापुर जनपद के थाना रामकोट व मिश्रिख के पुलिस कर्मचारियों द्वारा हरिजनों के साथ अत्याचार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आप के माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री तथा सदन के सामने रखना चाहता हूं—

आप का ध्यान जनपद सीतापुर थाना रामकोट तथा थाना मिश्रिख की पुलिस द्वारा गरीब हरिजनों के साथ किये गये जघन्य अपराध तथा अत्याचारों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं—

(१) दिनांक २७-४-७९ को दिन के लगभग ४ बजे थाना रामकोट की पुलिस चौकी मछरेहटा के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राम नरेश सिंह तथा सिपाही रामजी तथा एक दाढ़ीर सिपाही तथा चौकी के गुंडे एक पुलिस दलाल भाई (साईं) ने मिलकर एक गवाही के सिलसिले में बाजार से जराखन पासी को पकड़ कर मारते हुये चौकी पर लाये और चौकी पर भी उसे इतना मारा कि वह रात में मर गया। उसके छोटे-छोटे ६ बच्चे हैं जो लावारिस हो गये हैं उनकी जीविका का कोई साधन नहीं है। सब से बड़े लड़के की उम्र १२ वर्ष की है।

(२) यह कि उस के साथ और दो व्यक्ति भी पुलिस हिरासत में चौकी में बन्द थे। दिनांक २८-४-७९ प्रातः जब जराखान का भाई शिवराम पुलिस चौकी पर अपने भाई को देखने गया तो पुलिस वालों

[श्री गोकरन प्रसाद---]

ने बताया कि उसे रात ही छोड़ दिया गया । मृतक के भाई ने गाँव में इधर-उधर तलाश की । उसके बाद उन दो अन्य हिरासत में लिये गये आदमियों से मिला जो रात में छोड़ दिये गये थे । मृतक के भाई को उन से मालूम हुआ कि आपका भाई रात में ही मर गया था और पुलिस वाले आपस में रात में भू० पू० ब्लाक प्रमुख श्री पुतान सिंह के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे कि इसकी लाश आज ही रात में गायब कर दी जाय जिससे हम लोग बच सकें । हम लोग लेटे हुये सारी बात चुपचाप सुन रहे थे, १ बजे रात को बड़े मुन्शी ने कहा तुम लोग उठो अपने-अपने घर जाओ ।

(३) मृतक के भाई ने इस पूरी घटना की सूचना फोन से डी० एम० तथा एस० पी० को दी । फिर सीतापुर जाकर डी० एम० तथा एस० पी० से मिलने की कोशिश की परन्तु न मिल सके । अतः पुनः २ बजे दिन को एस० पी० तथा जिलाधिकारी को पुनः फोन द्वारा सूचना दी । फिर ४ बजे तार द्वारा सूचना भेजी परन्तु कोई उच्चाधिकारी मौके पर नहीं आया और न मुकदमा ही कायम हुआ । लाश का अभी तक पता नहीं चल पाया है ।

(४) यह कि थाना मिश्रिख के इंस्पेक्टर ने ग्राम कल्ली के श्रीराम भरोसे की १० बीघा अरहर प्रधान से मिलकर दूसरी पार्टी द्वारा कटवा दिया तथा धारा १४५ सी० आर० पी० सी० की फर्जी कार्यवाही होना बताया गया जब कि इस की बाबत राम भरोसे को कोई सूचना भी नहीं मिली । बाद में पुलिस दूसरी पार्टी से मिलकर उल्टा राम भरोसे तथा उनके सहयोगियों पर फसल चोरी से काटने का मुकदमा भी दर्ज करा दिया उसकी सारी अरहर पिटवाकर ग्राम प्रधान तथा पुलिस ने बांट ली । इस प्रकार गरीब हरिजन राम भरोसे पर अत्याचार किया गया ।

उपरोक्त दोनों कार्यवाहियों से थाना रामकोट पुलिस चौकी मछरेहटा तथा थाना मिश्रिख की पुलिस पर जनता में रोष एवं असन्तोष व्याप्त है ।

अतः मान्यवर, आप से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर अनुरोध है कि सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों तथा अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित करवाकर जरावन की हत्या एवं उसकी लाश गायब करने के कारण हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया जाय और इसकी जांच सी० आई० डी० अपराध शाखा से करवाई जाय : मामला अत्यन्त गम्भीर है क्योंकि मैंने क्षेत्रीय विधायक होने के नाते दोनों मौकों पर जाकर स्वयं जानकारी प्राप्त की है ।

देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर के ग्राम करमटार गंगा, गडौना तथा खाली पासी में अग्निकान्ड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आप के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर के ग्राम करमटार गंगा, गड़ौना तथा खाली पासी में अग्निकान्ड के विषय को नियम ३०१ के अन्तगत सदन के संज्ञान में लाना

देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के ग्राम करमटार गंगा में विगत ११ अप्रैल को भीषण अग्निकान्ड हुआ जिसके चलते सैकड़ों एकड़ जमीन में पैदा रबी की फसल पूर्णतः जलकर राख हो गई । कई दर्जन हरिजनों, पिछड़ी जातियों व सवर्णों का सम्पूर्ण घरबार गृहस्थी जलकर नष्ट हो गई । दमकल से ४ घंटों के अथक प्रयास के बाद अग्नि पर काबू पाया जा सका फिर भी अधिकांश ग्राम वासियों का सर्वस्व स्वाहा हो गया उनके खाने को कुछ नहीं बचा । पशुओं का चारा भी जलकर नष्ट हो गया ।

यही स्थिति सलेमपुर तहसील के दो गाँवों गड़ना और खाली पासी की है । वहां भी भीषण अग्निकांड के चलते दर्जनों लोग सम्पत्तिहीन और गृहहीन हो गये । अफसोस है कि मौके का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों ने अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं दी है । ईसाई मिशनरी के लोगों ने जाकर मामूली सहायता दी है ।

मान्यवर, आप के माध्यम से शासन से मेरी अपील है कि इस संदर्भ में अविलम्ब सरकारी सहायता आवंटित की जाय । पशुओं का चारा, वस्त्र, नागरिकों के लिये भोजन एवं बर्तन का प्रबन्ध कराया जाय । सम्पूर्ण मालगुजारी माफ हो और तकावी वितरण का प्रबन्ध हो तथा सरकारी देय माफ किये जायं ।

बदायूं नगर में जल संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश के स्वायत्त शासन मन्त्री का ध्यान बदायूं नगर में व्याप्त जल संकट की ओर दिलाना चाहता हूं ।

गत १ सप्ताह से बदायूं नगर में पीने के पानी का घोर संकट विद्यमान है । नगर के कई मोहल्लों में जैसे काजी टोला, शेखपट्टी, सैयदवाड़ा, सोथा, फरसीरी टोला, कमजरान आदि में तो कतई पानी पहुंचता ही नहीं है । गत ४ दिनों से बिजली का बोल्टेज कम होने के कारण पानी कतई नहीं आ रहा है जिसके कारण बदायूं नगर में घोर असंतोष व्याप्त है । २८ अप्रैल को चौधरी सराय में पानी टंकी पर प्रतीक्षारत जनता में पानी लेने के प्रश्न पर मारपीट भी हो गई है । जबकि प्रदेश सरकार ने बदायूं नगर के लिये साढ़े सैंतालिस लाख रुपये की जल सम्पूर्ति योजना स्वीकार की है परन्तु विभाग ने उस पर अब तक कार्यवाही नहीं की है अतएव मैं शासन का ध्यान इस संकट की ओर दिलाना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि शासन ऐसी व्यवस्था करे कि चारों नलकूप पूरी क्षमता से कार्य कर सकें । जिसके लिये यह आवश्यक है कि बिजली पूरी बोल्टेज के साथ मिले तथा अस्पताल के निकट नलकूप ८१ अश्व शक्ति के मोटर पम्प से चलाया जाये जैसी कि उसकी शक्ति है जिससे कि नगर में पानी का संकट कुछ कम हो सके तथा स्वीकृत नये नलकूपों एवं टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाये जिससे पानी के संकट का स्थायी समाधान हो सके ।

(श्री विद्या शंकर का नाम पुकारे जाने पर)

*बक्ताने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)--

व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने नियम ३०१ के अन्तर्गत कानपुर नगरमहापालिका में जल पूर्ति के सम्बन्ध में सूचना दी थी । २५ लाख की वहां आबादी है । वहां जलाशय में एक लाश पड़ी थी और वही पानी वहां के नागरिकों को दिया गया ....।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५१ में मैंने आपकी सूचना को स्वीकार कर ली है । एक माननीय सदस्य ने यह सूचना दी थी और सम्भवतः उसी में आपका नाम भी जुड़ गया होगा ।

श्री रामजी--

नियम ३०१ में सब से पहले मेरी सूचना थी । इसम नम्बर १ लिखा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि नियम ५१ में उसे स्वीकार कर लिया जाय तो फिर नियम ३०१ में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

श्री रामजी--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसे नहीं लिखा जायगा ।

श्री राम जी--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

यह सब नहीं लिखा जायगा । अब विद्या शंकर अपनी सूचना पढ़ेंगे ।

प्रतापगढ़ के बहुचरा ग्राम में अग्नि काण्ड से क्षति तथा सहायता की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ जनपद में विगत २३-४-७९ को बहुचरा ग्राम में १३ घरों में आग लग गई । जिनमें १२ घरहरिजनों के तथा एक घर कहार का जो पिछड़ी जाति में आते हैं जल कर राख हो गया । सूचना पाते ही मैं दिनांक २४ अप्रैल को परगनाधिकारी, तहसीलदार सदर के साथ मौके पर गया । स्थल पर सभी घर जल कर राख हो गये थे । घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन सब जल गये । खाने के लिये अनाज नहीं, पहनने के लिये कपड़े नहीं, रहने के लिये मकान नहीं रह गया । स्थल पर १३ परिवारों को ६५०

नोट--[***] यह अंश भी उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुपय प्रत्येक को ५० रुपये के हिसाब से तत्काल सहायता दिलायी गई परन्तु यह दाल में नमक के बराबर है । मकान बनाने के लिये तथा इनके पहनन के लिये उनकी मदद होनी आवश्यक है । उन उजड़े हुए समाज के कमजोर वर्ग हरिजनों की सहायता करना नितान्त आवश्यक है । मुख्य मंत्री कोष से भी सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र हरिजनों की ओर से दिया गया है । उन्हें तकावी तथा मकान बनाने के लिये धनराशि चाहिये । इस अग्नि कांड में एक लड़का आग की लपट में झुलस गया । इसी प्रकार से अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ग्राम रघुवापुर थाना अन्तू में एक मुसलमान परिवार के घर में आग लग जांन से तीन आदमी मर गये । इस प्रकार से ये घटनायें बड़ी ही हृदयविदारक हैं ।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस अग्निकांड की ओर दिलाना चाहता हूं तथा सरकार से अपील करता हूं कि इन हरिजन तथा अल्पसंख्यक परिवारों को पुनर्वास के लिय तत्काल सहायता दी जाय ।

श्रम मंत्री के विरुद्ध सी० आई० डी० सहकारिता सेल द्वारा मुकदमें दर्ज किये जाने विषयक नियम ३०१ की सूचना स्वीकार किये जाने पर आपत्ति

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, प्रदेश के वर्तमान श्रम मंत्री के विरुद्ध सी० आई० डी० की सहकारिता सेल द्वारा भारतीय दन्ड विधान की धारा ४०९ के अन्तर्गत बिजनौर में तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट, (एफ० आई० आर०) दर्ज करायी गयी । प्रथम रिपोर्ट अपराध संख्या १२८/७७-ए, २०-४-७७ को तथा दूसरी एवम् तीसरी रिपोर्ट १२-२-७८ को अपराध संख्या १२८/७७ वी..

(व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

बीच में व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो सकता है । जब एक सदस्य को इजाजत दे दी गई है...

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे) ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

नियम ३०१ की सूचना के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

इसे पूरा होने पर व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जितना मैंने इजाजत दी है, उतना ही पढ़ें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर कुछ सुनाई नहीं पड़ा) ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, आपने जो इजाजत दी है, उसी पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें । यह कार्यवाही का अंग हो जायेगा ।

एक सदस्य--

मंत्री लोगों को व्यवस्थित करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आबकारी मंत्री को बुलाया है । उनका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, आप जो इजाजत दे रहे हैं, वह संवैधानिक नहीं है, नियम के विरुद्ध है, माननीय अध्यक्षों की व्यवस्थाओं के विपरीत है । हजारों व्यवस्थायें हैं कि जब आप किसी माननीय सदस्य को इजाजत देंगे और वह अपनी बात कहते रहेंगे तो बीच में कोई प्रश्न नहीं उठायेंगे । उसी प्रकार इसमें भी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता । जब आपने तोमर जी को इजाजत दे दी तो बीच में कैसे व्यवस्था का प्रश्न आ गया । इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्योंकि वह श्रम मंत्री से सम्बन्धित मामला था....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, यह आपके विनिश्चय के विरुद्ध बोल रहे हैं....

(व्यवधान)

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं आपके माध्यम से अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । नियम ३०१ में स्पष्ट लिखा है कि जो महत्वपूर्ण सूचनायें सदन के अन्दर दी जायेंगी उन सूचनाओं के जरिये किसी भी माननीय सदस्य पर, जो यहां बैठे हुये हैं, किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं किया जायेगा ।

मान्यवर, नियम ३०१ में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है और इसी सदन के अन्दर पीठासीन अधिकारियों की व्यवस्था रही है कि जब भी इस तरह की सूचनायें आती हैं तब पीठासीन व्यक्ति ने उस सूचना को पढ़ने से रुकवा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया । मान्यवर, मैं नजोर देता हूं माननीय सदस्य श्री शर्मा इसी सदन में एक सूचना नियम ३०१ में दे रहे थे । मैंने उसी समय व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और माननीय बनारसी दास तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य अपनी सूचना पढ़ना बन्द करे और कार्यवाही से वह सूचना निकाल दी गई । मैं मान्यवर, निवेदन करूंगा कि कभी-कभी गलतियां हो जाया करती हैं । किसी मामले म गलती हो गई नहीं ध्यान से देखा गया । तो मेरी व्यवस्था का प्रश्न यही है कि इस नियम ३०१ के अन्तर्गत जो माननीय सदस्य श्री सोहन बीर सिंह तोमर सूचना पढ़ रहे हैं उसमें एक प्रकार से आक्षेप है और उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये । नियम ३०१ में मेरा निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला हो या कोई लांछन हो, वह नहीं आना चाहिये । मैं उनका स्वागत करता हूं अगर कोई ऐसी चीज है लेकिन संसदीय परम्परा का पालन करते हुए नियम ३०१ में इस तरह की सूचना न पढ़ने दें । अतः इसे कार्यवाही से निकालने का कष्ट करें ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

अभी माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपने कोई निर्णय नहीं लिया । मुझे एक बात कहनी है । पहले यह बात साफ कर देनी पड़ेगी कि आक्षेप किस को कहते है क्या किसी सत्य को, किसी तथ्य को कहना आक्षप है । इस पर आपको व्यवस्था देनी होगी । नम्बर दो नियम ३०१ में एक सूचना स्वीकार की गई अब माननीय सदस्य श्री शतरुद्र प्रकाश कह सकते हैं कि गलती से हो गया मैं नहीं मानता हूं कि आप ऐसे मामलों में कोई गलती करेंगे, आपने उसे स्वीकार किया है यह उस सदस्य का मौलिक अधिकार बन जाता है कि उस सूचना को सदन में पढ़े । गलत हो या सही हो यह दूसरी बात है । इसलिए इस मामले में हमारा जो अधिकार है विधायक होने के नाते उस पर इस प्रकार कुंठा होगी । माननीय शतरुद्र प्रकाश जैसे युवा लोग इस प्रकार की बातों की वकालत कर प्रहार करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा और हमारा यहां आने का कोई औचित्य नहीं होगा इसलिए स्पष्ट व्यवस्था दें कि आक्षेप किसको कहते हैं । दूसरा जब आपने नियम ३०१ में सूचना को स्वीकार कर लिया और माननीय सदस्य को पढ़ने की इजाजत दे दी तो उस पर व्यवधान पैदा करने का प्रश्न कहां उठता है ।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)---

मैं भी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें ।

श्री राघव राम मिश्र---

आप मुझे कभी अवसर नहीं देते हैं । यह मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बाद में सुनूंगा आपके बाद(श्री रमाशंकर कौशिक के बाद) सुनूंगा ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

जहां तक इस बात का प्रश्न है इस सदन की यह परम्परा रही है और हमेशा निर्णय दिये जाते रहे हैं कि किसी के ऊपर आक्षप या गबन के मुकदमे के सम्बन्ध में बातें करना, कहां तक वह सत्य है कहां तक असत्य, वह अलग बात है, लेकिन हमेशा यह परम्परा रही है इस प्रकार के प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं दी गई । अगर यह परम्परा कायम कर दी गई तो रोज नियम ३०१ को लेकर अनेकानेक प्रश्न उठाये जायेंगे और उठाये जा सकते हैं । यह समय निश्चित रूप से अविलम्बनीय लोक महत्व के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो जनता से सम्बन्धित हों उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना हो उन प्रश्नों को नियम ३०१ के अंतर्गत लिया जाता है । इसी आधार पर नियम ३०१ का सृजन किया गया ताकि लोगों की जो शिकायतें हैं जो कि विभिन्न इलाकों से लोग आते हैं उन समस्याओं की और इस सदन का और शासन का ध्यान आकर्षित हो जाए । यदि नियम ३०१ के अन्तर्गत इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप की शृंखला चल पड़ी तो इस सदन की गरिमा और मान मर्यादा को बहुत बड़ा धक्का लगगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस तरह की बात को यहां पढ़ने की आज्ञा न दें ।

श्री राघव राम मिश्र—

माननीय शतरुद्र प्रकाश ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं । स्वयं उन्होंने आज की अपनी बात के विपरीत, कुछ दिन पहले नियम ३०१ में माननीय राजबली तिवारी के विरुद्ध कुछ आक्षेपात्मक बातें इसी सदन में कही थीं । आबकारी मंत्री भी उस समय उपस्थित थे और उन्होंने भी उस समय उस पर कोई आपत्ति नहीं की थी । आपने भी शतरुद्र प्रकाश जी की पूरी बात सदन में सुनवाई थी और वह कार्यवाही का अंग भी बनी । अतः जब एक बार यहां इस प्रकार की व्यवस्था हुई है तो इस बार भी आपको उनकी अपनी बात करने का पूरा मौका देना चाहिए और उनको किसी भी हालत में नहीं रोकना चाहिए ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

आज एक नये विवाद इस मायने में इस सदन में उठा है और वह यह है कि नियम ३०१ म यदि किसी सदस्य या किसी मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप है तो उन्हें इस सदन में नहीं पढ़ा जा सकता है । मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन शतरुद्र प्रकाश ने ऐसी बात उठाई कि मुझे विवश होकर बोलना पड़ा । एक समय था जब मैं उधर बैठता था, जैसे आज वह और अन्य तमाम सदस्य बैठे हैं, तो उस समय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में उन्होंने पूरी की पूरी एक चार्जशीट मेरे खिलाफ पढ़ी थी जिस पर मैंने उसी समय कहा था कि मेरे खिलाफ लगाये गये इन आरोपों की जांच के लिए सदन की एक सब कमेटी बना दी जाए और उसका चेयरमन चौधरी चरण सिंह को बना दिया जाए । वह हमारी पूरी जांच करे और जांच के उपरान्त यदि ये आरोप असत्य और निराधार पाए गये तो मैं इस सदन में रहूंगा, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा । तो आज कुछ परम्पराओं

और मान्यताओं की बात है । मैं यह नहीं कहना चाहता कि आज के यह आरोप सही हैं या गलत । किन्तु क्या उनमें इतना भी नैतिकता नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सम्मानित सदस्य कोई फैक्ट्स दे रहा है तो वह उस सुनना तक नहीं चाहते हैं । उनमें उन्हें सुनने तक का धैर्य नहीं है । उनमें कम से कम इतनी नैतिकता तो होनी ही चाहिए । पहले सुनिये और सुनने के बाद यदि साहस हो तो एलीगेशंस सत्य हों तो वह इस्तीफा दे दे और यदि सत्य न हो तो दूसरा पक्ष इस्तीफा दे ।

लेकिन श्रीमन्, यह परम्परा न डालिये कि सदन में किसी मंत्री के खिलाफ चाहे मैं हूं, कोई आक्षेप हो तान-तान केस एफ० आई० आर० में रजिस्टर्ड हों, और सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर दबाव पड़ रहा हो, तो भी यहां कुछ न कहा जाए । यहां नहीं उठेगा, तो इसके अलावा कौन सा ऐसा फोरम होगा जहां कोई सदस्य इसे उठाए ? इसलिए नैतिकता की दृष्टि से इसे यहां उठाना चाहिए और हम में से हर एक का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने और अपने मित्रों के दामन पर लगे धब्बों को छुड़ाने की कोशिश करे । माननीय शतरुद्र प्रकाश ने मेरे खिलाफ जो कहा था तो मैंने उन्हें चैलेंज किया था, तो आज उधर के लोग क्यों नहीं वैसा ही साहस अपने में जुटा पाते हैं--तोमर जी की बात यदि प्राइमा-फेसी में सिद्ध हो तो वह क्या इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं ।

(श्री मैनेजर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

राजमंगल पाण्डेय जी ने मेरा नाम लेकर एक बात उठाई है, मैं उस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनको बुला लिया है, अब आपको मौका नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरे सम्बन्ध में बात कही गई है, इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए (व्यवधान) चूंकि व्यवस्था का प्रश्न उठा है और सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है इसलिए उनको मैंने सुना है । दो एक और बोलेंगे । उनको भी सुनूंगा । लेकिन यह प्रश्न ऐसा है कि इसके ऊपर पुरानी जो मिसालें हैं उनको देखना पड़ेगा और मुझे विचार करना पड़ेगा । वैसे मैंने इसको आक्षेप नहीं समझा था इसलिए आज्ञा दी थी । लेकिन अब ऐसा विवादग्रस्त प्रश्न हो गया है, तमाम माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, इधर से, उधर से, पक्ष में, विपक्ष में, बातें कही हैं इसलिए मैं अब इस प्रश्न को....

श्री मैनेजर सिंह--

सुन तो लें । (व्यवधान) ।

एक सदस्य--

आप यह कतई नहीं कर सकते हैं ।

(श्री डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । आप उग्र काहे हो रहे हैं ? यह प्रश्न ऐसा नहीं जिसमें आवेश में आ जायं ।

*श्री मैनेजर सिंह--

श्रीमन्, यह सही है कि हमारे सदन की परम्परा रही है कि कोई ऐसी बात न कही जाय जो किसी माननीय सदस्य पर आक्षेप हो । श्रीमन्, यह आपको देखना है । माननीय सोहनवीर सिंह तोमर जो ३०१ के अन्तर्गत सूचना दे रहे हैं जिसे आपने स्वीकार किया है, क्या वह आक्षप है । इस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं । उन्होंने यह सूचना देने की कोशिश की है कि एक माननीय मंत्री पर ४०९ का मुकदमा दर्ज है, जिस सरकार के वह मंत्री हैं इस सरकार के राज्य में ४०९ का मुकदमा दर्ज है । क्या यह तथ्य है या नहीं, इस बात की सफाई होनी चाहिए । किस आधार पर ४०९ का मुकदमा दर्ज है उसको वह रखेंगे । यह कोई आक्षेप नहीं है । एक तथ्य में जो मुकदमा दज है । सी० आई० डी० न और कोआपरेटिव सेल के अधिकारियों ने इस मुकदमे को दर्ज कराया था, कोआपरेटिव सेल सरकार के मातहत है, जो हमारे सहकारिता मंत्री, मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित है । उस सी० आई० डी० के अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कराया है, यह मुकदमा इस सरकार के पीठासीन होने के पहले दर्ज हो, यदि पिछली सरकार के जमाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ हो, तो इस सरकार का कर्त्तव्य था कि इस मुकदमे की जांच से पहले वापस लेती ।

पहले जनता पार्टी की सरकार माननीय रामनरेश यादव के नेतृत्व में थी और आज जनता पार्टी की सरकार माननीय बनारसी दास के नेतृत्व में है, जिसमें मंत्रिपरिषद् के सभी सहयोगी सदस्य हैं । यदि आपने जांच से पहले उस मुकदमें को वापस नहीं लिया, तो माना जायगा कि आप उस ४०९ की एफ०आई०आर० को स्वीकार करते हैं और सरकार मानती है कि जांच होनी चाहिए, उसकी विवेचना होगी । विवेचना में यदि वह निर्दोष साबित हो जायेंगे तो वह आ जायगा । सरकार ने वापस नहीं किया तो यह आक्षेप नहीं है, एक तथ्य है जिसको वह रखना चाहते हैं कि इस प्रकार से तथ्य हैं । म आपसे कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का यही विशेषता है कि जनता पार्टी अपने नेताओं के अपने साथियों के भ्रष्टाचार के मामले को भी संसद और इस सदन में लाते रहे हैं । यह इसकी विशिष्टता है । हमारे पूर्व कांग्रेसी शासन और इस जनता पार्टी के शासन में यह अन्तर है । स्वच्छ प्रशासन के लिए हम बचनबद्ध हैं । इसलिए यदि हमारे ऊपर लांछन होगा तो उसमें सफाई होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं । क्या आप इस कुर्सी से इस सदन को केवल कानूनी पेचीदगियों में बांधना चाहेंग या जहां पर पूरी सरकार की प्रतिष्ठा लगी हुई है । यह देखना पड़ेगा, जिसमें आपका बहुत बड़ा अंश होता है उस प्रतिष्ठा को रखने में, उत्तर प्रदेश की जनता के जो नमाइन्दे हैं जो गैलरी में खड़े हैं, जो कुछ हो रहा है क्या उसी का आश्रय लेकर इतने बड़े जघन्य काण्ड को इस बिना पर अस्वीकार किया जा रहा है कि वह नियम ३०१ में नहीं आ सकता है । मैंने कहा कि अगर मैं होता तो मैं कहता कि मेरे खिलाफ जो भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एफ० आई० आर० हों उन सबसे अवगत कराया जाये । आप कह रहे हैं कि विवाद बढ़ रहा है, इसीलिए आप इसको टालना चाहते हैं । औचित्य का तकाजा है कि तोमर जी जो प्रस्ताव लाना चाहते हैं वह लावे जिससे सदन को पूरी जानकारी हो जाये । मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं । यह आक्षेप नहीं है उनके विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज हैं और मुख्य मंत्री तथा मंत्री दबाव डाल रहें हैं । क्या उत्तर प्रदेश की जनता वह देखकर रह जाये । कानूनी पेचीदगी में आप इस सदन को न डालें । हम लोग इस चीज को नहीं होने देंगे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, जिस समय ओसान सिंह को इस सदन से निकाला गया तो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था नेता सदन ने नियमावली उठाकर दिखाया था कि यह सदन नियमावली के अनुसार चलेगा और आज अनुशासनहीनता को नियमावली के सहारे पर बढ़ावा दिया जा रहा है ।

(शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, आप नियम ३०१ को देखने की कृपा करें । नियम ३०१ में स्पष्ट रूप से प्राविधान किया गया है कि जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देंगे, जिसमें संक्षेप म उस विषय को बतायेंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों । माननीय तोमर जी ने सचिव को लिखित सूचना दी और आपने उसको स्वीकार किया आपने उसको देखा और नियमानुकूल पाया आपके विवेक ने फैसला किया । जो सूचना दी गयी है उसमें भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं और आपने उसको स्वीकार किया और तोमर जी को बुला लिया । अगर शतरुद्र प्रकाश जी आपत्ति करते हैं तो आपके विनिश्चिय के विरुद्ध होगा । शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि आपसे गलती हो सकती है तो यह भी आप पर आक्षेप है । मैं नियमों के अधीन आप से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय तोमर जी को अनुमति दें और उनको जो उन्होंने सूचना दी है उसको पढ़ने का आज्ञा दें । यह बड़ा ही गम्भीर मसला है । इसे जनता के सामने आना चाहिए । माननीय मंत्री जी बैठे हैं उनको इसी समय सफाई का भी मौका मिल जायेगा और पूरी बात साफ हो जायेगी ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामाधार पाण्डेय)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जो लोग बोल रहे हैं वह किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं, अपना प्रवचन दे रहे हैं ।

*परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने आपका ध्यान जिस प्रश्न की ओर आकृष्ट किया है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि माननीय राज मंगल पान्डेय जी ने अपने भाषण में जिस चीज की ओर ध्यान आकर्षित किया, वे कृपया स्मरण कर लें, उस समय इस माननीय सदन में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उस पर विचार हुआ था । मेरा निवेदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय—]

यह है कि यह कोई प्रस्ताव नहीं है। ३०१ में पहले माननीय सदस्य लिखित देंगे, फिर माननीय अध्यक्ष अगर अनुमति देते हैं तो सदन में पढ़ेंगे। जब कोई चीज पढ़ी जाती है तो वह सदन की प्रापर्टी हो जाती है, और ऐसी चीज अगर कोई होता है तो वह नियमों के विपरीत होगी, यह मैं कहना चाहता हूं। यह तो प्रत्येक माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह आपत्ति कर सकता है। मेरा आपत्ति यह है कि जिस चीज को ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया ज रहा है वह इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है..(व्यवधान—शोर)॥

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपया शोर न करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

तथ्यों को टेम्पर किया जा रहा है, इसलिये अविलम्बनीय लोक महत्व का है (व्यवधान)।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं माननीय सदस्य के विचारों को शान्ति के साथ सुन रहा था, हर माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, आप मुझे कहने दें। मैं यह कह रहा था कि यह इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, यह सारी जानकारी तो प्रश्न के जरिये भी की जा सकती थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी आप रूलिंग देंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आगे आने वाले समय में वह एक कन्वेन्शन का काम करेगा, इसलिये जो भी माननीय सदस्य बोलें, आप उनकी बात को सुन लें, पर अपनी रूलिंग सुरक्षित रखें और फिर विचार कर अपनी रूलिंग दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

बलिहारी है जनता पार्टी के ही लोग वह काम कर रहे हैं जो हमें करने थे। माननीय पान्डेय जी कल तक मुख्य मंत्री जी के बगलगीर थे, आज उन्हें भ्रष्टाचार नजर आया है, अच्छी बात है। माननीय तोमर जी ने जो पढ़ा है वह अखबार वालों ने भी सुन लिया है और प्रदेश की बैठी हुई जनता ने भी सुन लिया है, आप पूरी बात उनको सुन लें, फिर मंत्री जी को भी मौका दे दें, उनको भी हम सुन लें, सफाई हो जानी चाहिये हर बात की।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या भ्रष्टाचार है क्या नहीं, पर एक बात कहना चाहता हूं। नियम ३०१ के अन्तर्गत माननीय तोमर जी को सूचना पढ़ने की आपने इजाजत दी, आपने उसको स्वीकार कर लिया। दो-तिहाई हिस्सा उन्होंने पढ़ भी लिया, तो अब उसको क्यों रोक रहे हैं। उसको भी पढ़वा दें और मंत्री जी इसका जवाब दें। इसमें व्यवधान की क्या आवश्यकता है। इसको अब अगर रोक देंगे तो पीठासीन अधिकारी के लिये यह एक परम्परा बन जायेगी। अगर अब आप नहीं पढ़वाते हैं तो यह सही परम्परा नहीं होगी। मैं साफ-साफ बात कहना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आपने अभी बीच में यह कहा कि इस पर मैं पुनः विचार करूंग और जो परम्परायें थीं, या जो पहले के अध्यक्षों की रूलिंग हैं उनको हम देखेंग तब फैसला करेंगे । मैं समझता हूं कि यह फैसला तो आपको उसी वक्त करना चाहिए था, जब यह प्रश्न आपके सामने विचार के लिए और स्वीकार करने के लिए आया था । जैसा हमारे माननीय नेगी जी ने और राधेश्याम जी ने कहा कि काफी हिस्सा पढ़ा गया, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है । तो जो हिस्सा बाकी है, उसको भी इनसे पढ़वा लें और माननीय श्रम मंत्री जी से क्योंकि यह मुकदमे का सवाल है, मुकदमा क्या होगा, जाँच क्या होगी, अलग सवाल है, इस सरकार ने उसको वापस लिया कि नहीं, लेकिन व्यक्तिगत जो आरोप-प्रत्यारोप इस नोटिस के द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी के ऊपर है, मैंने देखा है कि उसमें रुपया लिया गया है, जमीन बचाई गयी है, इसलिए यह अखबार में चला गया । मैं भी इस राय में हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी से आज ही वक्तव्य दिलाया जाना चाहिए, नहीं तो एकतरफा बयानात बाहर चला जायगा और जो कौशिक जी चाहते हैं कि यह व्यक्तिगत लांछन है, यह परम्परा तो आपने तोड़ दिया, क्योंकि अभी मैनेजर सिंह जी ने स्वस्थ परम्परा की बात कह दी, हम अपने ही नेताओं की, अपने मंत्रियों की खुलेआम आमतौर से आलोचना करते हैं । जब आपने यह सुना दिया है, जनता स्टाइल बना दिया, सब कुछ करने के लिए बना दिया, तो मैं समझता हूं कि उसको फेस करना चाहिए । मेरा आग्रह है कि इसको स्थगित न करें । श्रम मंत्री जी से स्पष्टीकरण अभी करवा दें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं इस प्रश्न के ऊपर नहीं जाऊंगा कि यह ३०१ में जो भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जिक्र किया गया, उसके क्या तथ्य हैं । प्रश्न केवल यह है जिसका आपको निर्णय देना है कि क्या ३०१ में आप इस तरीके की इजाजत देंगे? अगर यह इजाजत दी गयी, आज अगर यह गलती यहां हो गयी, तो उसका नतीजा यह होगा कि फिर हर रोज जीरो आवर में आरोप और प्रत्यारोप होते रहेंगे ।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मधुकर दिघे--

जब यह प्रश्न आपके समक्ष मान्यवर, उपस्थित हुआ तो आपको उसी वक्त खारिज कर देना चाहिए था । अब भी मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य की इस बात पर राय जानने के बाद आप यहां पर यह निर्णय दे सकते हैं कि इसको ३०१ के अन्दर पढ़ने नहीं देंगे और जब भी कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहें तो उनको यह पूरा अधिकार है कि किसी भी आदमी के खिलाफ वे कोई बात ला सकते हैं, तो इस तरह से जिस पर चाहें आरोप लगा दिया जाय, परन्तु प्रश्नों के द्वारा वे आरोप लगा सकते हैं, उनको अधिकार है, क्योंकि जनतंत्र में जब तक यह अधिकार नहीं दे देंगे, जनतंत्र के तो हम ऐसे फालोवर हैं, मैं तो जनतंत्र में गाली देने का अधिकार भी सुरक्षित रखना चाहता हूं । मैं ऐसे नेता का शिष्य हूं जो अपने विरुद्ध गाली देने का अधिकार देता है ।

[श्री मधुकर दिघे]

हिटलर के राज्य में तो उसके पक्ष में ही बोलने का अधिकार था । जितने लोग ज्यादा जोर से बोल रहे हैं [***] इस पर एतराज उठाते हैं, इस तरह मुझे आश्चर्य होता है । ३०१ में अगर आप इजाजत दे देंगे, तो रोजाना लोग ३०१ में इस तरह के प्रश्न लायेंगे ।

इसलिए इसकी इजाजत नहीं देना चाहिए । माननीय तोमर जी नौजवान हैं, काफी जानकार हैं, वकील हैं, वे स्वस्थ परम्परा कायम करना चाहते हैं । पान्डेय जी काफी वरिष्ठ हैं, उनका ज्ञान हम सब लोगों से बड़ा है । इस प्रश्न को लेने के लिए तोमर जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला जा सकता । प्रश्न यह है कि नियम ३०१ में इस प्रश्न की इजाजत नहीं देना चाहिए, यदि दे भी दी गई तो हमें सुनने के बाद इसको कार्यवाही से निकाल कर अपना फैसला देना चाहिए ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष जी....।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ शब्द ऐसे बोले गये हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं गया । माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो बोल रहे हैं [***] माननीय दिघे जी ने गाली देने का अधिकार दे दिया लेकिन इस सदन की मर्यादा है कि उसी के अनुरूप विचार व्यक्त किये जाते हैं । न हम गाली सुनने के आदी हैं और न कहने के । यह शब्द माननीय दिघे जी वापस लें या इसे कार्यवाही से निकालें ।

श्री उपाध्यक्ष—

[***] जवानों की फौज कहा है मगर मैं कार्यवाही में इसको देख लूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा—

यह इस सदन की परम्परा रही है, आप नियम ३०१ देखें, उसमें लिखा है कि अध्यक्ष की सम्मति से आज्ञा प्रदान की जायेगी, याने कि निर्णय हो चुका । जिसका निर्णय हो गया उस पर विवाद ? इस प्रकार नई परम्परा कायम की जा रही है ।

५ मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं, सरकार को लिख दिया गया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी यह २६ अप्रैल के अखबार में है । ३०१ का प्रश्न दिया गया, स्वीकार किया और अपना निर्णय दे दिया, अब विवाद का प्रारम्भ होना नियमों के प्रतिकूल है और आपके निर्णय को चैलेन्ज करना है । मैं समझता हूं कि यह संसदीय परम्परा है और इस सदन का निर्णय है कि आपने जो निर्णय दे दिया उसे शिरोधार्य होना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, जो विवाद इस सिलसिले में नियम ३०१ के अन्तर्गत चला, जबसे ३०१ का नियम वहां लागू हुआ है उसी समय से इस नियम के अन्तर्गत उठायी गयी सूचनाओं की मर्यादा पूरे सदन से छिपी नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय तोमर जी ने जो एक मंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ नियम ३०१ में सूचना देने का प्रयास किया, चाहे वह एक मंत्री के खिलाफ हो या २ मंत्रियों के खिलाफ हो, उस पर दूसरे नियमों के अंदर चर्चा हो सकती थी। पहली बात, नियम ३०१ के अन्तर्गत व्यक्तिगत आक्षेप के बारे में जो प्राविधान है उसको देखते हुये इस तरह की सूचना की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। अब चूंकि एक मसला आगे बढ़ चुका है। लगभग दो तिहाई पढ़ चुके हैं। उससे ज्यादा गंभीरता की बात यह है कि यह पूरे सदन में चर्चा का विषय बन चुका है इसलिये इसको पढ़वा दिया जाय।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

लेकिन यह व्यवस्था जरूर कर दी जानी चाहिये कि भविष्य में नियम ३०१ के अन्तर्गत कोई भी ऐसी सूचना स्वीकार न हो जिसका सम्बन्ध व्यक्तिगत आक्षेप से हो।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, मुझको भी सुन लीजिये। व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिये।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपके द्वारा लिया हुआ निर्णय चाहे सदन में हो चाहे आपके कक्ष में वह निर्णय हो, निर्णय लेने के बाद वह हम सबके लिये शिरोधार्य है। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि ३०१ का प्रश्न मैंने २ पेज का दिया था उसमें से एक भाग को निकाल दिया गया और जो आपने आज्ञा दी उसको मैंने पढ़ा। तो प्रश्न यह है कि क्या निर्णय लेने के बाद किसी सदस्य को उसके औचित्य पर चुनौती देने का अधिकार है। दूसरे मैं दिवे जी की बहुत इज्जत करता हूं लेकिन मैं व्यवस्था चाहूंगा कि क्या सरकारी पक्ष का या इधर का कोई माननीय सदस्य आपके निर्णय को अनुचित बता सकता है और उसे रि-ओपेन किया जा सकता है। तो यह निर्णय आपको करना पड़ेगा कि एक बार ३०१ के प्रश्न आज्ञा देने के बाद यहां पर क्या उसको अनुचित कहने का अधिकार है। मेरा विचार है कि वह आपकी अवमानना है। मुझे कोई एतराज नहीं है कि दो दिन बहस चलाइये।

यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष आया है। मैं नहीं कहता कि मेरे मित्रों की राय गलत है लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकार का सवाल है। मान्यवर, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे सामने परम्परायें हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, हमारी लोक सभा की हैं। हमारी लोक सभा में इस देश के प्रधान मंत्री के लड़के के भ्रष्टाचार के सवाल पर ४ हफ्ते बहस चल सकती है। प्रधान मंत्री कह सकते हैं कि अगर मेरा सम्बन्ध हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस देश के नेता चौधरी चरण सिंह के दामाद के बारे में ३ हफ्ते बहस चल सकती है। वह कहते हैं कि मेरा अगर सम्बन्ध इससे हो तो मैं इस्तीफा दे दूं। लेकिन माननीय मंत्री का तो खद का गबन का मुकदमा है, हमें इसकी चर्चा करने का अधिकार है। मैं जानबूझ कर, समझकर हर बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

को जानकर यह सूचना पढ़ रहा हूं और सदन के सामने कहता हूं कि सदन की समिति बने अगर मेरी सूचना गलत है तो मैं सदन की सदस्यता का त्याग कर दूंगा और अगर सूचना सही है तो आक्षेप क्या है ?

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें । मान्यवर, आपकी पीठ से दी हुयी व्यवस्था को चुनौती देने और नियम का हवाला देते हुये व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का आग्रह करना यह दोनों दो चीजें हैं । हम लोग आपकी व्यवस्था को चुनौती देना नहीं चाहते, जिस नियम की परिधि में यह बात उठायी गयी है से कहकर पुनर्विचार का आग्रह कर रहे हैं ।

सवाल यह है कि किसी माननीय मंत्री के ऊपर यदि भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप हैं तो वह सदन के सामने आने चाहिये । उसको छिपाने का कोई प्रश्न नहीं होता है । लेकिन इन प्रश्नों को उठाने के सारे नियम विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में दिये हैं प्रश्नों के जरिये और विशेषाधिकार के जरिये इन सवालों को उठाया जा सकता है । इसलिये विशेषाधिकार के सम्बन्ध में यह प्रथा है कि जब कोई किसी के ऊपर आक्षेप करे तो उसकी दो प्रतियां आपके समक्ष दी जायं जिससे सम्बन्धित व्यक्ति से स्पष्टीकरण लिया जा सके । इसलिये मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो यह सूचना है वह नियम ३०१ की परिधि में नहीं आती, इसको दूसरे माध्यम से यहां लाना चाहिये । इसलिये इस प्रथा को आप न डालें, नहीं तो ३०१ की धारा जो सूचना के लिये लागू है उसका दुरुपयोग करने की संभावना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसमें मैं अपना निर्णय दे रहा हूं । मैंने इस सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों को सुना है । मैंने नियम ३०१ के अन्तर्गत एक सूचना जो श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने दिया उसको ध्यान से पढ़ा और नियम ३०१ को भी पढ़ा और जो उसमें आक्षेप थे मैंने उनको खारिज कर दिया और बाकी जितनी मानने वाली बात थी उसको माना । अब यह रहा कि इसके ऊपर विचार करना चाहिये कि इस तरह की सूचना को ३०१ में हम इजाजत दें या न दें । यह विचारणीय प्रश्न है । लेकिन चूंकि उसका आधा अंश श्री तोमर पढ़ चुके हैं और थोड़ा ही भाग बाकी रह गया है इसलिये आज तो इसको पढ़ने की इजाजत दे रहा हूं लेकिन कल इस सम्बन्ध में सारी पुरानी मिसालें जो हैं उनको देखकर एक निश्चय करूंगा कि भविष्य के लिये क्या इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं ३०१ में या नहीं ? वैसे नियम ३०१ को देखें तो उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है । उसमें यह है कि कोई माननीय सदस्य सदन के संज्ञान में कोई बात लाना चाहते हैं तो वह सचिव को लिखकर देते हैं । अध्यक्ष उसमें इजाजत यदि दे दें तो उनको पढ़ने की यहां इजाजत दी जायेगी वरना नहीं । तो मैंने जो आक्षेप थे जिनको अनुचित समझा, उनको काट दिया और तोमर जी को जितनी इजाजत दिया था उसके अलावा कुछ उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि "उन्होंने इतने लाख रुपये का गबन"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसको मैं कार्यवाही से निष्कासित करने का आदेश देता हूं और तोमर जी जितने की इजाजत दिया है, उसको ही पढ़े । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि नियम ३०१ के सम्बन्ध में कौन-कौन चीजें आनी चाहिए तो पुरानी मिसालें देखने के बाद मैं उसकी सदन में अपनी घोषणा करूंगा ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यदि आपका निर्णय पुनर्विचार करने के बाद नियम ३०१ में नहीं आना चाहिये तो मुझको कहने की इजाजत देंगे कि बाद में इसपर भी विचार कर लें कि कार्यवाही से उसको निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इजाजत दे दिया है, लेकिन इस पर पुनर्विचार करने की बात नहीं कहा है । प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इस तरह की बातें आनी चाहिए कि नहीं, इस पर विचार करके कल अपना निर्णय सदन में दूंगा ।

श्रम मन्त्री के विरुद्ध सी० आई० डी०, सहकारिता सेल द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, प्रदेश के वर्तमान श्रम मन्त्री के विरुद्ध सी० आई० डी० की सहकारिता सेल द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा ४०९ के अन्तर्गत बिजनौर में तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज कराई गई । प्रथम रिपोर्ट अपराध संख्या १२८/७७-ए, २०-४-७७ को तथा दूसरी एवं तीसरी रिपोर्ट १२-२-७८ को अपराध संख्या १२८/७७-बी तथा १२८-७७-सी के अन्तर्गत दर्ज कराई गई । इन रिपोर्टों के अन्तर्गत बिजनौर में गंगाराम वाला सहकारी कृषि समिति के सभी सदस्य या तो हटाये गये अथवा मर गये । किन्तु वर्तमान श्रम मन्त्री इस सोसाइटी के एक मात्र हिस्सेदार बचे रहे ।

उपरोक्त अपराधों में उनकी गम्भीरता को देखते हुये सी० आई० डी० की सहकारिता सेल द्वारा बड़ी लगन व निष्ठा के साथ अनुसंधान किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण जुटाये जा चुके हैं ।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करते हुये इस बात की मांग करता हूं कि सरकार स्पष्ट घोषणा करे कि अपराध की जांच निष्पक्ष रूप से होगी तथा अपराधी के पद का ध्यान न रखकर उसे समुचित दन्ड दिलाया जायेगा ।

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि श्रम मन्त्री के विरुद्ध उपरोक्त तीनों रिपोर्टों में दर्ज मुकदमों को तत्काल सक्षम न्यायालयों के लिए अभी निर्दिष्ट कर दिया जाय ।

*मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय, यह जनता पार्टी के राज्य का मुकदमा है ।

श्रम मन्त्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का उनके द्वारा स्पष्टीकरण

*श्रम मन्त्री (श्री क्रान्ति कुमार)—

माननीय, मुझे निवेदन करना है कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहुगुणा जी मुख्य मन्त्री पद से हटे और श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री हुए तो बराबर यह प्रयास चला कि जितने कांग्रेसी विधायक दल के लोग थे [****]

(व्यवधान)

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[****]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आरिफ साहब ने जो शब्द कहे हैं, वे कार्यवाही के अंग नहीं बनेंगे और (श्रम मन्त्री ने) [***] नाम लिया, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । आप कांग्रेस शासन के बारे में कह सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में (जोकि यहां मौजूद नहीं है) नहीं कहना चाहिये ।

श्री क्रान्ति कुमार—

लेकिन माननीय, जो एफ० आई० आर० है, उसके हिसाब से बताना जरूरी है ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मेरा निवेदन है कि...

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

माननीय मन्त्री जी पर इल्जाम है । अगर हिम्मत है तो बहादुरी से उसका सामना करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें । आप जैसे विद्वान सदस्य के लिए यह शोभा नहीं देता । जब उनको स्पष्टीकरण के लिए बुला लिया तो बीच में उनको न टोकें । अगर उनसे कोई वैसा शब्द निकल जायेगा तो वह अगर कार्यवाही से बाहर निकालने वाला होगा, तो निकाल देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मन्त्री जी भी क्या मीसा में बन्द थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस तरह से नहीं । माननीय श्रम मन्त्री जी जब स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं ?

श्री मुकीमुर्रहमान—

मान्यवर, अभी अभी विरोधी दल की ओर से कुछ लोग खड़े हुये । मुकदमा २५-७-७६ को दर्ज हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—

खुद माननीय मन्त्री जी को बताने दें आप क्यों कह रहे हैं ? कृपया बैठिये ।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मुकदमा गलत कायम किया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो उसको श्रम मन्त्री जी खुद कह लेंगे । आप क्यों कह रहे हैं ।

श्री बेनी प्रसाद माधव—

मान्यवर, उधर जो लोग बैठे हुये हैं, इस बात को जानते हैं कि कांग्रेसी जिनसे नाराज हुए, उन सभी को 'मीसा' में बन्द कर दिया, लेकिन माननीय श्रम मन्त्री जी तो ऐसे कृपा पात्रों में से हैं जो उधर उनसे भी मिले रहे और इधर भी मिले रहे । यह बिलकुल गलत बयानी कर रहे हैं । इनसे कोई कांग्रेसी नाराज नहीं था ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

आप क्या बोल रहे हैं । आप मीसा में बन्द हुए । पैरोल पर छूट कर आ गये ।

(व्यवधान)

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । आपने श्रम मन्त्री जी को बोलने का अवसर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका अधिकार है । उनके बारे में सदन में कुछ कहा गया है ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--

नियमों के अन्तर्गत होना चाहिए। एक सूचना माननीय सोहनवीर सिंह तोमर ने दी नियम ३०१ के अन्तर्गत । उसको पढ़ने के बाद उसके अंश को काटकर आपने निकाल दिया, यह कह कर कि यह आपत्तिजनक है, आक्षेप है। माननीय तोमर ने उतना ही अंश पढ़ा, जितने की आपने इजाजत दी। यह प्रश्न आपने सदन में स्वीकार कर लिया और वह यहां पढ़ दिया गया। माननीय मन्त्री जी उस सम्बन्ध में अपना लिखित वक्तव्य दें, जिसके लिये आप कोई तिथि निश्चित कर दें। अगर आप इस तरह से उनको कहने की अनुमति देंगे तो फिर यह चर्चा का विषय बन जायेगा और आप माननीय सदस्यों को रोक नहीं पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री को उसी समय अधिकार हो जाता है जब उनके बारे में कोई बात कही जाय। वह तत्काल अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--

मेरा यह भी व्यवस्था का प्रश्न है कि अगर माननीय मन्त्री जी का लिखित वक्तव्य आता तो आपको भी देखने का मौका मिलता कि इसमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक हैं। मान्यवर, अभी मुकदमा चल रहा है। ऐसे तथ्य यहां नहीं कहने चाहिए, जिनसे मुकदमे पर असर पड़े। अनर्गल बातें यहां सदन में कही जायेंगी तो उनका असर मुकदमे पर पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आपका तर्क मान लिया जाय तो जो मैंने आज्ञा माननीय सोहनवीर सिंह तोमर को दी, मुझे नहीं देनी चाहिए थी।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--

यह अब उसी से सम्बन्धित वक्तव्य दे रहे हैं। इनको अपना लिखित वक्तव्य पहले देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह परम्परा नहीं रही है।

श्री मान सिंह आजाद--

[***]

श्री उपाध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा। यह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा।

(व्यवधान)

नोट :--[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री क्रान्ति कुमार—

मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में सन् ७६ में जो राजनीतिक स्थिति हुई, उस समय मैं जिला कांग्रेस कमेटी, बिजनौर का अध्यक्ष था और श्री हरपाल शास्त्री महा मन्त्री थे। बिजनौर जिला कांग्रेस कमेटी ऐसी थी जो कि उस समय जो कुछ हो रहा था, उसको एप्रूव नहीं करती थी। मुझ पर नारायण दत्त जी का काफी प्रेशर रहा मैंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद कोआपरेटिव बैंक के शास्त्री जी अध्यक्ष थे, मैं भी एक संचालक था। एक व्यक्ति ने एक कम्प्लेंट माननीय कोआपरेटिव मिनिस्टर को दी और उसके आधार पर एक एफ० आई० आर०, बिजनौर में १९७६ में लिखी गई। मुझे उस समय तक यह नहीं मालूम था कि इस एफ० आई० आर० में मेरा भी नाम है। मैं कहना चाहूंगा कि कोआपरेटिव बैंक में १२ डायरेक्टर हैं और अगर बोर्ड ने कोई गलत काम किया है तो सभी डायरेक्टर्स उसके लिए समान रूप से जिम्मेदार होंगे।.... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप सब शांतिपूर्ण ढंग से सुनिये। जब आपने कहा है तो सुनने का धैर्य रखिये।

श्री क्रान्ति कुमार—

सन् १९७६ से बराबर यह चीज चल रही है, बातें कही जा रही हैं और अखबारों में इसका प्रचार चल रहा है। मेरे पास एक बार एक आदमी आया और उसने पूछा कि आपके खिलाफ एफ० आई० आर० है। आज तक उस मुकदमें के अन्दर न चार्जशीट लगी है और न मुझसे कुछ कहा गया। मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर आप कोई कमेटी बनाना चाहें, कोई तफ्तीश करना चाहें। आज ३ साल हो गये एफ० आई० आर० दर्ज किये और कुछ नहीं हुआ। यह तो पूरे बोर्ड का सवाल है, अगर बोर्ड ने कोई गलत काम किया है तो उसके सभी डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे। मैंने उस समय जो कोआपरेटिव मिनिस्टर थे, मैंने एडवोकेट जनरल से भी बात की कि यह एफ० आई० आर० लिखी गई है, क्या मेरे खिलाफ कोई केस बनता है? लेकिन उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बनता है। लेकिन पोलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि यह केस अभी तक चल रहा है। मैं तो आपसे दर्खास्त करूंगा कि यह जो भी कुछ किया जा रहा है, जिस तरह से इस बात को लाया जा रहा है, यह इमरजेन्सी के दौरान हमारे ऊपर एक ज्यादती हुई है, वह ज्यादती आज तक चल रही है। यह एक राजनैतिक हत्या का प्रयास है। यह एक राजनीतिक तरीके से मुझ पर लांछन लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—

मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं, माननीय मन्त्री जी से।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इसके ऊपर किसी को इजाजत नहीं दूंगा। आप नियम के अन्तर्गत कोई स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री से नहीं पूछ सकते। अब मैं आपको इसकी इजाजत नहीं देता हूं और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य बैठ जायं। मन्त्री जी, आप भी बैठ जायं। अब इसके ऊपर काफी माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाकर बोल चुके और माननीय तोमर जी ने अपनी सूचना पढ़ भी

[श्री उपाध्यक्ष---]

दिया और उसका स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री जी ने अभी दे दिया। नियम के अन्तर्गत अब मैं इसके ऊपर किसी माननीय सदस्य को माननीय श्रम मन्त्री से स्पष्टीकरण मांगने की इजाजत नहीं देता। अब कृपया आप आगे की कार्यवाही चलने दें। इस समय आपको हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। मैंने इसके ऊपर काफी समय आपको दिया। कृपया अब अनावश्यक रूप से और समय न लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, आप बोलें।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव---

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठ जायें। आपका कोई औचित्य का प्रश्न होगा तो मैं सुन लूंगा। अब मैं श्री शतरुद्र प्रकाश जी को पुकार चुका हूं।

स्कूल चलाने के लिए लाइसेन्स प्रणाली लागू करने सम्बन्धी शिक्षा मन्त्री के वक्तव्य पर औचित्य का प्रश्न

***श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---**

मान्यवर, मैं नियम ३०० के अन्दर एक औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं। ३० अप्रैल को प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मन्त्री श्री कैलाश नाथ सिंह जी ने वाराणसी में एक सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि अब उत्तर प्रदेश के अन्दर स्कूलों को चलाने के लिए लाइसेन्स लेने की जरूरत पड़ेगी। मान्यवर, यह बयान उनका एक तारीख को कानपुर से प्रकाशित 'आज' समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ और उसके बाद ३ मई को 'जागरण' में भी सम्पादकीय लिखा गया है, जिसकी २-३ पंक्तियां मैं आपकी अनुज्ञा से पढ़कर सुना दूं :---

"उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मन्त्री ने अभी हाल ही में घोषणा करी है कि राज्य सरकार शीघ्र ही स्कूलों के संदर्भ में लाइसेन्स प्रणाली आरम्भ करने जा रही है तथा भविष्य में कोई भी स्कूल बिना लाइसेन्स लिए चालू नहीं हो सकेगा।"

मान्यवर, इस पर एक लम्बा-चौड़ा सम्पादकीय है। इसके पहले 'आज' जो कानपुर से प्रकाशित होता है, उसमें भी इस प्रकार का समाचार छपा और वाराणसी के समाचार-पत्र में भी छपा। मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि संसदीय लोकतन्त्र की परम्परा को जिन्दा रखने की जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है, जितनी जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की है, उतनी ही शासन पक्ष की भी है। आपकी पीठ से यह व्यवस्था रही है कि जब भी विधान सभा का सत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आहूत होने वाला हो या हो रहा हो, उस समय शासन का कोई भी मन्त्री नीति के सम्बन्ध में सदन के बाहर किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं करेगा। अगर किसी मन्त्री को नीति के सम्बन्ध में कोई घोषणा करनी है तो वह सदन के अन्दर ही घोषणा करेगा, सदन के बाहर नहीं। लेकिन ३० अप्रैल को माननीय माध्यमिक शिक्षा मन्त्री ने वाराणसी में जो घोषणा की ह, वह नीति के सम्बन्ध में है।

अभी उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी भी शिक्षा संस्थायें चल रही हैं, उनको किसी भी प्रकार का लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन्त्री जी ने घोषणा की ह कि भविष्य में लाइसेन्स प्रणाली शीघ्र ही लागू की जा रही है। यह बात समाचारों और सम्पादकीय में भी कही गई है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी यहां मौजद हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि संसदीय लोकतन्त्र की परम्परा का निर्वाहन करने के लिए यह आवश्यक है कि संसदीय मर्यादाओं का पालन किया जाए और इसके लिये यह जरूरी है कि जिस तरह की घोषणा सदन के बाहर होती है, ये न हों। मैं इसके सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। आप मन्त्री जी को निर्देश दें कि सदन के अन्दर अपना वक्तव्य दें ताकि कोई भी मन्त्रि परिषद् का सदस्य नीति के सम्बन्ध में सदन के अन्दर ही कोई घोषणा करे, सदन के बाहर न करे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

इनका हो जाये। इन्होंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, इस पर पहले मैं अपना निर्णय दे दूं।

कुंवर सत्यवीर (जिला बिजनौर)--

मान्यवर, मेरे जिले में जो अनियमितता और भ्रष्टाचार के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो समाप्त हो गया। माननीय शिक्षा मन्त्री जी, आप शतरुद्र प्रकाश जी के औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें, तो कहें।

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)--

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकृष्ट किया है, उसमें दो बात प्रमुख हैं। पहली बात यह है कि राज्य सरकार शीघ्र ही स्कूलों के संदर्भ में लाइसेन्स प्रणाली आरम्भ करने जा रही है। दूसरी यह है कि भविष्य में कोई भी स्कूल बिना लाइसेन्स लिए हुए चालू नहीं हो सकेगा। मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं कि ३० तारीख को यह बात कही गई, लेकिन उसके अन्तर्गत कोई नीति गत बात कहने की कोशिश मैंने नहीं की। जिस अखबार का उद्धरण दिया गया, अगर उस पूरी बात को पढ़ दिया गया होता तो बात स्पष्ट हो जाती। मान्यवर, मैंने यह कहा था कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो स्कूल, विद्यालय खोलकर, फीस ज्यादा लेकर

[श्री कैलाश नाथ सिंह]

कम तनख्वाह दे कर और इस प्रकार से निजी उद्योग कायम करना चाहते हैं। सरकार उन पर पाबन्दी लगाने का प्रयास कर रही है। मैंने यह कहा था। चूंकि केरल में लाइसेन्स की व्यवस्था है ऐसे स्कूलों पर पाबन्दी लगाने के लिए इसलिए अखबार वालों ने इन शब्दों का प्रयोग किया होगा। ऐसे विद्यालयों में पाबन्दी लगाने की बात है जिनकी ओर अखबार ने इशारा किया है।

कोठारी कमीशन की रिपोर्ट है कि यह जो विद्यालय खोले गये हैं भारत में शिक्षा का एक अत्यधिक सुसंगठित निजी उद्योग है। इस निजी उद्योग की बात अखबार ने की है। और यह भी कहा है कि केवल इतना ही नहीं खातों में हेरा-फेरी, फीस में ज्यादती, मास्टरों को तनख्वाह कम देना, भ्रष्टाचार का बोल बाला और प्राइमरी स्कूलों को अधिक से अधिक खोल कर लोगों को प्रलोभन देकर चरित्र की गिरावट। यह बात कही थी कि ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान निश्चित हैं और सरकार उन पर पाबन्दी लगाने पर विचार करेगी। मैंने कोई नीतिगत बात बाहर नहीं कही थी। मैं समझता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शतरुद्र प्रकाश ने औचित्य का प्रश्न उठाया है मैंने माननीय मन्त्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई नीति सम्बन्धी चर्चा या वक्तव्य नहीं दिया। कुछ ऐसी बातें थी जिनके ऊपर प्रकाश डालना था जो उनके विभाग से सम्बन्धित हैं। इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

मेरठ हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारित किये जाने पर आपत्ति

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार जब से बनी नई-नई परम्परायें डाली जा रही हैं। कल आकाशवाणी लखनऊ से सरकार की तरफ से एक समाचार प्रसारित किया गया कि मंत्रि मन्डल ने यह निर्णय ले लिया है कि मेरठ के अन्दर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित की जायगी। मान्यवर, कल सदन चल रहा था अगर ऐसा कोई निर्णय सरकार ने लिया है तो सरकार का कर्तव्य था कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा इस माननीय सदन में करती। रेडियो में आ गया, आज के अखबारों के अन्दर आ गया लेकिन आज भी मंत्रि मंडल के किसी सदस्य ने इस माननीय सदन में घोषणा नहीं की कि रेडियो में या अखबारों में प्रसारित समाचार गलत है या सही है। आप व्यवस्था दें। जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी निर्णयों की सूचना इस सदन में न दे कर बाहर अखबारों के माध्यम से प्रसारित करने की इजाजत आप सरकार को देंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे कि क्या वास्तव में ऐसा कोई निर्णय लिया गया है, यदि लिया गया है तो क्यों रेडियो में प्रसारित करने से पूर्व, समाचार पत्रों में आने से पूर्व इसकी घोषणा इस सदन में नहीं की गयी।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, यह कोई नया प्रश्न उपस्थित नहीं हो रहा है। इसकी चर्चा विभिन्न अवसरों पर हुई। मैं नहीं जानता कि यह कैसे आल इंडिया रेडियो ने दिया। कम से कम यहां से तो कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया गया। इस सिलसिले में कोई सूचना उनको प्राप्त हो गयी हो। आम तौर पर इसकी चर्चा हो रही है। यही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाउस में भी हुई है, बाहर भी हो रही है। जब कभी बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया जायगा तो यह तब होगा जब भारत सरकार की राय ली जायगी। निर्णय वहाँ से लिया जायगा। जब अधिकृत मामला हो जायगा तभी इसकी घोषणा सदन में हो सकेगी। चर्चा और प्रश्न उपस्थित होते हैं लेकिन निर्णय तब तक घोषित नहीं होते हैं जब तक फाइनली डिसाइड नहीं होता। इसलिए मैं नेगी जी की इस बात से सहमत हूं कि कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बाहर उद्घोषित नहीं करना करना चाहिए जो कि सदन में उद्घोषित न हो। लेकिन यह प्रश्न आम चर्चा का विषय है। उस पर अगर आल इंडिया रेडियो ने खबर दे दी है तो मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर चर्चा न हो।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैंने स्वयं सुना। उसमें स्पष्ट शब्द ये हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रि मंडल ने निर्णय ले लिया है कि मेरठ के अन्दर हाई कोर्ट की बेन्च स्थापित की जायगी। कृपा कर क्या आप पता लगायेंगे कि यह खबर सही है जब कि आप कह रहे हैं कि उस पर अभी विचार कर रहे हैं और मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय नहीं लिया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मैंने यह कहा जब इसमें अन्तिम निर्णय हो जायगा तब हम सदन में उसकी घोषणा करेंगे। वैसे इस पर लगातार विचार चल रहा है कैबिनट में क्या-क्या फैसले होते हैं, कहां जाते हैं किन स्टेजेज से वे गुजरते हैं उसका उद्घाटन हम यहां नहीं करते, जब अन्तिम निर्णय होगा तो हम उसका उद्घाटन सदन में नहीं करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आपका रेडियो सरकारी एजेंसी है, उसने कैसे उसकी घोषणा कर दी?

श्री उपाध्यक्ष--

संसदीय कार्य मन्त्री देख लेंगे कि रेडियो पर कैसे यह घोषणा हुई ?

नियम ३०१ की सूचनाओं के उत्तर में विलम्ब होने एवं उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिये जाने पर आपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्था हो चुकी है कि नियम ३०१ के अन्तर्गत जो सूचनायें यहां पढ़ी जाती हैं रोज और उस सम्बन्ध में पूर्ववर्ती अध्यक्ष द्वारा भी निर्देश दिये गये हैं उनकी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। ३०१ की सूचना देने के सात दिन के अन्दर अन्तरिम उत्तर माननीय सदस्य को माननीय मन्त्री के हस्ताक्षर से मिल जाना चाहिये लेकिन पिछले सत्र की सूचनाओं के उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं। इसका परिणाम यह होता हो कि जो महत्वपूर्ण सूचनायें सदन को जाती है वें बेमतलब हो जाती है। एक सूचना का उत्तर जो पिछले सत्र में दी गयी थी मुझे कल मिला है और वह भी श्री माथुर के हस्ताक्षर से ग्राम विकास मन्त्री के हस्ताक्षर से नहीं। यह स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार की अवहेलना है क्योंकि सूचना का उत्तर मन्त्री के हस्ताक्षर से आना चाहिये था। यह बहुत अहम सवाल है, यह इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों का सवाल है। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

आप संसदीय कार्य मन्त्री के माध्यम से सरकार को निर्देश दें कि जो भी सूचना दी जाय उसका उत्तर ७ दिन के अन्दर सम्बन्धित मन्त्री के हस्ताक्षर से अनिवार्य रूप से सदस्य को मिल जाय । दूसरे, मुझे यह निवेदन करना है कि पिछला सत्र ९ दिन का हुआ था उस सम्बन्ध में सदन को यह सूचना दी जाय कि कितनी सूचनायें ९ दिनों में नियम ३०१ के अन्तर्गत दी गयी थीं और अन्तरिम तथा अन्तिम उत्तर उनके सम्बन्ध में किस तारीख तक दिये गये । इसका पूर्ण विवरण आदरणीय सदन के पटल पर रखा जाय । अगर आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा । अगर सूचना देने के उपरान्त कोई उत्तर नहीं आया तो भाषण मात्र हो कर रह जायगा और उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो पायगा । सचिव की ओर से भी अगर उत्तर दिया जाता है तो स्पष्ट रूप से यह अवमानना है सदन की ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया है इसके बारे में अध्यक्ष की तरफ से कई बार निर्देश सरकार को दिये जा चुके हैं कि ३०१ की सूचनायें जो माननीय सदस्य देते हैं उन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तरिम उत्तर १ सप्ताह के अन्दर तथा अन्तिम उत्तर १ महीने के अन्दर सदस्यों को प्राप्त हो जाने चाहिये और उत्तर मन्त्री के हस्ताक्षर से जाने चाहिये । मैं शासन का ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें ढिलाई नहीं होना चाहिये । माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्यायें यहां रखते हैं तो वे आशा करते हैं कि उनको उत्तर भी मिल जाने चाहिये । इसलिये इसमें कोई ढिलाई सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए और मैं यह भी चाहूंगा कि सदन जब प्रारम्भ होता है तो उसके प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचना मिल जानी चाहिए कि पिछले सत्र में कितनी सूचनायें माननीय सदस्यों ने दीं और उनके ऊपर क्या–क्या कार्यवाही हुई ।

श्री गयेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

इसे कोई मन्त्री नहीं सुनता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे वे ध्यान से सुन रहे हैं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

श्री हेमराज लोधी एवं श्री चन्द्रपाल, सदस्यगण, विधान सभा ने २ मई, १९७९ को माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री, श्री जमुना प्रसाद बोस के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री ने २६ मार्च, १९७९ को सदन में एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि उन्नाव के बी० डी० ओ० नवाबगंज तथा अन्य कर्मचारी निलम्बित कर दिये गये हैं तथा जिला विकास अधिकारी, उन्नाव का स्थानान्तरण कर दिया गया, परन्तु अभी भी उक्त कर्मचारी पूर्व की भांति कार्य कर रहे हैं । माननीय श्री लोधी को तथा सदन को गलत सूचना दे कर उन्होंने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया है । ग्राम्य विकास मन्त्री ने लिखित रूप से वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुये कहा कि २६ मार्च, १९७९ को सदन में जो उत्तर दिया गया है, वह सही था । जिला

विकास अधिकारी, के स्थानान्तरण आदेश जारी किये जा चुके हैं। खन्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं ब्लाक संगठनकर्त्ता प्रान्तीय विकास दल को निलम्बित करने के आदेश भी जारी किये जा चुके हैं। इस प्रकार माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री का कहना है कि माननीय सदन को कोई गलत सूचना नहीं दी गयी।

माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना के साथ ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिनके आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा जा सके कि माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के लिये सदन को गलत सूचना दी है। इस कारण से तथा माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री के उक्त स्पष्टीकरण को देखते हुये मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के उक्त प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। किन्तु मैं माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में पुनः जांच करा कर वह सुनिश्चित करा लें कि आदेशों का पालन हुआ है या नहीं और इसकी सूचना भी दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, उन्नाव से टेलीफोन पर पूछा जा सकता है कि क्या वस्तुस्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष—

५ तारीख को माननीय मन्त्री जी इसकी सूचना दे देंगे।

एक दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न जिस पर कल चर्चा हुई थी उस पर मैं कल अपना निर्णय दूंगा।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक ३ मई, १९७१ को नियम ५६ की ५ सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनको मैंने अस्वीकार किया है। पहली श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, हुकुम चन्द तिवारी आदि सदस्यों ने दी है कि प्रदेश के प्रशासन द्वारा गेहूं की खरीद की उचित व्यवस्था न होने के कारण मंडियों में गेहूं के मूल्य गिर जाने से किसानों में व्यापक रोष पैदा हो गया है। यह प्रश्नों के योग्य विषय है। श्री मोहन लाल, श्री आरिफ मोहम्मद खां तथा श्री राम दुलारे ने सूचना दी है कि २९ मार्च, १९७१ को इलाहाबाद के नैनी औद्योगिक संस्थान में पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर गोली चलाई गई। यह प्रशासन से सम्बन्धित मामला है। इसलिए इसे अस्वीकृत किया है। एक सूचना श्री गुलाब सेहरा ने दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ७ अप्रैल, १९७१ को मैनपुरी के कुरावली कस्बे में श्री किशन लाल वर्मा को गोली मार कर हत्या की गई। तो यह एक सीमित महत्व का प्रश्न है। नियम ५६ में स्वीकार नहीं किया है लेकिन मैं शासन से चाहूंगा कि वह इसकी पूरी तरह से इन्क्वायरी करा लें और तथ्य की सूचना सदन को दे।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष जी, मैं चाहता था कि मैं कुछ तथ्य इसमें रख देता ताकि सूचना एकत्र करने में आसानी होती। राजनीतिक हत्याओं का दौर चल रहा है गाजियाबाद के भूतपूर्व विधायक श्री प्यारे लाल शर्मा की हत्या की गई, बदायूं के विधायक की हत्या की गई और अब टाउन एरिया के २५ साल से जो चैयरमैन रहे हैं जो कभी हारे नहीं उनकी हत्या कर दी गई। तो यह राजनीतिक हत्याओं का दौर घातक होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा है, आप लिख कर मन्त्री जी को भेज दें।

श्री गुलाब सेहरा--

राजनीतिक द्वेष की भावना से हत्या की गई और थाने से करीब ७० फीट की दूरी पर हत्या की गई। इसमें पूरे का पूरा पुलिस का स्टाफ भी मिला हुआ है। श्रीमन्, हत्या करने के बाद हत्यारे दूकानों पर बैठे रहे और बाद में गायब हुए। वहां के एस०एस०पी० को प्रेसराइज किया गया। हत्या करने के बाद टाउन एरिया के चेयरमैन की रिवाल्वर जो थी उसको छुआ तक नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष--

जांच के लिए कहा है और इसे शासन को भेज देंगे आप कृपया जो बता रहे हैं, उन तथ्यों को लिख कर भेज दें जिससे जांच करने में आसानी होगी।

श्री गुलाब सेहरा--

जांच या तो विजिलेंस से कराई जाय या सी० आई० डी० से कराई जाय। अगर पुलिस अधिकारी कोई चला गया तो वह जांच ठीक से नहीं करेगा जिससे तथ्य सामने नहीं आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

लिख कर भेज दीजिये अगर इसे राजनीतिक हत्या मानते हैं तो इसकी जांच अपनी पुलिस से न करा कर विजिलेंस से या तो सी० आई० डी० से करायें।

श्री गुलाब सेहरा--

जब एक मन्त्री जी इसमें शामिल हों, तब क्या होगा? एक मन्त्री जी शामिल हैं क्योंकि वह २० वर्ष से उनके विरुद्ध रहे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिख कर भेज दीजिये कि जांच सी० बी० आई० से करायें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है नैनी के मुतालिक। मैं यह जानना चाहता हूं कि ७ आदमियों के मरने और २० आदमियों के घायल होने को आप कार्यस्थगन में स्वीकार नहीं करेंगे तो कितने आदमियों के मरने और घायल होने पर आप कार्य स्थगन स्वीकार करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रशासन सम्बन्धी मामला है। इसको लिख कर भेज सकते हैं और चार दिन बाद बजट के ऊपर चर्चा आयेगी, उस पर आप बोल सकते हैं।

एक श्री रणजीत सिंह जूदेव का है जो दिनांक २४ अप्रैल, १९७९ को जिला बांदा के पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के घर के अन्दर घुस कर श्री बिजय बहादुर सिंह एवं श्री नवाब सिंह को अपमानित करके पकड़ ले जाने के सम्बन्ध में है। इसे आप प्रश्नों के द्वारा पूछ सकते ह। इसे मने अस्वीकार कर दिया है।

अब यह श्री राम आसरे वर्मा का जो प्रस्ताव है, इसको लेता हूं ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पान्डेय)--

मान्यवर, थोड़ा सा व्यवधान मैं चाहता हूं । मान्यवर, तीन बजे के लिये आपने एक आदेश दिया था वक्तव्य देने के लिये जो कि स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में था ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह साढ़े चार बजे होगा ।

श्री रामाधार पान्डेय—

मैं सूचना देना चाहता हूं कि वह हड़ताल समाप्त हो गई है कल रात १० बजे से, अगर आदेश हों तो वह वक्तव्य देने की अब आवश्यकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसे आप साढ़े चार बजे बता दीजिये ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९†

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ का अननुमोदन करता है ।

(इस समय १ बज कर ५१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेम सिंह चौहान पीठासीन हुये) ।

मान्यवर, जो संशोधन अध्यादेश हमारे सामने है, बिना जनहित को सामने रखे हुए, मात्र हड़ताल की धमकी के कारण यह लाया जा रहा है । साथ ही इसमें बताया गया है कि नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया द्वारा उद्गृहीत पथ कर और चुंगी पूर्णरूप से समाप्त किया जाय तथा नगर पालिकाओं में उद्गृहीत पथकर ऐसी गाड़ियों से जो बिना माल उतारे केवल उनकी सीमा से गुजरे, समाप्त कर दिया जाए। इसके आगे और भी है इस निर्णय के परिणाम स्वरूप स्थानीय निकायों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए अन्य उपाय किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि हम जब तक उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था न कर लें, इसे इस प्रकार नहीं लाना चाहिए। हर चीज में तो यह वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं, इसमें भी कर लें, तभी इसे ले आवें । यहां पर नोटीफाइड एरिया और टाऊन एरिया की आमदनी में जो घाटा होगा, उसके बारे में विकल्प की कोई व्यवस्था नहीं है और यह करने जा रहे हैं। किन्तु यह अध्यादेश ले आए। तो यह देखते हुए कि अभी कोई विकल्प नहीं सोंचा गया है और इस मामले में जनहित को सामने नहीं रखा गया है, मैंने इस संकल्प को पेश किया है । यदि

†दिनांक ४ मई, १९७९ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री राम आसरे वर्मा--]

इसका बिकल्प भी खोज लिया जाएगा तो उसका आघात जनता पर पड़ेगा । इससे ज्यादा पैसे वालों को ही फायदा होगा । उनकी हानि को पूरा किया जाएगा और उसे शायद यह सर्वसाधारण जनता पर टैक्स लगा कर पूरा करेंगे । म निवेदन करूंगा कि यह सदन इस अध्यादेश का अननुमोदन करे ।

*स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पान्डेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ पर विचार किया जाय ।

(मन्त्री जी के बैठ जाने पर)

श्री अधिष्ठाता--

मन्त्री जी, इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहे, तो करें ।

श्री रामाधार पान्डेय--

इस प्रस्ताव पर जो अननुमोदन का संकल्प लाया गया है, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, और न यह सामयिक और उचित है । टोल-टैक्स की जो व्यवस्था नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया और छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज में थी, उसके सम्बन्ध में जो चालक हैं यातायात के, जो सड़कों का प्रयोग करते हैं, एक लम्बे अर्से से उसके प्रति उनमें एक असन्तोष था । क्योंकि उनकी गति में काफी रुकावट पड़ जाती थी । इसको हटाने की उनकी मांग बहुत दिनों से चल रही थी और इसी टोल-टैक्स व्यवस्था के विरोध में उन्होंने दिसम्बर मास में एक प्रदेशव्यापी हड़ताल भी आयोजित की थी, इस मामले को लेकर कि इस टोल टैक्स को समाप्त किया जाय । उस वक्त कुछ बातें उनके साथ हुई और उनके साथ जो समझौता हुआ वह एक सही समझौता था । उसी के अधीनस्थ यह अध्यादेश बना था, जो अब एक संशोधन विधेयक के रूप में हमारे समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है ।

माननीय, इसकी बुनियाद क्या है ? जिन टाउन एरियाज, स्वायत्तशासी संस्थाओं के क्षेत्र से यह बसें चाहे प्रदेश के बाहर की हों या अन्दर की हों गुजरती थीं, उनको रोक कर पैसा लिया जाता था, टोल-टैक्स के रूप में । इस व्यवस्था को हमने इसलिए माना, इस प्रकार से जो क्षति होती थी, उसकी पूर्ति बहुत आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई । टोल-टैक्स से करीब दो करोड़ रुपये का हमें नुकसान था । यह जोड़ा गया कि जो पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं, वह टोल-टैक्स में जो पैसा देती हैं और जो बाहर की गाड़ियां एंट्री फी देती हैं सब को जोड़कर तकरीबन छः करोड़ रुपये का नुकसान इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को होगा जिसके लिए प्राविधान किया गया परिवहन कानून में, जो केन्द्रीय कानून है और केन्द्र की अनुमति के बाद ही वह संशोधन हो सकता है, वह अनुमति मिल गई है । उसमें यह प्राविधान किया गया कि जो गाड़ियां इस प्रदेश से चलती हैं, जब उनके रजिस्ट्रेशन का मौका आयेगा तो उन स्वायत्तशासी संस्थाओं के नुकसान की पूर्ति के लिए दो सैकड़ा गुड्स टैक्स और एक सैकड़ा पसेंजर टैक्स वहीं पर ले लेंगे । इस प्रकार से हमारा अनुमान है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करीब चार करोड़ रुपये की पूर्ति, क्षति की, हो जायगी। जो गाड़ियां बाहर से आती हैं उन पर सीमा शुल्क लगायेंगे, बैरियर पर एंट्री के वक्त उनसे पैसा ले लेंगे। इस तरह से हमारी दो करोड़ रुपये की क्षति की पूर्ति होगी। इस प्रकार छः करोड़ रुपये की क्षति, जो टोल बैरियर को हटाने से विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं को होगी, उनकी पूर्ति उस रुपये से हो सकेगी। तीन साल की जो आमदनी रहती है उसका औसत निकाल कर अनुदान की रकम तय कर लेंगे। यह एक सुलभ तरीका हमने निकाला है, जिससे ट्रक और बस चलाने वालों को असुविधा न हो। वे ट्रांसपोर्ट आफिस में जाकर उनको पैसा जमा करना पड़ता है, उसी के साथ यह भी पैसा दे दें। दूसरे, पैसेंजर और माल गाड़ियां द्रुत गति से अपन डैस्टिनेशन पर चलें। रास्ते में १०-२०-२५ जगह व्यवधान न हो। बढ़ते हुए समाज में जहां रोड ट्रैफिक जोरों से बढ़ रहा है यह एक आवश्यक और सामयिक चीज है। इसलिए ट्रक और बस आपरेटर्स की मांग को मानते हुए उनके समझौते के साथ यह अध्यादेश पारित इसलिए किया गया कि समझौते की जो शर्तें थीं, पिछले शासन में जो वादे की पूर्ति नहीं होती थी, यह शासन दृढ़ संकल्प है कि उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा, उसको हमने पूरा करने के लिए अध्यादेश लाना जरूरी समझा ताकि हम वादाखिलाफ न कहे जायं। इसलिए अननुमोदन का प्रस्ताव निरर्थक प्रस्ताव है।

माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को जो घाटा लगेगा उसकी व्यवस्था नहीं है। जो उनको छः करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा होगा, मैं नहीं कहता कि अनुमान हमेशा सही होता है, इस छः करोड़ रुपये की व्यवस्था दो सैकड़ा और एक सैकड़ा गुड्स पैसेंजर टैक्स लगाकर कर लेंगे। यह रकम बढ़ेगी। घटन की सम्भावना नहीं है क्योंकि बहुत सी बसें जो छूट जाया करती थीं, इसमें रुकावट होगी, सही मानी में पैसा ब्यौरा लिखा जायगा। हमारे १६०० बैरियर्स हैं। १७००० आदमी मैन करते थे, उनका क्या होगा। हम एक आदमी को नौकरी से बाहर नहीं करेंगे। जितने सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको वहां पर रखेंगे। बाकी लोगों को विभिन्न महापालिकाओं में रखेंगे। जहां पर वह काम करते थे वह वहीं पर रह जायेंगे। अगर वह दूसरी जगहों पर जाना चाहेंगे और हम उसको उचित समझेंगे तो करेंगे। रोजी और रोटी पर कोई असर नहीं पड़ने पायेगा। उनको निकाला नहीं जायेगा। बैरियर टूटने के बाद भी सभी लोग कार्यरत रहेंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अननुमोदन के प्रस्ताव को वापस ले लें। जो विधेयक माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत है उसको आप स्वीकार करें, यह मेरी आपसे गुजारिश है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

यह बिल जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही छोटा है और उसके द्वारा ट्रक आनर्स की जो दिक्कतें हैं वह दूर होंगी, लेकिन मैं बुनियादी प्रश्न को उठाना चाहता हूं कि जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनकी आय के स्रोत क्या रह गए हैं....

श्री अधिष्ठाता---

वर्मा जी, आप संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा---

दोनों ही कर रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

आप संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधयक, १९७९ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो १५ दिन के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

श्री रामाधार पान्डेय--

आप संशोधन के साथ (द्वितीय) भी पहले कहें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, शासन ने ट्रक ओनर्स की परेशानी को समझा, उन्होंने हड़ताल की धमकी दी और शासन ने अपने घुटने टेक दिए। शासन ने इस बात को नहीं सोचा कि स्वायत्तशासी संस्थाओं का क्या होगा । जो लोग बैरियर्स पर काम करते थे, उनको निकाला नहीं जायेगा, लेकिन उनको बैठे-बैठे माननीय मंत्री जी कब तक खिलायेंगे ? इसके लिए वह कोई आश्वासन नहीं दे सकते हैं और न वह कुछ कर ही सकते हैं किस नये काम के साथ उनको जोड़ा जायेगा । हमारे क्षेत्र में तीन टाउन एरिया हैं । वहां के ८-१० लोग बाहर हो जायेंगे ? वह लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है । जब तक आपकी आमदनी नहीं होगी, आप उनको कब तक बैठे- बैठे खिलाते रहेंगे । जब आमदनी नहीं होगी तो आप उनको पैसा दे पायेंगे नहीं और वह अपने आप ही निकल जायेंगे ।

मान्यवर, ६ करोड़ की आमदनी को आपने पूरा करने का तरीका निकाला है, २ प्रतिशत और १ प्रतिशत का टैक्स लगाकर । यह जो टैक्स लगाया जायेगा इसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ेगा । ट्रक आपरेटस की कठिनाइयों को तो आपने देख लिया, उनको रिलीफ आप दे रहे हैं, पर स्वायत्त सेवी संस्थाओं की कठिनाइयों पर आपने गौर नहीं किया । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाये ताकि वहां इस पर विचार हो सके । आशा है यह सदन मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस समय बुनियादी प्रश्न क्या है ? आज म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज आदि की हालत बहुत ही खस्ता है । उनके पास अपने स्टाफ को वेतन तक देने के लिए पैसा नहीं है । एक ओर उनकी आर्थिक दयनीय दशा है दूसरी ओर आप उनकी आय के साधन धीरे-धीरे खत्म करते जा रहे हैं । उन्हें पंगु बनाते जा रहे हैं । पहले पब्लिक हेल्थ उनसे ले लिया, फिर एजूकेशन ले लिया, पानी भी ले लिया उसे जल निगम को सुपुर्द कर दिया, नालियों आदि की सफाई का काम ड्रेनेज बोर्ड को दे दिया, अब म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के हाथ में केवल एक झाड़ू रह गई है, एक झाड़ू लगाने वाले को वेतन देने के लिए उनके पास पैसा नहीं रह गया है । महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है । प्रावीडेन्ट फन्ड का पैसा उनका महीनों से जमा नहीं हो रहा है । उसके कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हड़तालें हो रही हैं । कल ही एक हड़ताल का फैसला अपने करवाया है । आप उनके चुनाव तो कराने जा रहे हैं, पर बोर्ड करेंगे क्या ? उनकी आय कुछ रह नहीं गई है । विकेन्द्रीकरण की आपकी जो नीति है वह कैसे सफल होगी ? इन सारी चीजों पर विचार करने के लिए यह जरूरी है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय और इस पर विचार हो । इसलिए मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, इसे इस सदन को स्वीकार करना चाहिए ।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जो लोग भी बुनियादी तौर पर स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिकार देने के हामी होंगे और विकेन्द्रीयकरण के हामी होंग वे यह चाहेंगे कि इन संस्थाओं की आय के सोर्स बदस्तूर कायम रहें ।

आप देखें, आपने टोल-टैक्स हटाने का प्राविधान किया । इससे ट्रकों के आवागमन में असुविधा होती थी, ऐसा तक दिया गया । लेकिन आमतौर से शिकायत हुई है कि जब से यह टोल टैक्स हटा है, स्मगलिंग पूरी तरह से चालू हो गई है । जहां कहीं ट्रक रोकी जाती थी, वहां पर एक प्राविधान होता था, उसकी चेकिंग होती थी और तस्कर उससे रुकते थे, डरते थे । लेकिन वह स्थिति खत्म हो गई । स्वायत्तशासी संस्थाओं ने एक दूसरा भी प्राविधान किया है, वह स्थानीय लोगों को रोजगार भी देती है और समाज सेवा का भी काम करती है । बहुत दिनों से स्वायत्त संस्थाओं का इधर चुनाव हुआ नहीं, उससे बहुत ही दिक्कतें पैदा हो गयीं, नौकरशाही ने सारा अधिकार अपने हाथ में लेने का, हथियाने का काम किया । इसलिए जो राम आसरे वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं हूं और जो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने अपना बिल रखा है, जो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट है, इन सबको विचार में रखकर, सारे पहलुओं को देखने के बाद इस बिल को रखा जाना चाहिए ।

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

क्या बताऊं, इसका समर्थन तो मुझे करना ही है, मैं क्योंकि इधर बैठा हूं, इस वजह से मुझे समथन करना ही है, लेकिन श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो, लाल बत्ती न दिखा देना, तो मैं यह मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि ये बेचारे नये मंत्री बने हैं, अब ये जाने कैसे इस विधेयक को ले आये ।

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में बरसाना, नंदगांव, अभी टाउन एरिया बनी है और छाता पुरानी नोटीफाइड एरिया है । वहां के सफाई के मजदूरों की तनख्वाह अभी तक नहीं बंटी, हल्ला मच रहा है, सड़ रही है टाउन एरिया । यहां पर मंत्री जी से कहें, पहले मंत्री जी वह थे, क्या नाम था, वह जो बरखास्त हुए, बाजपेयी जी महराज, बाजपेयी जी गये, मैंने कहा कि साहब बड़ी हालत खराब है, वैसे बाजपेयी जी बड़े उदार व्यक्ति थे, पाण्डेय जी की कैसी पटती है मुझे पता नहीं, तो २५ हजार रुपये बरसाना टाउन एरिया को दे आये, २५ हजार रुपये नन्दगांव टाउन एरिया को दे आये और छाता में भी दे आये, लेकिन जो सफाई करते हैं, सड़ी नालियों की, टट्टियों की, वह हमारे भाई हैं, जिनके वह बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लक्खी सिंह---]

हिमायती हैं, वह जो तिवारी जी मार्का, हम तो भंगी हैं, हम तो खुद ही हरिजन ह, लेकिन उनकी तनख्वाह आज तक नहीं बंटी और वह मन से काम नहीं करते। मैं मत्री जा से जानना चाहता हूं, आप अध्यादेश ले आये, ये राज्यपाल महराज अध्यादेश ठोक दिये, वह अध्यादेश ले आय, मंत्री जो इस विधेयक को पेश कर रहे ह।

मान्यवर, टैक्स रोक दिया जाय, ऊधल जी को तो पता है ही, ये टैक्स बड़े-बड़े सेठों के ह, बड़े-बड़ व्यापारियों के ह और जितन तस्करी लोग हैं, वह तस्कर लोग रात में चलते ह। तो यह टक्स की वजह से एक ड्यूटी और लगाई जाती थी पुलिस की कि हमारी सरकार ने किया है, यह उस सरकार ने नहीं किया, हमारी सरकार न ड्यूटी और लगाई पुलिस को। १०-१०, २०-२० ट्रक इकट्ठ हो जाते थे तब उनको छोड़ा जाता था। अकेला ट्रक चले तो गुण्डे उसको लूट लेते थे। इसलिए सरकार ने अच्छा किया कि ड्यूटी लगा दी। मान्यवर, हम ऊधल जी की और उनकी, जो उधर सामने बठे हैं, उनकी बात तो मानेंगे नहीं लेकिन हमें मंत्री जी बतावें कि फिलहाल तुरन्त चुनाव से पहले टाउन एरिया, नगरपालिका और नगरमहापालिकाओं को हम ना कहें मत लेओ टोल टैक्स लेकिन टाउन एरिया को हजार रुपया देवोगे पहले, तब यह विधयक लेओ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय लक्खी सिंह जी, जल्दी समाप्त करें।

श्री लक्खी सिंह---

श्रीमन्, २ मिनट और देओगे, लालबत्ती आपने कर ही दी, इसे न करो। श्री राधेश्याम शर्मा जो अच्छे हैं, इनके क्षेत्र में न तो नगरपालिका है न टाउन एरिया। इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। ओंकार सिंह जी पर, तिवारी जी पर बीतेगी। यानी राधेश्याम शर्मा को छोड़ कर ५ एम० एल० ए० हैं, उनसे बीतेगी।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय लक्खी सिंह जो, समाप्त करें।

श्री लक्खी सिंह---

तो समाप्त कर दिया।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रतिपक्ष के प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कल इसी सदन में स्वायत्त शासन संस्था में लगे हुए कर्मचारियों के उत्पीड़न के प्रश्न पर मंत्री जी तिलमिला गये और उन्होंने अपनी आवाज की सीमा को इतना तेज कर दिया कि सदन के सम्मानित सदस्यों को हार्दिक दुःख लगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगरपालिका, टाउन एरिया, आदि के सम्बन्ध में बड़ी सफाई के साथ एक बात की वकालत की कि टोल टैक्स बेरियर हटाकर सरकार ने कमाल किया है, तो इससे समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा में प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन हमारे मित्र मोहन सिंह जी ने किया, जो स्वागत योग्य है और मैं ऐसे गुरू का शिष्य हूं जिसने अध्यादेश का हरदम विरोध किया। अभी थोड़ी देर पहले माननीय उपध्यक्ष महोदय को इसी सदन से सूचना देते हुये स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि हमने हड़ताल समाप्त करवा दी। आज भी आप के अविवेकपूर्ण कदम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गंदगी का वातावरण हो गया है। कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया है, कालरे का भयंकर प्रकोप है। जनपद बाराबंकी में ५-६ मौतें हुई हैं और तमाम लोग अस्पताल में हैं। इसी प्रकार से एक घटना सबेरे आयी, आपके विभाग के संबंध में आयी। ऐसी घटनाओं को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते, इंकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं माननीय साथी राम आसरे वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार मैं चाहता हूं कि इसको एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो छानबीन करके और जांच करके अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री द्वारा जो बिल पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि वह पहले मंत्री हैं जिन्होंने यह काम ऐसी हिम्मत का किया कि उन्होंने जो यह घाट जगह-जगह पर बने थे उनको समाप्त किया। जिससे आवागमन में सुविधा हुयी और राष्ट्रीय धन की बचत हुयी। इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अब मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा अभी भाई लक्खी सिंह जी कह रहे थे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिये। छोटे कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर मिलनी चाहिये, यह भी प्राविधान म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट में करना चाहिये।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज हरिजन वेल्फेयर का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं हालांकि ऐक्ट में प्राविधान है कि हरिजनों के वेल्फेयर की ओर ध्यान दिया जाय। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस धारा का पालन ठीक तरह से कराया जाय। जहां-जहां म्युनिसिपैलिटियां हैं वहां हरिजन रहते हैं, तो एक तरफ तो वह शहर को स्वच्छ बनाते हैं और दूसरी तरफ उनकी हालत खराब है। उनके मुहल्ले में बिजली पानी का इंतजाम नहीं है। तो हरिजनों के वेलफेयर की तरफ ठीक से काम किया जाय। मैं कहना कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सीतापुर जनपद में ३० वाल्मीकी भाइयों की झोपड़ियों में आग लगने के कारण सब कुछ जल गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सीतापुर नगरपालिका ने इन बाल्मीकियों की इस आपातकाल में कोई मदद नहीं की है। तो मैं जहां इसका समर्थन करता हूं वहां मैं भी कहना चाहूंगा कि हरिजन वेलफेयर का अधिक से अधिक ध्यान दें और उसके लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च करें ताकि जो सफाई कर्मचारी नगर को स्वच्छ और सुरक्षित रखते हैं उनकी हालत अच्छी हो सके। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के इस विधयक का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

अधिष्ठाता महोदय, में मंत्री जी द्वारा जो विधेयक पेश किया गया है उसका समर्थन करते हुये मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के अन्दर जो कंटोमेंट बोर्ड्स हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कंटोनमेन्ट बोर्ड्स शायद विधेयक में शामिल नहीं किये गये हैं। इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि हाईवेज में कंटोमेन्ट्स की जो लिमिट्स हैं उसके बाहर उत्तर प्रदेश की सरकार की भूमि में अपनी लिमिट से २–३ मील के बाहर बेरियर्स खड़े किये गये हैं तो उनके सम्बन्ध में में निवेदन करूंगा और मंत्री जी से आशा करूंगा कि उन बैरियर्स की ओर भी ध्यान दिया जाय कि जो कंटोनमेन्ट में बैरियर्स हैं उनके संबंध में जिस तरह नोटी-फाइड एरिया टाउन एरिया और नगरपालिकाओं के बैरियर्स के संबंध में जो इस विधेयक के द्वारा प्राविधान किया जा रहा है उसका लाभ कंटोनमेन्ट में रहने वाले निवासियों को भी मिले। इसकी ओर विशेष ध्यान मंत्री जी देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो आपने मुझे तीन मिनट बोलने के लिये दिया है उसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो विधेयक आप ला रहे हैं उसके उद्देश्यों को जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि बहुत से मोटर चालक यूनियनों ने अनुरोध किया कि मोटर वाहनों के चलने में और बीच में बैरियर्स पर रुकने में उनकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था इसलिये आपने इस कर को समाप्त कर दिया है। साथ ही यह भी आपने कहा है कि इस कर को समाप्त करने के कारण नगरपालिकाओं, टाउन एरियाज की आमदनी कम होगी और उस कमी की पूर्ति के लिये और संसाधनों को जुटाने की आपने इस विधेयक में बात नहीं कही है। तो आपसे अनुरोध है कि वह कौन से ऐसे संसाधन हैं किस तरह उस क्षति को आप पूरा करेंगे, इस चीज को बतायें। बिना उन साधनों को स्पष्ट किये इस बिल को लाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि बड़े वाहनों पर कर लगा रहे थे और उससे अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव जनता पर पड़ता था लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बड़े–बड़े व्यवसाइयों और ट्रक ओनर पर पड़ता है। इसलिये उस क्षति की पूर्ति के लिये क्या आप करेंगे? क्या जनता के ऊपर टैक्स लगायेंगे या नगरपालिकाओं में रहने वालों पर लगायेंगे? इस तरह फायदा के बजाय उन निवासियों को हानि उठानी पड़ेगी।

मान्यवर, दूसरी बात जैसा कि हमारे एक साथी अभी कह रहे थे कि बैरियर्स पर कभी–कभी नहीं बल्कि अधिकांश बैरियर्स पर पुलिस की समुचित व्यवस्था होती थी जिससे तस्करी पर प्रतिबन्ध रहता था। तस्कर समझते थे कि बैरियर्स पर रुकना पड़ेगा और हो सकता है कि पुलिस उनके सामान को पकड़ ले। इससे उनको सामान ले जाने में रुकावट होती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि तस्करी को रोकने के लिये आपने कोई स्पष्ट तरीका नहीं बताया है। आपने जल्दी से इस अध्यादेश के जरिये कानून में परिवर्तन करने का प्रयास किया है जिससे जनता का भला होने की जगह हानि हो सकती है।

मान्यवर, आज जो प्रदेश में स्ट्राइक सफाई कर्मचारियों की चल रही है उसके संबंध में प्रातः पेपर में पढ़ा कि वह स्ट्राइक समाप्त हो गयी है लेकिन ऐसी बात नहीं है। कल शाहजहांपुर से जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने देखा कि हमारे घर के पास शाहजहांपुर नगर के एस० पी० और पुलिस वहां छाई हुई थी

और ऐसा लगता था कि जैसे कोई माना हुआ बदमाश वहां नगर में घुस आया ह । मैंने इस पर एक रिक्शे वाले से पूछा कि इतनी पुलिस क्यों है तो उसने बताया कि पुलिस गलियों की सफाई कर रही है । गलियों की सड़कों की सफाई करवा रहे हैं । मुझे आज भी टेलीफोन प्राप्त हुआ शाहजहांपुर से कि आपकी निर्मम पुलिस ने वहां निहत्थे सफाई कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया हैं । तो इस प्रकार का कोई भी कानून बना देने से, बैरियर्स खत्म कर देने से लेकिन सफाई मजदूर कर्मचारियों को कोई सहूलियत न देने से, जनमानस को कोई भी फायदा नहीं होने वाला बल्कि यह तो काला कानून होगा ।

*श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)---

नगरपालिकाओं की हालत को देखते हुये जो माननीय मंत्री जी मौजूदा विधेयक लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज नगरपालिकाओं की स्थिति यह बन गई है कि कहीं जनता पार्टी को सदा के लिए समाप्त करने के लिये कारण न बन जाय क्योंकि नगरपालिकाओं के पास कोई आय नहीं । हमारे देहरादून की नगरपालिका ट्यूब और बल्ब देती है विद्युत विभाग को लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इसलिये सारे शहर में अंधेरा है । स्कूलों की हालत वहां खराब है, टाट-पट्टियां नहीं है । पीने के पानी की जो सुविधा थी, वह भी ठीक नहीं है । जल-कल विभाग ने बंद कर दिया ।

आप दूसरे स्वायत शासन मंत्री हैं । आपके जरिये से एक सर्वांगीण विधेयक आना चाहिये था । जनता सरकार ने नारा दिया है--गांव की ओर चलो । इसके कारण गांव तो बस रहे हैं लेकिन शहर उजड़ रहे हैं । नगर में रहने वाले शिक्षित लोगों को सुविधा देने के लिये कोई विस्तृत विधेयक लाइये जिससे उजड़ते हुये शहर फिर से बसें । हमारे देहरादून में रोजाना मौतें इसलिये होती हैं कि सड़कों में तमाम गड्ढे हैं, लाइट नहीं है ठीक । ऐसी ही हालत उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों में भी है । इसलिये आपसे आग्रह है कि वे तत्काल ऐसे विधेयक लायें कि जिससे नगरपालिकाओं की हालत सुधरे । आप जैसे युवक, सामाजिक कार्यकर्ता और समाजसेवी मंत्री को यह कार्य अवश्य ही करना चाहिये और नगरपालिकाओं की हालत देखते हुये एक विस्तृत योजना लायें कि जिससे जनता शासन की और आपकी प्रतिष्ठा बढ़े और लोगों को सुविधायें मिलें । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अवश्य ही एक नया विधेयक लाकर विकास में सहयोग देंगे ।

श्री राम आसरे शर्मा--

हमारे संशोधन के प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि बात यहाँ से शुरू हुयी थी कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के पास पैसे का अभाव है और पैसे के अभाव से गुजर रहा है और पहुंच गये स्मगलिंग तक । बात सही है और जब हमारी स्वयत्तशासी संस्थाओं के पास पैसा नहीं होगा, काम नहीं होगा और लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा ? मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में तीनों टाउन एरियाज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम आसरे वर्मा]--

में कहीं एरियर हैं, कहीं तनख्वाह नहीं मिल रही हैं, कहीं दूसरी समस्या है। जो थोड़ा-बहुत तनख्वाहें मिलती हैं, वें टोल टैक्स और कुछ ऐसी वसूली से हो जाती थी, लेकिन उसको भी छान लिया। अब उनके सामने एक ही चारा है कि जितने भी कर्मचारी हैं, वे एक फौज बनाकर वहां जनता के ऊपर टैक्स लगायें और डंडा लेकर वसूल करने जायं। आपने दरवाजा खोल दिया इस काम के लिये। हमारे मोहन सिंह जी ने भी कहा। आज बहुत सा स्मगलिंग का माल इन ट्रकों से गुजर रहा है। पहले बेपर्दा हो चुका था वह लेकिन आज आपने उस पर पर्दा डाल दिया। अब कोई देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। ऐसी दशा में मैं इस बात को तो कह ही नहीं सकता कि अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेता हूं बल्कि मैं यह आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय इससे फायदा होगा क्योंकि जो कमियां इसमें रह गई हैं उन पर विचार हो जायगा।

श्री रामाधार पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आभारी हूं अपने उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। मगर यह जो संशोधन का प्रस्ताव है यह सार्थक नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने जो बात शुरू में कही थी उसको मैं मूल रूप से समझा नहीं पाया। जो बातें यहां पर कही गयीं उनमें से मैं उन्हीं बातों को छुऊंगा जो कि इससे सम्बन्धित हैं। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है माननीय सदस्यों को कि जो टाल बरियर्स के लगाने से स्वायत्तशासी संस्थाओं का आमदनी थी, वह समाप्त हो जायगी। जो परिस्थिति है अगर उसको देखा जाय तो वस्तुस्थिति यह है कि वहां जो काम करने वाले हैं और जो वहां आमदनी थी उसमें कोई अनुपात नहीं रहा। ऐसे भी टाउन एरिया देखने में आये हैं कि जहां आमदनी २० हजार की थी तो सेलरी पर ८० हजार खर्च होता था। इसी कारण से सेलरी का इतना बड़ा एरियर्स में है। इतना ही नहीं जो पैसा अनुदान के रूप में सड़क और नाली बनाने के लिए दिया गया उसको भी सेलरी पर खर्च कर दिया। स्थिति यह है कि मैं बार-बार जिलाधिकारियों को लिखता हूं कि अनुदान से कराये गये काम का अगर ब्योरा दे दें तो आगे के लिए सड़कें नाली बनाने के लिए पैसा दिया जाय। लेकिन जैसा मैंने कहा वहां इस तरह की कुव्यवस्था रही। एक अध्यक्ष आये तो उन्होंने दस आदमियों को रख लिया दूसरे आये तो उन्होंने दस को रख लिया और सरकारी अधिकारी पहुंच गये तो उन्होंने दो को रख लिया। इस तरह से वहां स्टाफ बढ़ता रहा और आमदनी से उसका कोई अनुपात नहीं रहा। यह जो कुव्यवस्था वहां है इसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

आज गांव की आबादी शहर में आती जा रही है। यदि हम चाहते हैं कि वहां का जन जीवन सुखी हो तो इसके लिए पूरी स्कीम के साथ काम करना पड़ेगा। हां, एक समस्या है कि ८/९ करोड़ का जो कर्जा है उसको किस प्रकार से दिया जाय। यह एक परेशानी है और मैंने कल जैसा कहा था कि जल्दी में कोई कदम उठाया नहीं जा सकता। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ३० सैकड़े टाउन एरिया ऐसे हैं जिनसे एक पैसा भी आदमनी नहीं है। ये इंटीरियर में हैं, गली में हैं, सड़क उनके बीच से नहीं जाती। यह टैक्स कहां लगावें। अगर लगावें तो अपनी आबादी पर ही लगावें। इनको निकाल दें तो ७० सैकड़ा बचो। मुझे यह

कहने में भी कोई हिचक नहीं है कि ट्रक टाल बैरियर से गुजरती थीं तो उनमें क्या सामान है, स्मगलिंग का सामान है या कोई और सामान है इसकी चेकिंग नहीं हो पाती थी और यह चेकिंग आगे भी नहीं हो पायेगी । होता यह था कि ट्रक बैरियर पर आया और जो टैक्स था वह देकर चला गया । स्वायत्तशासी संस्था के हिसाब में ५ गाड़ी आता थी । १५ गाड़ियों का हिसाब नहीं आता था । यह सही बात थी । निजी अनुभव के आधार पर जो नुकसान इन टाउन एरिया बैरियर के हटाने से होगा वह अनुमानतः ६ करोड़ रुपया का है । इसकी पूर्ति कैसे होगी ।

आज के ही एजेन्ड में है, हमारे परिवहन मंत्री इसका संशोधन आपके सम्मुख रखेंगे कि एक सैकड़ा पैसेन्जर टैक्स और दो सैकड़ा गुड्स टैक्स जो हमारे प्रदेश के सीमा पर स्थान है वहां पर एक ही प्वाइन्ट पर वसूल होगा । इससे तीन फायदे होंगे । एक तो यातायात में जो रुकावट होती थी खत्म हो जायगी, जो पैसा इकट्ठे करने पर हिसाब नहीं मिलता था, पैसा चन्द पाकेट्स में चला जाता था, वह बंद होगा, परमिट लेने के वक्त ही हमारा पैसा जमा हो जायगा । अनुमान यह है कि हमारी आमदनी ६ करोड़ रुपये हो जायगी । निजी अनुभव से सही अनुमान मैं नहीं कह सकता, हमारी आमदनी १८ करोड़ की होगी । अगर ६ करोड़ के बजाय १८ करोड़ आमदनी हो तो जिस नगरपालिका को १० हजार की आमदनी टोल टैक्स से होती थी उसे ३० हजार की आमदनी होगी और जिनको एक पैसा नहीं मिलता था एक समाजवादी वितरण हो जायगा उनके पास भी पैसा चला जायगा और उनको भी उसमें हिस्सा मिलेगा ।

जहां तक संशोधनों का मामला है, यह एक विडम्बना रही है कि चाहे अंग्रेजी राज्य रहा हो, चाहे आजादी के बाद २७ वर्ष का कांग्रेसी राज्य हो और चाहें दो वर्ष का जनता राज्य हो एक व्यवस्था चली आ रही है कि कभी टोल टैक्स लगे, कभी तह बाजारी लगेगी । साढ़े आठ करोड़ रुपया हमारा बकाया है, प्रोविडेन्ट फन्ड बकाया है, तनख्वाह बकाया है, इस प्रकार साढ़े आठ करोड़ रुपया बैठता है लोकल बाडीज पर और शासन उसमें एक पैसा देने वाला नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, २-४५ पर इसको खत्म होना है ।

श्री रामाधार पान्डेय--

जी मैं खत्म कर रहा हूं तो संशोधन के लिये यह जो व्यवस्था की गई है इस व्यवस्था से गरीब को तनख्वाह मिलेगी, लोगों को फन्ड ऐसा होगा जो हमेशा अवेलेबुल रहेगा जिसको शासन भी नियत के साथ कह सकता है कि उनको दिया जाय । जो उनके संसधन हैं वे एक व्यवस्थित रुप से उनको पहुंचे । टैक्स को वे खुद ही वसूल नहीं कर पाये । ६ करोड़ बकाया है । अगले महीने चुनाव शुरु होने वाले हैं, जन प्रतिनिधि अपनी व्यवस्था संभालेंगे और जो नुकसान चल रहा है उससे ज्यादा पैसा हर साल हर तीन महीने में हम पेमेन्ट करेंगे, उनको उससे ज्यादा पैसा हमेशा मिलता रहेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी, अपना संशोधन आप वापस लेंगे ?

एक सदस्य—

अधिष्ठाता महोदय....

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २ से ५ तक, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९

यू० पी० म्युनिसिपलिटीज ऐक्ट, १९१६ और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ का अग्रतर संशोधन करने के लिए ।

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९७९ कहा जायगा ।

(२) यह १ मई, १९७९ को प्रवृत्त समझा जायगा

यू० पी० ऐक्ट संख्या २ सन् १९१६ की धारा १२८ और ३३८ का संशोधन

२—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६—

(क) धारा १२८ म उपधारा (१) में, खंड (सात) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(सात) म्युनिसिपैलिटीज के भीतर माल या उसके किसी भाग को उतारे (यदि लदा हो) बिना केवल उसकी सीमा से गुजर जाने वाले गाड़ियों, अन्य सवारियों, पशुओं और लदे हुए कुलियों को छोड़कर, म्युनिसिपैलिटी में प्रवेश करने वाली गाड़ियों, अन्य सवारियों, पशुओं और लदे हुए कुलियों पर पथ-कर;

(ख) धारा ३३८ में, उपधारा (१) में, खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"(ख) ऐसे सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग में, धारा १२८ की उपधारा (१) के खंड (सात) और (आठ) में निर्दिष्ट कर से भिन्न कोई ऐसा कर आरोपित कर सकती है, जो इस या किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसमें आरोपित किया जा सकता, यदि वह क्षेत्र म्युनिसिपैलिटी होता ;"।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या २ सन् १९१४ की धारा १४ का संशोधन

३--संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ में धारा १४ की उपधारा (१) के खंड (छ) में, शब्द और अंक "उपधारा (१)" के पश्चात् शब्द "के खंड (सात) और (आठ) में उल्लिखित कर को छोड़ कर उक्त उपधारा" बढ़ा दिये जायेंगे ।

कतिपय करों का समाप्त किया जाना।

४--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ में इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधनों के फलस्वरूप कोई कर (जिस पद के अन्तगत पथकर और चुंगी भी है) आरोपित करने की शक्ति वापस ले ली गयी है, वहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी सम्पूर्ण म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया या उसके भाग के सम्बन्ध में आरोपित कोई ऐसा कर इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को ऐसे प्रारम्भ के पूर्व उपगत ऐसे कर सम्बन्धी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समाप्त हो जायगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ६ सन् १९७९।

निरसन और अपवाद

५--(१) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा २ और ३ में निर्दिष्ट मूल अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समय उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ ४, ५, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामाधार पान्डेय--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९†

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ का अननुमोदन करता है ।

*वन मंत्री (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९ पर विचार किया जाय ।

१९७२ में एक ऐक्ट बनाया गया था जिसके तहत तेंदू पत्ती के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया था । उस विधेयक के अधीन कुछ रूल्स भी बनाये गये थे जिनके तहत काम शुरू किया गया । तरीका यह था कि बीड़ी बनाने के लिये जो पत्ती इकट्ठा की जाती थी वह सरकार अपने एजेंट के द्वारा करती थी और एजेंट को पहले से सरकार को खर्चा देना पड़ता था । एजेंट बोरियों में वह पत्ती इकट्ठा करता, था जिसकी गिनती होती थी । इस प्रकार से काम होता रहा लेकिन समय-समय पर शासन को शिकायतें भी प्राप्त होती रहीं कि उसकी गिनती आदि में बड़ा फर्क होता है और वे एजेन्ट ठेकेदारों और परचेजर्स से मिल एजेन्ट द्वारा एकठ्ठा करने के बाद फिर सरकार उस पत्ते को बेचती थी ।

कभी-कभी ऐसा भी होता था कि वक्त पर उसकी खरीद नहीं होती थी और वह पत्ता हमको गोदामों में रखना पड़ता था और उसके खराब होने का खतरा भी रहता था, । इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा भी हुआ कि वे लोग आपस में मिल गये तो गिनती में विभाग को बड़ी दुश्वारियां हुई । इसके तजुर्बे के तौर पर १९७२ में हमने यह कोशिश की कि कुछ जगहों पर यह भी सर्किल वाइज एक मुस्त एक प्रणाली निकाली जाय और एक मुस्त दे दिया जाय । ऐसा किया गया और एजेन्ट द्वारा वह पत्ता इकठ्ठा नहीं किया गया । इसका परिणाम बड़ा अच्छा रहा । इससे राजस्व में २० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और जहां यह तजुर्बा नहीं किया गया वहां पर केवल ७ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई । इसलिये यह सोचा गया कि सभी जगहों पर इसको लागू किया जाय । इसमें कुछ टेक्निकल कठिनाइयां भी

†दिनांक ४ मई, १९७९ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुई । इससे कुछ ठेकेदार हाई कोर्ट में भी चले गये उन्होंने कहा कि हमको खर्चा मिलना चाहिए जो एजेन्ट को मिलता है । इसको दूर करने के लिये एक अध्यादेश हमें जारी करना पड़ा । उस वक्त सदन नहीं बैठा था । अब जब सदन बैठा तो माननीय सदन के सामने यह विधेयक पेश कर दिया गया । मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसको मंजूरी देगा । इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है । एक मुश्त लागू करने की प्रणाली ऐक्ट द्वारा मांगी जा रही है और ऐक्ट में मजदूरों के लिये जो पहले भलाई की चीजें थी वह वैसी ही हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे किसी तबके को नुकसान नहीं होगा । मजदूरों की रक्षा पूरी तरह से की जायेगी । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन इसको मंजूरी देगा और जो माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किया है उसे वह वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने परस्पर विरोधी बातें कहीं । एक तरफ तो आपने फरमाया कि राष्ट्रीयकरण हुआ था और उसका परिणाम था कि हमारे राज्य का इजारा कायम हो गया था तेंदू के पत्ते के ऊपर । अब जो यह नया सिलसिला शुरू किया गया है उससे कुछ शिकायतें पैदा हुई । एक बात तो यह है कि सरकिल वाइज का क्या तात्पर्य है । क्या पूरे सरकिल को ठेके के रूप में उठा देंगे ? विक्रय प्रणाली बनाने की जो बात कही गई है उसमें कहां-कहां कठिनाइयां आ सकती हैं, उसको स्पष्टीकरण यहां पर नहीं आया और कठिनाइयों की बात समझ में आई जिसकी वजह से यह अध्यादेश लाना पड़ा । ऐसे ही आज जब उन सारे परिणामों के बारे में विचार नहीं कर लेते हैं तो फिर दो दिन बाद हमें एक नया अध्यादेश तैयार करना पड़ेगा । इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि सारे परिणामों के बारे में और एक नई प्रणाली बनाने के बारे में, यह देखने के लिए कि जो बुनियादी नीति हमने तय की थी राष्ट्रीयकरण करके उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है । इसलिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो बेहतर होगा ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मंत्री जी के भाषण से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर कौन सी प्रणाली वह तेंदू पत्ते के बारे में बनाने जा रहे हैं । यह जो विधेयक आया है इसमें पूरी पावर किसी अधिकारी को डेलिगेट कर रखें हैं। मान्यवर, जब तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय भी सरकार की तरफ से यह नीति रखी गई थी कि ठेकेदारी प्रथा को वन विभाग से अंत कर दिया जायेगा ।

माननीय मंत्री जी से पूर्व भी जो मंत्री थे उन्होंने लगातार इस बात की घोषणा की थी कि जंगलात विभाग से ठेकेदारी प्रथा तीन वर्ष के अन्दर खतम कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी—]

दी जायेगी । दो वर्ष हो गये यह तीसरा वर्ष चल रहा है लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या होने वाला है । बल्कि उल्टा यह संदेह हो रहा है कि जहां आपने राष्ट्रीयकरण भी कर दिया है अब उसको दुबारा ठेकेदारों के हवाले करने जा रहे हैं । इसके उद्देश्य और कारण में कहा गया है कि "सरकार अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से पत्तों का संग्रह करती है और उसे प्रति बोरी नियत मूल्य पर बेचती है । यह प्रणाली अलाभकर सिद्ध हुई । अतएव, तेंदू पत्ता उत्पादक क्षेत्रों की इकाइयों के सम्पूर्ण उत्पादन को एक मुश्त बेचने के लिए नियमों में उपबन्ध किया गया ।" अब यह स्पष्ट नहीं है कि यह जो आप एक मुश्त बेचेंगे उसमें नीलामी होगी या बोरियों की बोलियां होंगी । बजाय इसके कि जो आपका मूल अधिनियम है उसको ही निरस्त करने का प्रस्ताव ला रहे हैं ।

एक तरफ कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा का अंत करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ जहां ठेकेदारी प्रथा नहीं थी वहां भी तेंदू पत्ते के सम्बन्ध में ठेकेदारी प्रथा की स्थापना करने जा रहे हैं । तो यह नीति हमारी समझ में नहीं आई । कम से कम मंत्री जी इस बात को बतायें कि वह नई व्यवस्था होगी क्या? क्या आप नीलाम करवायेंगे और बड़े-बड़े ठेकेदारों को तेंदू पत्ते का ठेका देने जा रहे हैं या पुरानी प्रथा से जिस मंसा से यह मूल अधिनियम बना था उसी पर कायम रहेंगे ? क्योंकि अब तक जो कुछ कहा गया है उससे यह जाहिर होता है कि ठेकेदारों के हवाले यह व्यापार कर दिया जाय । यह बात समझ में आ सकती है कि आपके विभाग के अधिकारी फिर ठेकेदारी प्रथा कायम करना चाहते हैं क्योंकि उनकी आय के स्रोत बन्द नहीं होने चाहिये । पहले जो बड़े-बड़े एजेंट थे उनसे भी पैसा उनको मिल जाता था और अब ठेकेदारों से भी वह ले लेंगे । ऐसा लगता है कि अपना सम्पूर्ण अधिकार सरकार अपने एक अधिकारी को डी० एफ० ओ० या रेंजर को दे देगी ताकि वह ठेकेदारों से रुपया वसूल करता रहे ।

*श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं, किन्तु उससे महसूस होता है कि जो तंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वह कामयाब नहीं रहा और इसी कारण उसके एकमुश्त के बारे में कहा है । वह एक मुश्त कर के या सर्किलवाईज करके दिया जायगा, किन्तु यह साफ जाहिर नहीं है कि वह किस तरह से दिया जायेगा । किन्तु उन्होंने यह जरूर मान लिया है कि जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह किसी हद तक कामयाब नहीं रहा । यह देखा गया है कि जो भी कार्य सरकार ने अपने हाथ में लिया, उसके कार्यों से लाखों रुपये के राजस्व की सरकार को हानि हो रही है । यह जहां निगम और ठेकेदार द्वारा काम करा रहे हैं, निगम से दुगुना तिगुना दाम नीलाम में आता है । मंत्री जी की मंशा इसमें साफ नहीं है । यदि वह चाहते हैं कि काम ईमानदारी से हो, तो वह ठेकेदार में नीलाम हो और उससे काफी ज्यादा दाम उन्हें मिलेंगे और काफी काम भी हो जाएगा ।

जो लोग कहते हैं कि मजदूरों को मजदूरी कम दी जाती है और इसमें उन्हें ज्यादा मजदूरी देने की बात है, तो मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज भी ठेकेदार वन निगम से ज्यादा पैसा मजदूरों को दे रहे हैं । इसमें परस्पर कम्पटीशन होता है, और ठेकेदार को मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार के विभिन्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्तरों पर मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मजदूरों की मजदूरी भी ठेकेदारों से अधिक मिल जाती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इनको यदि वह खुले आम नीलाम कराके बेचेंगे तो सरकार को और लाभ होगा और पत्ते जो खराब हो जाते हैं, उसकी भी उन्हें हानि नहीं उठानी पड़ेगी ।

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन--

मैं एक बात साफ कर दूं । मैंने राष्ट्रीयकरण की मुखालिफत नहीं की है । राष्ट्रीयकरण का उसका विजनेस ऐसा ही है । प्राइवेट लोगों के पास भी तेंदू के पत्ते थे, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, केवल एजेन्ट में थोड़ा फर्क किया गया है ।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

अधिष्ठाता जी, वन मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सुन्दर और संक्षिप्त विधेयक प्रस्तुत किया है । यदि इस विधेयक की धाराओं भावनाओं का मंत्री जी ने और विभाग के अधिकारियों ने ईमानदारी से पालन किया और कराया तो मुझे विश्वास है कि अब तक जो गड़बडी, चोरी और भ्रष्टाचार और राजस्व की हानि सरकार को होती थी, वह नहीं होगी । राष्ट्रीयकरण ज्यों का त्यों रहा, यह अच्छी बात है, इसका मंत्री जी ने स्पष्टीकरण भी कर दिया है । लेकिन वह कोई वेद वाक्य नहीं है, अपौर्षय नहीं है । यह समाज की एक रचना है । यदि वह आर्थिक आधार पर समझते हैं कि उससे समाज में सुधार होता है, राजस्व बढ़ता है तो यह किया जाना चाहिए और किया जाता है । सिंगापुर, हांगकांग, स्विटजरलैंड, स्वीडेन में, फ्रांस में बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया । वहां की सरकारें पूंजीवादी कहलाती हैं । इंग्लैंड में कोयले का राष्ट्रीकरण किया गया वहां की सरकार पूंजीवादी सरकार कहलाती है । राष्ट्रीयकरण सामाजिक व्यवस्था का अंग है । कोई वेद वाक्य, ईश्वरीय नियम नहीं है । इसमें जो नयी व्यवस्था की जा रही है उससे आमदनी बढ़ेगी । माननीय मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं । एक कठिनाई थी कि खरीदार अपने को ही एजेंट बना देता था । कानून में दो आदमी होते थे वास्तव में खरीदार ही एजेंट का रूप धारण करके आ जाता था । उससे सरकार को दोहरी हानि होती थी । गिनती में गड़बड़ी होती थी और गलत तरीके से माल बाहर चला जाता था । उस पर अब कठोर चेकिंग और व्यवस्था लागू हो जायगी ।

रही बात ठेकेदारी की । वह तो हमारे देश और देश से बाहर भी है । जो ठेकेदारी करते हैं अगर अधिकारियों का उन पर नियंत्रण होता है और माननीय वन मंत्री की निगरानी होती है, तो राजस्व की वृद्धि होगी । जैसा बताया गया है इस व्यवस्था से २० प्रतिशत राजस्व में वृद्धि हुई है । यह अच्छी व्यवस्था है । हजारों लाखों आदमियों से सम्बन्धित है । बीड़ी बहुत छोटा आदमी, मजदूर, किसान पीता है । बहुत सस्ती होती है । इसमें काम करने वाला मजदूर बहुत गरीब आदमी होता है । जो ठेकेदार होंगे वह सर्किलवाइज होंगे । प्रदेश का एक ठेकेदार नहीं होगा, बल्कि इकाइयां, सर्किल बना कर ठेका दिया जायगा । मैं सुझाव दूंगा, सहकारी आधार पर मजदूरों की सोसाइटी बना कर, जैसा कि वन

[श्री राज कुमार शर्मा—

विभाग ने दूसरे वनों में मजदूरों की सहकारिता समितियां बनायी हैं, बजाय बड़े ठेकेदारों का ठेका देने के उन सहकारी समितियों को ठेका दिया जाता है। हरिद्वार के शिवालिक वन प्रभाग में माननीय वन मंत्री १२ अप्रैल को गये थे, वहां मजदूरों की श्रम सहकारी समिति बनी हुई है, इसी प्रकार जो मजदूर इस उद्योग में मांग करते हैं, उनको सहकारिता समितियां बना कर उन्हें ठेका दिया जाय जैसा कि वन के दूसरे हिस्सों में किया जाता है। इतना कह कर इस विधेयक का मैं पुनः समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्रमणी बड़ोनी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वास्तव में जो हमारी वन नीति है, जैसा खिलवाड़ आज इन जंगलों के साथ हुआ है, शायद कभी हुआ हो। आज तक एक सुनिश्चित नीति नहीं बना पाये। इस तेंदू पत्ते की बाबत जब १९७२ में यह विधेयक आया तो उस वक्त भी यह धारणा थी कि जो मजदूर इस कारोबार में काम करते हैं उनको शोषण से मुक्त किया जाय। इसी लिए इसको लागू किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन आज एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि राजस्व में २० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, दूसरी तरफ कहते हैं कि अलाभकर रहा। तो यह बात समझ में नहीं आयी। अगर आप इन वनों को ठेकेदारों के हवाले करेंगे तो एक दिन ऐसा आयेगा कि वन मंत्री रह जायेंगे और न वन विभाग रहेगा। ऐसी हालत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप राष्ट्रीयकरण के खिलाफ नहीं हैं तो हम आपका समर्थन करते हैं अगर आप राष्ट्रीयकरण के खिलाफ हैं तो मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा। ठेकेदार शोषण करते थे और वह शोषण करते जा रहे हैं। आपने जब नीति बनायी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया तो आप क्यों असफल रहे? आपने अपने अधिकारियों को क्यों नहीं देखा।

आपने राष्ट्रीयकरण की नीति अपना लिया है, तो उसमें असफलता की बात नहीं होनी चाहिए। आपको योग्य अधिकारी रखने चाहिए। आपके अधिकारी सोचते हैं कि अगर इसको किसी प्रकार से असफल कर दिया जाये तो उनका काम धन्धा फिर चलने लगे। आप ऐसे मौके पर वन मंत्री बने हैं। आप पहाड़ों पर गये थे और वहां के लोगों की भावनाओं को आपने देखा। आपको इस सम्बन्ध में अपना स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब तक वनों के अन्दर कोई निजी व्यापार करने दिया जायेगा तब तक वनों का शोषण होता रहेगा। जो सोसाइटीज हैं उनके भी पक्ष में नहीं हूं। जो भी इन्डस्ट्रीज हैं उनको केवल कच्चा माल देना चाहिए। वन लगभग समाप्त होने को हैं। अगर आप इनको बनाना चाहते हैं तो कोई कारगर उपाय कीजिए। हिमालय की वन नीति के बारे में आप कोई सुनिश्चित नीति अपनावें। अगर हिमालय के वन समाप्त हो जायेंगे तो उससे हिमालय वालों को ही हानि नहीं होगी बल्कि बंगाल तक के लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बिजली नहीं मिल पायेगी, बाढ़ आ जावेंगी, पानी नहीं बरसेगा और आपकी सारी खेती सूख जायेगी। यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। आप सही दृष्टिकोण से इसको सोचें जिससे इस प्रान्त का भला हो। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं तेंदू पत्ता व्यापार अधिनियम के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्व प्रथम मैं माननीय मंत्री जी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि तेंदू पत्ता तोड़ने वाले बनवासी हरिजन होते हैं। अब तक की व्यवस्था यह रही है कि जो ठेकेदार होते थे वह उनको शोषण करते थे। मैं चकिया का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर ठेकेदार उनसे मजदूरी कराते हैं और जब वह उनसे अपनी मजदूरी मांगते हैं तो उनको पेड़ों में बांध दिया जाता है और अपनी सामंतशाही का प्रदर्शन करते हैं। माननीय वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे वापस ले लें क्योंकि इस मई के महीने में ही इस पत्ती को तोड़ा जाता है और इसमें हजारों गरीब लोग लगे रहते हैं। इस कारोबार के हित में और उन मजदूरों के हित में यही होगा कि वे इस विधेयक को पारित होने दें। उन गरीब मजदूरों का जो शोषण होता था वह इस विधेयक के जरिये खत्म होगा। उन मजदूरों के हित में मंत्री जी ने एक कदम उठाया है जो मजदूर इस उद्योग में लगे हुये हैं। जंगल विभाग के अधिकारी जंगल बिभाग के कानून को जंगली तरीके से चरितार्थ करते हैं। हम अगर कभी कुछ लिखते भी हैं तो उसका जवाब तक नहीं मिलता। इसलिये मैं इस विधयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं और वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह विधेयक जो गरीबों के हित में है इसे पारित होने दें तथा अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, जहां तक इस तेंदू पत्ती को तोड़ने का सवाल है, इस काम को दलित वर्ग के व्यक्ति ही करते हैं। अधिकारी और ठेकेदार लोग मिलकर इन लोगों का शोषण करते हैं। इस शोषण को समाप्त करने के लिये ही माननीय मंत्री जी इस विधेयक को लाये हैं। इसी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये कि उन लोगों का शोषण न हो सके, राष्ट्रीयकरण की भी बात आयी। मैं उसका भी पूर्णतया समर्थक हूं। एजेन्ट द्वारा और विभाग द्वारा दोहरी प्रक्रिया द्वारा अभी तक उन गरीब मजदूरों का जो इसमें काम करते हैं शोषण होता चला आया है। यह अधिकारी वह ठेकेदार उनका शोषण तो करते ही हैं साथ ही साथ उनको प्रताड़ना भी दिया करते थे। उनको धमकाते थे कि अगर तूने शिकायत की तो मुझे पत्ती तोड़ने का काम नहीं दिया जायेगा। उस प्रक्रिया को समाप्त कर जो यह विधेयक मंत्री जी लाये हैं उसका मैं समर्थन करता हूं। इससे गरीब मजदूरों का काफी हित हो सकेगा। अभी तक अधिकारीगण और ठेकेदार लोग मिलकर जो गुट बना लेते थे वह भी अब समाप्त हो जायेगा। ये ठेकेदार लोग अधिकारियों से मिल कर बड़ा नुकसान पहुंचाते रहे हैं। अभी-अभी एक बोली में जो ८० हजार की बोली, बोली जानी थी, वह ५० हजार पर छोड़ दी गयी मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार दोहरी प्रक्रिया को समाप्त कर, राष्ट्रीयकरण जिस मन्तव्य से किया गया, उस मन्तव्य को पूर्ण रखने के लिए जो यह विधेयक रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। और राम आसरे वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि यदि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें, तो मैं उनका स्वागत करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय, मंत्री जी ने अपने संक्षिप्त भाषण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया, साथ ही साथ जो इस विधेयक में रखा गया है, मैंने भी इसे समझने का प्रयास किया। माननीय मंत्री जी, इस विधेयक में आपकी नीति पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पायी है। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आपने जो कुछ कहा है, अथवा उद्देश्य रखा है, उससे बात स्पष्ट नहीं हो पाई। यह जो आप विधेयक लाये है, इसके द्वारा राजस्व की बढ़ोत्तरी होगी अथवा एजेन्टस के लिए फायदा होगा, यह किसके लिए लाभकर सिद्ध होगा। मैं चाहता हूं मंत्री जी अपने भाषण में यह बात की स्पष्ट घोषणा कर।

आपने ७२ में एक नीति का निर्धारण किया और नीति निर्धारित करने के बाद आप जायजा लिये और आपने यह घोषित कर दिया कि यह नीति अलाभकर सिद्ध हुई। मैं आपसे कहना चहूंगा कि जब एक नीति सन ७२ में आपके द्वारा प्रतिपादित की गयी और वह अलाभकर सिद्ध हुई है, तो इस हालत में आप राम आसरे वर्मा जी का संशोधन जो है, वह स्वीकार कर लें और इसे प्रवर समिति को सौप दें और पुर्ण निश्चित हो लें, ताकि आपके सामने यह बार-बार समस्या न आये। इसलिए इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है। माननीय मंत्री जी जो उचित है उसे मानने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप विधेयक लाये हैं, इसके खंडों को मैंने पढ़ा और समझने का प्रयास किया, इससे जो खंड हैं, उससे भी आपका मन्तव्य स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। इससे कहां तक लाभ श्रमिकों को अथवा इससे आपके राजस्व की बढ़ोत्तरी कहां तक होगी, मैं समझता हूं कि इससे सारी बातें अस्पष्ट हैं। इसलिए यह प्रवर समिति को सौप देना कोई अनुचित बात न होगी।

श्री गणेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी यह बिल लाये और मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। उद्देश्य और कारण से यह पता चलता है कि इसकी क्रय और वितरण प्रणाली में सरकार का एकाधिकार था और इसमें इनका घाटा हुआ। मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने एक दफा यह तो रियलाइज किया कि घाटा का जो धंधा होता है, वह ठीक नहीं होता है और राष्ट्रीयकरण के नाम पर हम समाज को कितना घाटा देते रहेंगे।

हम इस पक्ष में नहीं हैं कि राष्ट्रीयकरण हर बीमारी की दवा है। मैं उनसे कहता हूं कि राष्ट्रीयकरण हर बीमारी की दवा नहीं है, जहां यह लाभकर न हो, वहां दूसरे लोगों को दिया जाय। मैं इसके सम्बन्ध में मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह जो उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनको समूल बेचने की बात कही गयी है। मैं चाहता हूं कि इसको छोटे-छोटे क्षेत्रों में बांट कर बेचें ताकि बीड़ी उद्योग में लगे हुए हरिजन लोग जो हैं, वें लाभ उठा सकें और वे अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें।

साथ ही में यह भी चाहूंगा कि इन छोटे-छोटे बीड़ी उद्योग में जो मजदूर-श्रमिक लगे हैं उनकी जो सहकारी समितियां हैं, उनके माध्यम से अगर वह बची जाय तो उनको लाभ होगा। मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की तरह से हमारे माननीय मंत्री जी बड़े-बड़े बीड़ी किंग न बनायें छोटे-छोटे श्रमिकों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही में इसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनको धन्यवाद देता हूं । श्री श्यामदेव जी ने पत्ता तोड़ने का काम करने वाले गरीब मजदूर लोगों के नाम पर आंसू बहाये । आंसू इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं इसमें गरीबों के हित की बात कहां से उनको नजर आ गई । अगर माननीय मन्त्री जी मजदूरों के हित की बात यहां पर घोषित करें और यह वायदा करें कि उनका शोषण और उत्पीड़न नहीं होने देंगे, तो मैं इसे वापस लेने को तैयार हूं लेकिन मैं यह जानता हूं कि आप यह घोषणा कर नहीं पायेंगे, इसलिये मैं इसे वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं ।

*श्री काजी मोहम्मद, मुहिउद्दीन—

अभी नेगी जी ने यह फर्माया कि जब यह ऐक्ट १९७२ में बना था उस समय ठेकेदारी सिस्टम समाप्त करने की बात कही गई थी और आज इसे खत्म किया जा रहा है । माननीय, ऐसा नहीं है । ७२ में बिल पेश करते हुए मंत्री जी ने क्या बात कही थी यह मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं अपनी तथा पार्टी की नीति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ठेकेदारी सिस्टम इस हद तक समाप्त करना चाहते हैं कि देश की दौलत सिमट-सिमट कर चन्द लोगों के हाथ में न पहुंच जाये ।

हमने समितियां बनायी हैं । उन लोगों पर यह मुस्तैमिला है । जो लकड़ी काटते हैं, गरीब लोग हैं । पहले यह होता था कि बड़े-बड़े लोगों को ठेका दिया जाता था । हमने यह व्यवस्था की है कि काफी मजदूर मिलकर एक समिति बना लें और कन्सेशन पर सामूहिक तौर पर ठेका ले लें । तो हमारा मुद्दा यह है कि सिमट-सिमट कर दौलत एक आदमी के पास न पहुंच जाये ।

जहां तक यह सवाल है कि ये कुल ठेके एक ही आदमी के नाम छोड़ दिये जायेंगे, ऐसा नहीं है । इसमें छोटे-छोटे यूनिट बनाये जायेंगे और उसकी नीलामी की जायेगी ।

(इस समय ३ बज कर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

और उसको नीलाम किया जायगा और उसको बोली पर छोड़ा जायगा । अगर मजदूरों की सहकारी समितियां यहां भी बनती हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे । जैसे कि इससे पहले वन मन्त्री श्री श्रीचन्द्र ने प्रोत्साहन दिया उन लोगों की हिम्मत आफजाई की जायगी ।

माननीय, जहां तक राष्ट्रीयकरण का ताल्लुक है इसमें थोड़ी सी गलतफहमी रही है जिसको मैं साफ कर दूं कि राष्ट्रीयकरण के विरोध में यह बिल नहीं लाया गया । पहली बात यह है कि राष्ट्रीयकरण किस बात का किया गया था । पहले तेंदू पत्ता के जंगल सरकार के पास थे और कुछ प्राइवेट लोगों के पास थे । होता यह था कि वनों के करीब जिनके जंगल थे उसमें बड़ा घपला होता था । तेंदू पत्ता इकट्ठा कर लिया गया और कह दिया गया कि यह तो हमारे जंगल का पत्ता है । उस समय इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस व्यापार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन--]

को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था इसलिये कि प्राइवेट लोग जो हैं वह अपना पत्ता केवल सरकार को बेचें । जहां तक ठेकेदारी सिस्टम की बात थी उस समय एक एजेन्ट नियुक्त किया जाता था । वह भी एक प्रकार से ठेकेदार था । उसमें दिक्कत यह हुयी कि वह एजेंट मिल गया ठेकेदारों से और खरीदारी में यह करने लगा कि प्रति बोरा जो तरा जाता था उसको ज्यादा भरने लगा और कम बताने लगा । यह प्रक्टिकली बड़ी मुश्किल है कि हर पत्ते को गिना जाय । एक बोरी में ५० हजार पत्तियां होनी चाहिये । तो यह मुश्किल था कि कोई अधिकारी खड़ा रहे और हर पत्ती को गिने । तो इस तरह की मुश्किल थी । उस व्यवस्था को खत्म करने के लिये यह किया गया कि वह सर्किल ही दे दिया जाय यूनिट बना-बना कर इसमें वह चाहे जितनी पत्तियां भरें, हमने एक स्टीमेट बनाया कि कितनी पत्ती हो सकती हैं और उसको नीलाम कर दिया जाय । मैं फिर आश्वासन दिलाता हूं कि अगर इस सम्बन्ध में इस प्रकार की समितियां होंगी तो उनको हम वेलकम करेंगे ।

मान्यवर, जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि ठेकेदारी सिस्टम है तो बड़े ठेकेदारों का सिस्टम धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है और एक समय आयेगा कि बहुत बड़े ठेकेदार इस काम को बन विभाग में नहीं करेंगे । इसका उद्देश्य केवल यह है कि दौलत केवल सिमट-सिमिट कर कुछ लोगों के पास न चली जाय । आपने कहा कि इसमें मजदूरों के हित की क्या बात है तो मैं अर्ज करूं कि सन् ७६ में साढ़े २२ रुपया दिया गया । सन् ७७ में २५ रुपया दिया गया और सन् ७९ में ३० रुपया कर दिया गया है । तो मजदूरों के हित का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की है न केवल अपने रेवन्यू की बल्कि मजदूरों के हित को भी सामने रखा है । इसके लिए एक कमेटी होती है जिसके चेयरमेन कमिश्नर होते हैं और जिसमें विधायकगण भी शरीक होते हैं । वह लोग अपने वहां के मजदूरों, गरीबों का ध्यान रखते हैं । मैं आशा करता हूं कि वह कमेटी ज्यादा से ज्यादा गरीबों के हित की रक्षा करेगी और विधायकगण उसमें अधिक से अधिक दिलचस्पी लेंगे । मैं माननीय वर्मा जी से एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि जैसा उन्होंने कहा था कि अगर यह बताया जाय कि इसमें क्या हित की बात होगी तो यह हित की बात है कि अगर समितियां बना दी जाय तो उन समितियों को रिकगनाइज करेंगे, हम उनको लाभ उठाने का अवसर देंगे ।

तो मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव आप वापस लेने की कृपा करेंगे और माननीय सदन इसको मंजूर करेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जब मंत्री जी अपने विधेयक से एक कदम नहीं डिगे तो हमारे डिगने का भी सवाल पैदा नहीं होता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ का अनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड २, ३, खन्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९७२ का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९७९ कहा जायगा ।

(२) यह ७ अप्रैल, १९७९ को प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११ सन् १९७२ में नई धारा ५ क का बढ़ाया जाना

२--उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९७२ में धारा ५ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्--

"५-क--(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा १६ के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसे राज्य सरकार ने तेंदू पत्ता बेचा हो या जिसके साथ तेंदू पत्ता बेचने का अनुबन्ध किया हो, राज्य सरकार की ओर से सीधे तेंदू पत्ता उत्पादक से ऐसे उत्पादकों को उसके मूल्य का भुगतान करने पर उसका संग्रह करने का अनुज्ञा-पत्र देकर विहित रीति से प्राधिकृत कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट अनुज्ञा-प में बेची गयी अनुमानित मात्रा, तेंदू पत्ता उत्पादक क न म, ऐसे उत्पादक को भुगतान करने के लिये अपेक्षित धनराशि और ऐसे अन्य ब्योरे जो विहित किये जायं, विनिर्दिष्ट होंगे :

(३) उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजन के लिये जो विहित किया जाय, अभिकर्ता समझा जायगा, किन्तु वह तेंदू पत्ता के संग्रह के लिए कमीशन के रूप में या अन्य प्रकार से कोई धनराशि पाने का हकदार नहीं होगा ।"

निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८ सन् १९७९

३--(१) उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा तथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खन्ड २, ३, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९ पारित किया जाय ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे मेरी शंकायें और भी स्पष्ट हो गयी हैं । मान्यवर, सही है कि आज आप बैठे हैं कल श्री श्रीचन्द्र जी थे । इसी तरह से श्री बनारसी दास की जगह पर श्री राम नरेश यादव मुख्य मंत्री थे । लेकिन मैं समझता था कि बनारसी दास जी भी जनता पार्टी के हैं और राम नरेश जी भी उसी पार्टी के थे । आज जो वन मंत्री जी हैं वह और जो इसके पहले थे वह भी जनता पार्टी के थे तो श्री श्रीचन्द, वन मंत्री ने स्पष्ट इसी सदन के अन्दर घोषणा किया और इस सदन की स्टेन्डिंग कमेटी जो है उसमें भी घोषणा किया था कि ३ वर्ष के अन्दर हम ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज वन मंत्री का भाषण होता है कि हम एक दम ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं करेंगे । पहले जहां हमें लाभ होगा वहां ठेकेदारी प्रथा रखगे और जहां लाभ नहीं वहां नहीं । यदि ऐसा नहीं है तो आप उत्तर देंगे उसमें स्पष्ट कर देंगे कि माननीय श्री श्रीचन्द जी ने जो नीति सम्बन्धी घोषणा किया था कि तीन वर्षों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त इस प्रदेश से हो जायेगी उसका पालन करें । अब दो वर्ष समाप्त हो गये हैं और एक वर्ष बाकी है इसलिये मंत्री जी इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा करें मंत्री जी ने इसमें कहा कि जो तेंदू पत्ता तोड़ने वाले मजदूर हैं यह उनके फायदे का है । इसी तरह एक सदस्य ने कहा था कि किस तरह से जो बेचारे गरीब हरिजन लोग वहां काम करते थे उनके ऊपर कितने जुल्म होते थे, उनको पेड़ों से बांध दिया जाता था । आप कहते हैं कि लाट्स बनायेंगे और तब नीलाम करेंगे तो इसमें बड़े ठेकेदार हिस्सा लेंगे । वही दुर्गति जो अब उन हरिजनों की हो रही थी, वह अभी भी होगी तो क्या फायदा ? माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि कुछ और बढ़ायें लेकिन इस बिल में कहीं नहीं है । माननीय मन्त्री जी नेक आदमी हैं—उनकी नियत पर संदेह नहीं । लेकिन कहां लिखा हुआ है कानून में छोटे-छोटे लाट बनाकर छोटे-छोटे आदमियों को देंगे ? कहां लिखा हुआ है कि सहकारी समितियों को प्राथमिकता देंगे ? कहां लिखा है कि आप पूरे सर्किल का एक पूरा लाट बनाकर ठेकेदार के हवाले नहीं करेंगे ? केवल जबानी वायदे से कुछ नहीं होता ।

हम तो खुद ही कहते हैं कि पिछली सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया और उसको खत्म करने की दिशा में आपने पहला कदम उठाया । आप कहते हैं कि नुकसान हुआ । लेकिन क्यों हुआ ? मशीन आपकी, कर्मचारी आपके । क्यों नहीं ऐसे कर्मचारियों को पकड़ते हैं जिनकी वजह से नुकसान हुआ । आपने एक और तर्क दिया और वह यह कि चूंकि वे पत्ते बोरों में ज्यादा भर दिये जाते थे इसलिये तमाम यह होता था । मैं पूछना चाहता हूं कि यह सब कुछ वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता है । आज कहते हैं कि इसके लिय सिस्टम बनायेंगे । लेकिन वह सिस्टम कौन तैयार करेगा ? वे ही करेंगे और माफ करे मन्त्री जी, आप तो कहते हैं कि बड़े-बड़े कर्मचारी घपला नहीं कर सकते, गलत है । आपके वन विभाग के अन्दर जितनी मेहनत करने वाला कर्मचारी फारेस्ट गार्ड है, जिसको इतना लम्बा इलाका दे रखा है, उतना ईमानदार कोई नहीं है । जितने ज्यादा ऊंचे आफिसर, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार । ये जो आपके बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, ये पतरौल को कुछ नहीं समझते । बड़े-बड़े ठेकेदार फारेस्ट गार्ड को (जो थोड़ा उससे बड़ा होता है, उसको भी) मुंह नहीं लगाते । आपके कन्जर-वेटर, डी० एफ० ओ० और रेन्जर ये लोग इन ठेकेदारों के सामने दुम हिलाते हैं । तो आपके बड़े कर्मचारी ज्यादा भ्रष्ट होते हैं । बड़े-बड़े ठेकेदार जो लाखों और करोड़ों में खेलते हैं, वे आपके फारेस्ट गार्ड को कुछ नहीं समझते हैं । तो कृपा करके आप एकबार अपनी वन नीति को स्पष्ट कर दें । जितनी नीति सम्बन्धी गड़बड़ियां वन विभाग में हैं, उतनी कहीं नहीं हैं । आज क्या होता है ? हमारे बहुगुणा जी हड़ताल पर बैठ जायेंगे और ऐलान हो जायेगा कि एक पेड़ भी नहीं कटेगा । नतीजा होता है कि किसानों को हल के लिये भी लकड़ी नहीं मिल पाती । दूसरी तरफ यह नीति अपना ली कि ठेकेदारों से सारे जंगल कटवा देंगे या तो इधर या उधर । तो कृपा करके आप मुख्य मंत्री जी के साथ, वन

[श्री गोविन्द सिंह नेगी---]

विभाग में जो विशेषज्ञ हैं, उनको लेकर और जो सर्वोदय वाले हैं, चाहे तो उनको भी ले ले, एक बार बैठकर विचार कर लें और अपनी वन नीति को स्पष्ट कर दें ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अभी इस पर जल्दबाजी न करें । एक छोटी सी प्रवर समिति बना दें । प्रवर समिति के अन्दर सारी बातें आ जायेंगी । कोई जल्दी नहीं । तेंदू पत्ते का कानून तो अपनी जगह है ही ।

एक सदस्य---

माननीय, यह किस चीज पर बहस हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष ---

उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है तो उनको अधिकार है कि अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

क्या ६९ वाले पर बोल रहे हैं या ७९ वाले पर बोल रहे हैं । किस पर बहस हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष ---

कृपया बैठें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

इसलिये मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर अच्छी तरह से बहस हो जाय । इसके लिये आप माननीय सदस्य के प्रस्ताव को स्वीकार करलें तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर एवं माल कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ तथा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ के अनुमोदन का संकल्प व उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९‡

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर एवं माल कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ का अनुमोदन करता है ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ का अनुमोदन करता है ।

---

‡विधांक ४ मई, १९७९ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९ पर विचार किया जाय ।

*परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, यह जो विधेयक उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९ लागाया गया है इसमें जिन दो अध्यादेशों का जिक्र माननीय राम आसरे वर्मा ने किया है उनका प्राविधान इस संशोधन विधेयक में कर दिया गया है । इसके दो हिस्से हैं । पहला हिस्सा यह है कि जो कठिनाइयां कर की रकम जमा करने में थी उसको दूर करने का प्रयत्न इसमें किया गया है । ३० जून, १९७९ तक जिनको कर देना हो वह जमा कर सकते हैं । इसका जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि सबको जानकारी है माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जो ने जो विधेयक प्रस्तुत किया था और जिसको अभी सदन ने पारित किया है उसी से सम्बन्धित है । बहुत दिनों से, बल्कि अंग्रेजों के शासन काल से यह मांग चली आ रही थी कि टाउन, नोटीफाइड एरिया, नगरपालिका के अन्तर्गत जो बैरियर्स हैं उनको समाप्त कर दिया जाय । इस मांग के पीछे यह भावना थी कि जब ट्रक चलते हैं तो रास्ते में अनेक स्थानों पर बैरियर्स पर रुकना पड़ता है जिसके कारण समय का, पेट्रोल का और डीजल की बरबादी होती है । इस पर विचार करने के लिए बीच-बीच में उत्तर प्रदेश शासन ने समितियां बैठायी ।

एक लाकड़वाला समिति बनी थी । जब चौधरी चरण सिंह जी स्वायत्त शासन मन्त्री थे तब एक कमेटी बैठी थी, जे० डी० शुक्ला कमेटी बैठी, इन सभी ने संस्तुति की थी कि इस प्रकार की बैरियर्स को समाप्त कर दिया जाय क्योंकि इनसे आवागमन में गतिरोध उत्पन्न होता है । इनको समाप्त करने का जो प्राविधान किया गया है यह बहुत क्रान्तिकारी है । ट्रक आपरेटर्स और जनता की जो बहुत दिनों से चली आ रही मांग थी उसकी इससे पूर्ति होगी । आप जानते हैं कि टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, नगरपालिका में पथकर लगता है । जो विधेयक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उस पर माननीय वर्मा जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है । तो मैं चाहता हूं कि माननीय वर्मा जी पुनर्विचार कर लें क्योंकि इससे किसी के ऊपर अतिरिक्त कर भार नहीं लग रहा है । केवल इसमें यह प्राविधान किया गया है कि माल कर और यात्री कर की दर में क्रमशः २ प्रतिशत और १ प्रतिशत की वृद्धि होगी । इस प्रकार पथकर से जो क्षति होगी वह नहीं होगी । मेरा तो मान्यवर यही निवेदन है इस माननीय सदन से कि इसको जिस प्रकार से यह प्रस्तुत किया गया है वैसे ही पारित कर दिया जाए । माननीय वर्मा जी भी अपने विचार व्यक्त करें, उनके विचारों का शासन की ओर से आदर किया जाएगा लेकिन जो उनका संशोधन है, उसको निश्चित रूप से वे वापस ले लें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राम आसरे वर्मा, श्री---]

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में इस विधेयक की तरफदारी करते हुए बातें कही और शायद अगर क्रांतिकारी शब्द न जोड़ते तो इस पर इतना ज्यादा वजन भी न पड़ता । आपने यह भी कहा है कि जो यह विधेयक आ रहा है, इसका जनसाधारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । मैं ज्यादा वाद-विवाद में न पड़कर केवल एक लाइन में, जो इन्होंने पूरा बोझ भर दिया है जनता के ऊपर, उसे रखना चाहता हूं । इस निर्णय के फलस्वरूप स्थानीय निकायों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिये यह भी निर्णय लिया गया है कि मालकर और यात्रीकर की दरों में क्रमशः २ प्रतिशत और एक प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए । यह मालकर किससे वसूल किया जाएगा ? यात्रीकर किससे वसूल किया जाएगा ? उसका सीधा भार जनता के ऊपर पड़ेगा । मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि इस विधेयक का जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

मान्यवर, जहां तक उसके दूसरे हिस्से का सवाल है, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कर की रकम को वसूली करने के लिये जो एक व्यवहारिक कठिनाई थी, उस कठिनाई को दूर करने के लिये यह कदम उठाया गया है, उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि व्यवहार में कठिनाइयां आती हैं, उनको दूर करने के प्रयास किये जाते हैं । मैं तो चाहूंगा कि इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई और व्यवहारिक कदम उठाये जायें तो सदन उसका समर्थन ही करेगा लेकिन मैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये सिर्फ इसलिये आग्रह कर रहा हूं कि विधेयक लाया जाए, जनता के हित के लिये लाया जाए। विधेयक लाया जाए, जनता की कमर न टूटे, इसके लिए लाया जाए । समय की मांग यह है कि जनता के ऊपर तरह-तरह के बोझ लदे हुए हैं, उस बोझ से जनता को मुक्ति दी जाए। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि बजाए जनता को बोझ से मुक्ति देने के जनता के ऊपर बोझ और लादा जा रहा है । पता नहीं यह बोझ किस दिन जनता की कमर तोड़कर रख दे । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के अपने प्रस्ताव को दोहराता हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो बहुत अनुभवी हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया है कि इसका बोझ जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा । यात्रीकर जब दो फीसदी बढ़ेगा तो जो यात्री ऊपर चलेगा, उसपर पड़ेगा या कहीं दूसरी जगह चला जाएगा ? एक फीसदी या दो फीसदी माल के ऊपर बढ़ेगा, माल जो खरीदेगा, उसके ऊपर जाएगा । इसलिये माननीय मन्त्री जी का तर्क गलत है । प्रस्ताव के प्रवर समिति में जाने से इस पर वृहत रूप से विचार हो सकता था । माननीय मन्त्री जी का विभाग बहुत बड़ा है । जो कर अभी तक लगा हुआ है, उसी कर को इनका विभाग ठीक से वसूल नहीं पाता है जैसे यात्रीकर है । यात्रीकर सरकारी गाड़ियों पर है, रोडवेज की बसों पर और प्राइवेट बसों पर भी है । प्राइवेट गाड़ियों के लोग क्या करते हैं कि अगर चलाते हैं ३० मील, दिन में दो बार जायेंगे और दो बार आयेंगे । लेकिन वे आर० टी० ओ० और दूसरे आफिसर्स से मिल जाते हैं ।

कल मैंने मन्त्री जी से कहा भी था । इनके अधिकारी उनके साथ मिलकर कहेंगे कि एक बार गाड़ी आई और एक बार गई, ३० मील नहीं चली, १५ मील

चली । १५ मील का लम्प सम जमा कराया गया । एक होशियारी ये और करते हैं । मैंने बहुत छान बीन करायी और मुझे पता चला गाड़ियां चल रही हैं बहुत अच्छी । अगर वह तीन महीने में पकड़ी नहीं गयी किसी गड़बड़ी में । मोटर के मालिक कारखाने में खड़ी रही का सर्टीफिकेट बनवा कर ले आते हैं । कहते हैं हमारी यह गाड़ी कारखाने में खड़ी थी । इससे फायदा क्या होता है, यात्री कर से बच जाते हैं, रायलटी दे नहीं पाते हैं, रोड टैक्स से बच जाते हैं । इसका मैंने कल जिक्र किया माननीय मन्त्री जी से । वह पैसा जो बचता है उसको प्राइवेट मोटर मालिक और आर० टी० ओ० के दफ्तर वाले और आर० टी० ओ० साहब खा जाते हैं ।

तो श्रीमन् मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा विभाग अगर आप अपना ही पैसा खाने से बचा लें, यह जो लूट हो रही है उसी को रोक दें तो मैं समझता हूं कि करोड़ों की चोरी प्रति वर्ष जो हो रही है उसी से यह काम चल सकता है । इसीलिए यह संशोधन रखा गया है । इसके और भी बहुत से पहलू हैं । अब देखा यह गया है कि माननीय मन्त्री जी के विभाग में जितने आजकल माननीय मन्त्री जी अपने को समाजवादी कहते हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

कहते नहीं, हैं...

श्री ऊदल--

मेरा तो अनुभव, यह है कि जो अपने को समाजवादी कहते हैं वह अब अब खत्म हो रहे हैं । तो श्रीमन्, जो सड़कें नेशनेलाइज्ड हैं उनके ऊपर प्राइवेट बसों को परमिट दिया गया आपकी सरकार ने दिया, पिछली सरकार ने दिया वे बसें आज कल के सभी डिपोज में लग जाती हैं, और आगे लग जाती हैं, सरकारी बसें पीछे हो जाती हैं और पैसा लोग खा जाते हैं और इन बसों को आगे जाने की इजाजत दे देते हैं । रोडवेज विभाग इस प्रकार चला करता है । यदि यही चीज रोक दी जाय तो यात्री कर से ही काफी रुपया इस विभाग को मिल सकता है ।

बहुत सी ऐसी चीजें हैं । कल ही मैंने मन्त्री जी को बनारस के बारे में बताया और उन्होंने आश्वासन भी दिया । एक एथारिटी बना दी है आर० टी० ए० और एक है स्टेट ट्रान्सपोर्ट एथारिटी । इसे इतने वर्ष हो गये हैं इसे खत्म कीजिए । इसको ऐसे अधिकार दे दिये गये हैं कि यह कहते हैं कि हमें जुडिशियल अधिकार हैं । नई रोड का परमिट नया दिया जाना चाहिए, दूसरी रोड का परमिट उस पर नहीं होना चाहिए । वाराणसी १२ मील नेशनेलाइज्ड रोड पर चल सकते हैं परमिट का नवीनीकरण नये रोड पर वाराणसी में जमापुर से मड़ियाहूं किया गया इससे १६ मील राष्ट्रीयकृत मार्ग जौनपुर वाराणसी पर चलने का अधिकार इनको दे दिया । मैं कहता हूं कि ये दो एथारिटी आपने क्यों बना रखी हैं । इसे खत्म कीजिए । प्राइवेट आपरेटर्स से मिलकर लाखों रुपयों का नुकसान विभाग को पहुंच रहा है ।

इसलिए जो विधेयक है मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इसको पास करा लेंगे समाजवादी कह रहे हैं तो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में होंगे । १०० फीसदी नहीं तो ५० फीसदी तो होंगे तो इसको प्रवर समिति के पास जाने दें । बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो प्रदेश की जनता के हित में हैं । इनके ऊपर व्यापक रूप से विचार

[श्री ऊदल---]

विमर्श करके एक वृहद् विधेयक मन्त्री जी पेश करेंगे ताकि सरकार को जो आमदनी है वह भी ठीक से मिल सकेगी और पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा राहत मिलेगी और जो चोरियां हो रही हैं बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े बसों के, ट्रकों के आपरेटर और विभाग के लोग, आर० टी० ए० के लोग पैसा खा जा रहे हैं उसको कम से कम रोका जा सकेगा कुछ उसके बारे में प्राविधान बनाया जा सकेगा । इन्हीं प्रश्नों को मैं सदन के सामने आपकी आज्ञा से रख रहा हूं मुझे उम्मीद है मन्त्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । मैंने बड़े गौर से माननीय वर्मा जी और ऊदल जी को सुना । जो स्थिति इस बिल के पेश होने से पहले रही है वह बड़ी तकलीफदेह रही है । बैरियर्स के रहते चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे यात्रा करने का सवाल हो हर १०वें अथवा ५०वें किलोमीटर पर कुछ समय के लिये गाड़ी का खड़ा होना अवश्यम्भावी था और यह परेशानी वर्षों से महसूस की जा रही थी । समय-समय पर जितने परिवहन मन्त्री हुए हैं, जो कमेटियां बनाई गयी उनकी भी यह सिफारिशें रही हैं और जनहित में यह राय दी है कि बैरियर्स खत्म होने चाहिये और इस विधेयक के जरिये बैरियर प्रथा समाप्त हो रही है । लिहाजा यह स्वागत योग्य कदम है । संसदीय लोकतंत्र में विरोध का एक तरीका हुआ करता है । स्वस्थ विरोध अच्छाइयों को समर्थन भी देता है । अगर पिटी पिटाई लकीर पर ही विरोध होता है चाहे अच्छा विधेयक ही हो उसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय और भले ही १५ दिन का समय लगाया जाय तो इससे बात उलझेगी ही । वर्मा जी मेरे इस निवेदन पर विचार करेंगे । इतना आग्रह माननीय मन्त्री से मेरा है कि इसे केवल नोटिफाइड एरिया, टाउन एरियाज में ही लागू न किया जाय बल्कि जो ५ नगरमहापालिकायें हैं वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा तथा इलाहाबाद उनकी सीमा के अन्दर भी बैरियर प्रथा को समाप्त करेंगे ।

ऊदल जी ने जैसा कहा कि एस० टी० ए० तथा आर० टी० ए० में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका मैं समर्थन करते हुए शासन से मांग करूंगा कि परिवहन विभाग को बुनियादी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की जाय । घिसे-पिटे तरीके से जैसे ये विभाग चलता आया है वैसे ही चलता रहेगा तो एक समय में जा कर उसकी गति रुक जायगी । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि यह एक अच्छा, रोजगार में प्रगति लाने वाला तथा परेशानियों से बचाने वाला विधेयक है जिसको नगर महापालिकाओं के अन्दर भी लागू करना चाहिये ।

*श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)---

माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । वैसे यह सही है कि जो भी टैक्स इसके ऊपर बढ़ाया जायगा उसका असर आम जनता पर पड़ेगा लेकिन इसके द्वारा, जो सुविधा ट्रक वालों को दी गयी है, एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है जिससे ट्रक वालों को जो परेशानी बैरियर्स पर होती थी उससे वह अब बचेंगे । बैरियर्स की प्रथा नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया तथा नगरपालिकाओं से हटायी गयी है उसे नगर महापालिकाओं से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी हटा दें तो बहुत अच्छा रहेगा । मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जहां आप नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया से बैरियर्स हटा रहे हैं वहीं पर मंडी समितियां अपने बैरियर्स लगा देती हैं । इस तरह से एक तरफ तो हम बैरियर्स हटाने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ बैरियर्स लगा रहे हैं जो ठीक नहीं है । इससे ट्रक वालों को बहुत असुविधा हो रही है । दूसरी बात यह है कि मन्त्री जी ने २ प्रतिशत कर वृद्धि की है । अगर उसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाय तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि हर जिले के ऊपर जो बैरियर्स लगे हुये हैं और उनको टोल टैक्स दिया जा रहा है जो कि ७५ प्रतिशत उनकी जेबों में जा रहा है उससे ट्रक वालों को असुविधा हो रही है । अगर इस टोल टैक्स को एकआध प्रतिशत और बढ़ा दिया जाय और ट्रक वालों को सुविधा दी जाय तो मेरी समझ से कोई हर्ज नहीं होगा ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर० टी० ओ० आफिस में बड़ा भ्रष्टाचार होता है, घूसखोरी होती है, मैं समझता हूं मन्त्री जी इसके बारे में जानते होंगे । अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे साथ वहां चलिये, तो पता चल जायेगा । दो-दो दिन लोगों को वहां पर बैठे रहना पड़ता है, सुबह से शाम तक किस तरह से वहां के कर्मचारी लोगों को परेशान करते हैं, इसका नमूना मन्त्री जी वहां जाकर देख सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह टैक्स देने की पद्धति में कुछ सरलीकरण कर दें । जैसे इसे बैंक में जमा किया जा सकता है । तब कुछ भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है । इससे ट्रक वालों को बड़ा परेशानी हो रही है । २ महीने के अन्दर १०० रुपये का पुरजा ३०० रुपये का हो गया । इससे बड़ी असुविधा हो रही है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसकी ताईद में बोल रहा हूं । इसमें दो राय नहीं है कि यह एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है इसलिये कि एक मुद्दत से जो बैरियर चले आ रहे थे और जगह-जगह पर ट्रक वालों को और दूसरी सवारियों को रुकना पड़ता था उसमें उनका टाइम बरबाद होता था । माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है उन्होंने खुद ही बड़ी सहमी हुई आवाज में इसे पेश किया है और ऐसा लगा कि यह संशोधन के लायक नहीं था जहां तक टैक्स का ताल्लुक है, टैक्स का जो भी रुपया होता था वह दूसरों की जेबों में ज्यादातर चला जाता था । इस विधेयक को लाने के बाद मुझे ऐहसास है कि जो २ फीसदी माल पर और एक फीसदी यात्रियों पर जो टैक्स बढ़ाया है यह सारा पैसा नगरपालिकाओं को मिलेगा और इससे सरकार को फायदा पहुंचेगा । जो चीजें जनहित में हैं और जिनका फायदा सबको पहुंचा है ऐसी चीजों को लाने जनता के अन्दर एक अच्छी भावना पैदा होती है और समाज के माहौल पर अच्छा असर पड़ता है ।

जहां तक भ्रष्टाचार का ताल्लुक है भ्रष्टाचार केवल ट्रान्सपोर्ट के अन्दर ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े आफिसेज में भी व्याप्त है इसकी रोकथाम में समझता हूं

[श्री शफीकुर्रहमान बर्क—]

सरकार करेगी। जहां तक हमारे इन बैरियर्स का तालुक है इनमें टैक्स की वसूलयाबी में बहुत परेशानी होती थी तो अब दूर होंगी और ट्रक वाले, मोटर-गाड़ियों वाले जिनका समय बरबाद होता था और ज्यादा पेट्रोल खर्च होता था जगह-जगह रुकना पड़ता था तथा और बहुत सी दुश्वारियां आती थी वह सब दूर होंगी। मैं समझता हूं कि इस विधेयक से बड़ा बल मिलेगा और जो पहले टैक्सेज की वसूलयाबी नहीं होती थी उसकी भी बसूलयाबी अब हो जायेगी। इससे जनता को फायदा मिलेगा और साथ ही साथ ट्रान्सपोर्टर्स को भी लाभ होगा, उनका जो समय बरबाद होता था वह अब नहीं होगा। इन मुख्तसर अलफाज के साथ क्योंकि यह ज्यादा लम्बा चौड़ा बिल नहीं है मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैं श्री वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जो विधेयक मंत्री जी लाए हैं इसमें मुझे कुछ अस्पष्टता नजर आई जिसके लिए मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। आपने, जो मोटर ट्रक चालकों की कठिनाइयों को उनकी यूनियनों के द्वारा आपके सामने लाई गई उसको देखते हुए टोल-टैक्स को समाप्त किया। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी जो परिवहन विभाग की बसें हैं जिनको बैरियर्स पर टैक्स भुगतान करने के लिए रुकना पड़ता है और कंडक्टर जाकर भुगतान करता है जिसमें ५ से १५ मिनट तक लग जाते हैं जिससे पैसेन्जर्स को परेशानी होती है उनके लिए भी आपने कुछ सोचा है कि उसे दूर कर दिया जाय और उनके टैक्स को भी माफ कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि जो प्रदेश के बाहर से गाड़ियां आयेंगी उन पर १०० रु० प्रति गाड़ी के हिसाब से टैक्स लेंगे। यह जो एक प्रतिशत और दो प्रतिशत की बढ़ोत्री मालिकर और यात्रीकर पर की है इसके परिणामस्वरूप आपने क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया है उन टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटीज को जिनको इसे हटाने से नुकसान हुआ है। पहले वसूली के माध्यम जो थे वह खुद थे अब आप कर को वसूल करेंगे। जो क्षति होगी उसकी किस अनुपात से पूर्ति करेंगे। इसका समावेश विधेयक में नहीं है। मुझे इसमे यह बात नहीं दिखाई दी कि किस तरह से क्षतिपूर्ति आप करेंगे। जितना नुकसान हुआ है वह देंगे या आनुपातिक रूप से देंगे। यह प्रदेश के बाहर से आने वाली गाड़ियों से जो लेंगे, उसको कैसे लेंगे और उसको कैसे उन्हें देंगे और जो वसूलयाबी होती है, उसको किस अनुपात से क्षतिपूर्ति के लिए उनको आप देंगे? इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसके अलावा परिवहन विभाग की गाड़ियों से यात्रियों को जो तकलीफ होती है, उसकी भी सफाई होनी चाहिए, उनका भी प्रबन्ध होना चाहिए यदि इस पर विचार नहीं किया है तो वर्मा जी का संशोधन मानकर आपको इसे प्रवर समिति को सौप देना चाहिए।

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं। आपने बताया कि जो गाड़ियां बाहर से आती थीं, उनके चुंगी पर खड़े रहने के कारण डीजल वगैरह बहुत खर्च होता था। लेकिन

उसके स्थान पर उस धनराशि के वसूल करने के लिए माल कर में २ प्रतिशत और यात्री कर में एक प्रतिशत का जो कर लगाया गया है, वह मेरी दृष्टि में जनता पर ही पड़ेगा । वैसे मंत्री जी ने इसकी व्यवस्था की होगी, इसमें इस बात की भी व्यवस्था हो, क्योंकि बस वाले किराया बढ़ाते हैं और यहां तक करते हैं कभी-कभी सवारियों से यात्री कर आदि नहीं लेते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, उनका लमसम टैक्स जमा करा लिया जाय । हमारे ललितपुर में यात्री कर बहुत कम लिया गया है । इसके अलावा बुन्देलखंड क्षेत्र में जो प्राइवेट बसें हैं, वह उन्हें किराए पर देते रहते हैं, क्योंकि टैक्सी का परमिट आप देते नहीं हैं । तो मेरा सुझाव है कि उनको टैक्सी के रूप में परिवर्तित कर दें तो उसकी मिली हुई धनराशि क्षतिपूर्ति में काम आवेगी ।

जहां तक टैक्स चोरी का सवाल है, मैं भी उसका शिकार हूं । मैंने उस पर असेम्बली प्रश्न किया था और २४ जुलाई को कमिश्नर महोदय को भी दिया था, किन्तु न असेम्बली क्वैश्चन का कोई जवाब मिला और न टैक्स चोरो के खिलाफ कोई कार्यवाही ही हुई। इसलिए आपका विधेयक तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका सख्ती से कार्यान्वयन होना चाहिए। ये प्राइवेट बसें यहां से वहां जाती हैं, आपने इनके सम्बन्ध में कहा है. कि इन पर बार्डर पर ट्रक पर १०० रुपया लगेगा, किन्तु प्राइवेट बसें दूसरे रूट से बराबर पास होती रहती हैं ।

मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं कानपुर में जितनी टैक्सियां और बसें चलती हैं उनमें विधायकों का भी किराया लगता है । आप देखें वह लोग बस का टिकट नहीं देते हैं । इस प्रकार से बराबर टैक्सों की चोरी होती है । उसका कारण यह है कि विभागीय कर्मचारी फिटनेस सार्टिफिकेट देने तक का २ सौ रुपया लेते हैं । जिनके नाम बस का परमिट है और वह खुद नहीं चलाते हैं इस प्रकार की बंगलिंग है, उसके कारण मजबूरी से रिश्वत देनी पड़ती है, या कर की चोरी करनी पड़ती है । इस प्रकार का कोई एफीडेविट ले लें कि वास्तव में बस और परमिट हमारा है । जिसमें भविष्य में यदि मुकदमा लड़ा जाय तो उसमें सबूत मिलेगा ।

दूसरे, वे बिल में एडवांस में दस्तखत होता है । कोई हर्ज नहीं है । लेकिन प्रतिदिन के हिसाब से वह मेनटेन नहीं किया जाता है । जितने भी पी० डी० ओ०, जो भी दौरे पर निकलते हैं, आंख मींच कर दस्तखत कर देते हैं । इस लिए फ्लाइंग स्क्वायड निर्धारित किया जाय जो इस प्रकार की चेकिंग कर सके । जो यात्री कर में अवैधानिक मीन्स अडाप्ट करके, जो लोगों को जजिया के रूप म कर देना पड़ता है, जैसा कि मैंने स्कूटर का ५० रुपए टैक्स जमा किया, उसमें पांच रुपए ले लिए जिस व्यक्ति से भेजा था। मुझे बड़ा अफसोस होता है । माननीय मंत्री को प्रार्थना-पत्र दिया था । पांच सौ रुपए केबल काउन्टर साइन करवाने में ले लेते हैं । इस प्रकार कैसे जनता पार्टी के शासन में स्वच्छ प्रशासन की कल्पना करेंगे, जब कि जजिया कर के रूप में पैसा लिया जाता है । माननीय मालवीय जी के जरिए हमें आशा है कि सम्भव हो सकेगा, मालवीय जी जरूर सुधार करेंगे । वह बड़े अनुभवी हैं । उन्होंने दुनिया देखी है और विरोधी दल के नेता भी रहे हैं । ऐसी स्थिति में वह सम्पूर्ण परेशानियों को महसूस करते हैं । तो इस प्रकार की विसंगतियां वह दूर करें । जो मैंने प्रार्थना की, यात्री

[श्री रणवीर सिंह]

कर लमसम में जमा करने के लिए आदेश करें। दूसरे जो प्राइवेट कार रखते हैं वह टैक्सी के रूप म परिणित कर दें। तीसरे जो प्रतिशत यात्री कर पर लगाया है, जहां पर इस प्रकार की प्राइवेट बसेज चलती हैं ऐसी व्यवस्था कर दें कि वह किराया नहीं बढ़ायेंगे। तीसरे, जो माल कर दो प्रतिशत है, छोटे-छोटे आदमी भी माल मंगाते हैं। पान के डिब्बे वगैरह भी मंगाते हैं। अगर दो प्रतिशत टैक्स लगा दिया तो उधर बढ़ा देंगे। इसमें कोई मानदंड रखना चाहिए जिससे विसंगतियां दूर हों। इन शब्दों के साथ में माननीय मालवीय जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिए हैं उन पर थोड़ी से कृपा दृष्टि अवश्य करें।

ठाकुर मूलचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। परिवहन मंत्री जी ने जो इस बात का ध्यान रखा है कि कन्डक्टरों व ड्राइवरों और पब्लिक की दिक्कत दूर हो इनके मुहकमें में बहुत सुधार की जरूरत है। उन्होंने अधिकतर लोगों की दिक्कतें दूर की हैं, रास्ते म बसों को रुकना पड़ता था, समय बरबाद होता था, इससे जनता भी बहुत परेशान होती थी। इसके अतिरिक्त म्युनिसिपैलिटीज को आय बढ़ाने के लिए उन्होंने टैक्सेज बढ़ाए हैं। इसके साथ-साथ जनता की सहबूदी के लिए जो इस मुहकमें में अनियमितताये हो रही हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी है। जहां तक बसेज का रेगुलर होने का सवाल है हम रोडवेज में देखते हैं, कि बसेज इतनी खराब पड़ी हैं, वे रास्ते में रुक जाती हैं और रुकने के कारण यात्री भी परेशान हो जाते हैं और जो आमदनी सरकार को होनी चाहिए वह नहीं होती है। अगर आप बसों को सुचारु रूप से चलायें तो आपको कर बढ़ाने की आवश्यकता न होती। मेरा निवेदन है कि आप बसों और उनके वर्कशाप में कोआरडीनेशन करें। ड्राइवर और कंडक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। बस जंगल में रुक जाती है ड्राइवर और कंडक्टर बस वहीं छोड़ जाते हैं और जिसके कारण यात्री परेशान हो जाते हैं।

अब दूसरी बात में सफाई के बारे में कहना चाहता हूं। बसों की सफाई ठीक से नहीं होती है। जहां से बस चलती है अगर वहां पर उनकी सफाई हो जाये तो पब्लिक की परेशानी दूर हो जाए।

परिवहन विभाग में जो प्राइवेट बसें चलती हैं उनके कारण भी तमाम प्रकार की अनियमिततायें होती रहती हैं। उनका रोडवेज के कर्मचारियों के साथ सौदा हो जाता है जिससे ड्राइवर और कन्डक्टर (रोडवेज) बस को रोक लेते हैं और प्राइवेट बसें चलती रहती हैं, जिससे प्राइवेट बस वाले अधिक आमदनी करते हैं। इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। अगर इन चीजों को दूर कर दिया जाए तो आपको कर बढ़ाने की आवश्यकता न होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और माननीय मंत्री जी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि यात्रियों को बसों के आने के लिए इंतजार बहुत करना पड़ता है। स्टेशन वाले भी यह नहीं बता पाते हैं कि बस कब आवेंगी। ऐसी दशा में यात्री परेशान होता है। उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है परन्तु बस नहीं आती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जनता को अगर राहत देना चाहते हैं तो इस ओर भी आप सुधार करें कि बसें ठीक समय से चलें। मैं मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूं कि वह मेरे सुझावों पर अवश्य ही विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं उनको कुछ अपने सुझाव दे देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी यात्रियों की सुविधाओं को और बढ़ावें। बसें जो चलती हैं वह काफी भरी चलती है। वह भूसे की तरह भरी रहती हैं जिससे यात्रियों का दम घुटने लगता हैं। इस प्रकार का नियम बना दिया जाना चाहिए जिससे बसें ओवर लोड न हों और इस नियम का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप अपनी बसों को समय से चलावें। बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। बस स्टेशन वाले भी उनके बारे में नहीं बता पाते हैं। आपके विभाग में हरिजन लोगों की बड़ी दुर्दशा है। उनका कोटा पूरा नहीं है। हरिजन आना चाहते हैं लेकिन आपके विभाग में उनको कोई स्थान नहीं है। आप उनको अपने यहां समुचित स्थान दें। हरिजनों का जो कोटा है उसको पूरा करें। बसें चलाने के लिए भी हरिजनों को प्राथमिकता दें।

हाकर लोग बसों में घुसकर जो अपना सामान बेचते हैं इससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। यह हाकर्स लोग अधिकारियों व कर्मचारियों से मिले रहते हैं और इन्हीं के द्वारा बसों में चोरी भी होती है। अतः इन लोगों को बसों के अन्दर सामान बेचने की सुविधा नहीं होना चाहिए।

जो आपकी नान-स्टाप बसें हैं, वे कहने के लिए ही नान-स्टाप हैं, पर वे स्टाफ स्टाप बसें हैं, जगह-जगह रुकती चलती हैं क्योंकि उसमें आपके स्टाफ के लोग चलते हैं और उनको जहां उतरना होता है बस वहीं रुक जाती है। मुझे लखनऊ से सीतापुर नान स्टाप बसों में जाने का अवसर मिलता है। मैंने देखा कि वह जगह-जगह पर रुकती है।

छोटे-छोटे रूटों पर प्राइवेट बस आपरेटर्स को अपनी बसें चलाने की सुविधा आप दें। आप उनसे रायलटी ले लें और जिस तरह की व्यवस्था पंजाब में है वही आप अपने यहां भी लागू करें। अगर कम्पटीशन करके आप अपनी बसें चलावेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। दूर के मार्गों पर तो आप सफल हुए हैं पर छोटे मार्गों पर यात्रियों को बड़ी असुविधा हो रही है। अतः छोटे मार्गों पर बसें चलाने के लिए आप प्राइवेट आपरेटर्स को आज्ञा दे दें। इससे जो देश का धन लगा हुआ है उसका सदुपयोग हो सकेगा। इन शब्दों और सुझावों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। इसे जल्दी से पारित किया जाये।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो अपना संशोधन का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। परिवहन विभाग के पहले एक दूसरे मंत्री थे अगर सही है कि उनका अपने इस विभाग पर कोई अंकुश न होने के कारण भ्रष्टाचार काफी बढ़ा। किन्तु जब से मालवीय जी ने इस विभाग को लिया है, वे इसके मंत्री हुए हैं तब से उन्होंने इस परिवहन विभाग म आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया है। वे माननीय सदस्यों की बातों को ध्यान से सुनते भी हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

हैं । भूतपूर्व मंत्री जी की विशेष अनुकम्पा के कारण बहुत से अधिकारियों ने अपनी बसें तथा मोटरें चलाना शुरू कर दी थीं । जो रोडस खाली हैं वहां के बारे में यह शिकायतें मिली ह कि उन्हीं लोगों की बसें लगाई जाती हैं, जो भारी मात्रा में घूस देते हैं । जो लोग घूस नहीं देते हैं, उनकी बातों को अधिकारी लोग अनसुनी कर देते हैं ।

श्रीमन्, आपके विभाग में खास तौर से सरकार ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया है कि चाहे परिवहन विभाग हो या कोई भी विभाग हो, आपत्तिकालीन स्थिति में आपके विभाग में हजारों चालक परिचालकों बिना कसूर के सेवा से पृथक् कर दिया गया है । उतने मामलों की छानबीन के लिये विभाग ने एक कमेटी बना दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विधेयक पर बोलिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, पैसा लेंगे तो काम भी तो करना पड़ेगा ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

आपके विभाग में चालक-परिचालक एवं कर्मचारियों की छानबीन के लिये जो गठन किया है, उसमें आपके विभाग के लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं बल्कि हजारों शोषित, पीड़ित, सताये हुए कर्मचारी आज भी पड़े हुए हैं । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सिद्धान्ततः सरकार यह स्वीकार कर चुकी है कि उनको एक बार सेवा का और मौका दें । माननीय मंत्री जी आपने कुछ कर लगाने का भी संकेत किया है, मैं समझता हूं कि आप जैसे व्यक्ति जिनके गांव के लोगों ने कर के विरोध में आपके नेतृत्व में तथा सूबे भर के तमाम कर्मचारियों ने, कोई टैक्स न लगाया जाय, कोई जनता के ऊपर अत्याचार न बढ़े, इस पर आन्दोलन किया है । आप जैसे समाजवादी व्यक्ति, जब यात्री कर को समाप्त करने की घोषणा करेंगे, तो जनता आपका स्वागत करेगी । आप भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री भी रहे हैं, आपने बड़ा ख्याल पांडेय जी का रखा है । इनका आपने बहुत बड़ा मामला हल कर दिया है ।

आपने अपने भाषण में कहा है कि पहले कर्मचारियों का बहुत बड़ा समय नष्ट होता था, मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि बसें रुकती थीं, टैक्स दिया जाता था, लोगों की जो समस्यायें होती थीं, उनको सुना जाता था, लेकिन अब आपने उनको निरंकुश छोड़ दिया है । मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जो शोषित व्यक्तियों के विरोधी रहे हैं । वह आपके मित्र हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इस बिल और विधेयक में कुछ कमियां रह गयी हैं, तो इनको समाधान करने के लिये पक्ष और विपक्ष के लोगों की एक कमेटी बनायें जो १५ दिन के अन्दर में अपना प्रतिवेदन इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करे ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जो प्रस्ताव तो लाये हैं और आपने पैसेन्जर टैक्स भी बढ़ा दिया कुछ और टैक्स भी आपने बढ़ा दिया । मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि जिन यात्रियों के ऊपर आपने यह टैक्स बढ़ाया है, उनकी सुख-सुविधा के लिए भी आपने ख्याल रखा है या आपके विभाग ने ख्याल रखा है। तो मान्यवर, ऐसा लगता है कि मौत की सौदागर पुरानी गाड़ियां पहाड़ों पर चलेंगी और नई-नई गाड़ियां दिल्ली में चलेंगी। लेकिन तमाम पुराने छकड़े जितने उत्तर प्रदेश के अन्दर होंगे, ये सब के सब देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ में चलायेंगे और मान्यवर, पहले तो जिन्दगी का भरोसा नहीं होता कि कहां पर एक्सीडेन्ट हो जाये और दूसरे यकीन कीजिये कि अपने डेस्टीनेशन तक कोई बस नहीं पहुंच सकती। कोई २० मील पर, कोई ३० पर, ४० पर और कोई ५० मील पर खड़ी हो जाती है। हर अड्डे पर कोई न कोई बस खराब मिलेगी। यात्री सीजन तथा कुम्भ का मेला आने वाला है तो कृपया उन यात्रियों पर रहम कीजिये जिन पर टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं और नहीं तो कम से कम उनके जीवन की सुरक्षा कीजिये।

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम को अगर कोई डुबो गया है तो उनका वर्कशाप। आप चलकर देखिये देहरादून में सारा सामान गायब मिलेगा। नाम लिखा है वर्कशाप के पुर्जे हैं लेकिन वह सब के सब डुप्लीकेट हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नेगी जी, कुछ बजट पर भी बोलने के लिये छोड़ दीजिये और विधेयक पर बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्राइवेट बसेज जो आपने इन्ट्रोड्यूज की हैं, इसे भी आपने कारपोरेशन के सर्वनाश का तरीका बना दिया है। बड़े-बड़े आफीसर मोटी-मोटी रकमें लेकर प्राइवेट बसों को चलवा रहे हैं। आपकी बसों में यात्री नहीं बैठते हैं लेकिन उन बसों में यात्रियों का यह हाल है कि जैसे मुर्गे झावें में रहते हैं, उनको तो सांस मिलती है, लेकिन यात्रियों को वह भी नहीं।

जब आप समाजवादी थे, तो कम से कम जो पुरानी किताबें पड़ी हैं, उनको दुबारा देख लीजिय, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसका सर्वनाश हो रहा है। यात्री सीजन आने वाली है तो कम से कम देहरादून की बसेज को सुधारने की कृपा करें।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं लेकिन कुछ आशंकायें जिनका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। आप जानते हैं कि इसमें यह दिया हुआ है कि माल कर और यात्रियों पर दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है मेरा विचार यह है कि अब तक जितने ट्रक माल उठता था या यात्रियों पर जो कर लगता था वह टिकट में जुड़ता था या ट्रक वाले पे करते थे। इसलिए जहां तक मैं यह समझता हूं कि आपने एक ओर तो ट्रक मालिकों को सुविधा प्रदान कर दी पर जिनका माल जाता है उसके ऊपर और अधिभार बढ़ा दिया। आपने ट्रक आपरेटर को तो राहत दिला दी लेकिन माल ले जाने वाले के लिये असुविधा पैदा कर दी। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें और जब अपना उत्तर दें तो इस सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें। इसके अलावा जो ट्रक आपरेटर हैं वे आप देखेंगे कि ट्रकों में यात्रियों को भी ले जाते हैं और उसके लियें उन्हें कुछ नहीं देना पड़ता है। इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठायें। जहां तक बसेज का संबंध है इस प्रकार की गाड़ियां चल रही हैं जिनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेम सिंह चौहान]

स्थिति दयनीय है उनमें अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। यात्री कर को और कम किया जा सकता है अगर सारे धन को ठीक से रियलाइज किया जाय। इसमें जो आपके अधिकारी लगे हुये हैं जो आपके आर० टी० ओ० वगैरह हैं उनकी अपनी गाड़ियां चल रही हैं तो इस तरह से भ्रष्टाचार प्रशासन में लगे लोगों द्वारा हो रहा है इसको चेक करें। दूसरी चीज आप देखेंगे कि हमारी जो रोडवेज की गाड़ियां हैं वे अनुमति से अधिक जगहों पर चल रही हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि भ्रष्टाचार नहीं है। आप मेरठ, पश्चिम में देखिये, यहां पर एक-एक परमिट के लिय १ लाख, डेढ़ लाख से अधिक खर्च करने के लिये लोग तैयार रहते हैं। जब कि हमारी गाड़ियां इतने लंबे रूट्स पर चलती हैं लेकिन फायदा नहीं देतीं। लेकिन प्राइवेट परमिट वाले रिश्वत देने और सारे खर्च करने के बावजूद भी और कुछ लोगों को बिना पैसे दिये ले जाने के बावजूद भी २ हजार, ४ हजार रुपये महीना मुनाफा कमाती हैं। इसकी जांच आप करें। दूसरी चीज यह कि आपकी गाड़ियां मनमानी जगहों पर खड़ी हो जाती हैं, इसको चेक करना चाहिये। प्राइवेट परमिट जिनको दिये गये हैं उनकी गाड़ियों का निरीक्षण ढंग से किया जाय।

एक और परेशानी आप देखेंगे, जी० टी० रोड पर मैंने देखा है कि ट्रक वाले जहां चाहते ह इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और चेक नहीं करने देते हैं। आपके जो अधिकारी हैं उनको परेशान करते हैं और लड़ने पर भी अमादा हो जाते हैं। तो उनको दंडित करने की व्यवस्था करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो आपके आर० टी० ओ० कार्यालय के हैं, भगवान जाने, सभी जानते हैं, भगवान जाने उनकी आमदनी कितनी है। गाड़ी ठीक है १०० रु०, बिल्कुल ठीक है २०० रुपये, गाड़ियां रोक लेते हैं और गाड़ी वाले से और सिपाहियों से आपस में हिसाब तय हो जाता है। मंत्री जी बड़े तेज तर्रार हैं, यह सारा जो भ्रष्टाचार है इसको दूर करें। यात्रियों पर जो कर लगाया है, टिकट की कीमत ज्यादा है इसको किसी तरह से ठीक कर सकते हों तो करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक समाजवादी मंत्री द्वारा रखा गया क्रान्तिकारी विधेयक और उस विधेयक के बारे में इस सदन के जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं वह दिल से तो कुछ और कहते थे लेकिन अंत में यह कहकर रह गये कि हम विधेयक का समर्थन करते हैं। यद्यपि उन्होंने पूरे सदन की भावनाओं का समर्थन नहीं किया लेकिन मैं सदन की भावना से बंधा हुआ हूं इसलिये जो सार्वजनिक भावनायें हैं उनको देखते हुये मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं। यद्यपि मैं यह भी जानता हूं कि यह मेरा संशोधन स्वीकार होने वाला नहीं है। इसके साथ मैं एक अनुरोध मंत्री जी से करना चाहता हूं कि आपके परिवहन विभाग के बहुत से कर्मचारी अभी हड़ताल से आये हैं। वह ६ महीने जेल भी काटे हैं लेकिन वह पुराने मंत्री जी का कोढ़ था जिसको आपको धोना है। इसलिए उनकी मांगों पर आप विचार करें और जो ड्राइवर तथा कंडक्टर निकाले गये थे उनमें से बहुतों को ले लिया गया है और कुछ को नहीं लिया गया है जब कि उनको लिये गये वालों से कम गलतियां हैं। इसलिये उनको भी लेने पर मंत्री जी विचार करने की कृपा करें।

श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)---

मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक जो पैसेन्जर टैक्स लगता था उसमें से टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी को बस वाले टैक्स देते थे। तो आज जो टैक्स बढ़ा रहे हैं क्या यह उसके अलावा बढ़ाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका भी उत्तर दे देंगे।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं इस सदन का और विशेषकर माननीय राम आसरे वर्मा, श्री ऊदल, श्री सत्यपाल सिंह यादव, श्री रणजीत सिंह जूदेव, श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री नेम सिंह चौहान आदि का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही सार्वजनिक रूप में अपने विचार व्यक्त किये और कुछ सुझाव भी दिये। लेकिन इसमें कर के संबंध में लगता है कि कुछ भ्रम भी माननीय सदस्यों के मन में विद्यमान है। उद्देश्य और कारण में यह बात स्पष्ट की गयी है। उसमें लिखा है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया द्वारा उद्ग्रहीत पथ-कर और चुंगी पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाय और नगरपालिकाओं में उद्ग्रहीत पथकर ऐसी गाड़ियों पर से जो बिना माल उतारे केवल उनकी सीमा से गुजरें, समाप्त कर दिया जाय। इस निर्णय के परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिये यह भी निर्णय लिया गया कि मालकर और यात्रीकर की दरों में क्रमशः २ प्रतिशत और एक प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाय। तो मान्यवर, इन बैरियर्स से जो कर लगता था उससे ६ करोड़ की आय स्वायत्त सेवी संस्थाओं से होती थी। पिछले वर्ष के जो अनुभव थे उनके अनुसार ६ करोड़ की आय थी। इसकी पूर्ति तो करना ही है। इसलिये प्रयोग के तौर पर जो यात्रीकर लगेगा उससे अनुमानित आय एक करोड़ होगी, माल कर से २ करोड़ रुपये की आय होगी, इन्टर स्टेट बसों से प्रवेश शुल्क लगेगा और उससे ३ करोड़ रुपये की आय होगी। इस तरह ६ करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति टैक्स बढ़ाकर होगी। इससे केवल क्षतिपूर्ति होगी।

माननीय सत्यपाल सिंह यादव ने प्रश्न उठाया कि जो यात्री बैठे रहते थे, उनको रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने शायद इस बात को नजरन्दाज कर दिया कि जब बैरियर्स ही नहीं रहेंगे तो वह प्रश्न ही नहीं होता।

भ्रष्टाचार की भी चर्चा हुई। मैं इस सम्बन्ध में प्रदेश और देश के बहुत बड़े नेता श्री प्रकाश जी, जो बनारस के रहने वाले थे, केन्द्र के मन्त्री भी रहे, कई प्रदेशों में गवर्नर रह चुके हैं और पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके एक लेख की चर्चा करना चाहता हूं। उन्होंने जब अपने पद से अवकाश ग्रहण किया तो देहरादून के पास रहते थे--गोविन्द सिंह नेगी जी जानते होंगे। देहरादून से मंसूरी जाते हुए एक राजपुर जगह है। उनका एक लेख मैंने पढ़ा था भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो बहुत ही समीचीन प्रतीत होता है इस संदर्भ में कि उनके बारे में बताऊं। माननीय श्री सत्य प्रकाश जी मंसूरी जा रहे थे, देहरादून से। जब वे राजपुर पहुंचे तो देखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

कि बैरियर पर गाड़ियां रुकी हुयी हैं और जितनी भी गाड़ियां पास होती थीं, हर आदमी से एक/दो रुपया वसूल करते थे। माननीय श्री प्रकाश जी ने स्वयं देखा और जब उन्होंने भ्रष्टाचार पर एक लेख लिखा तो उसका भी बहुत अच्छे ढंग से चित्रण किया था। कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह सर्वविदित है लेकिन ये जो सारी प्रक्रियायें अपनायी जा रही हैं, इससे भ्रष्टाचार में जरूर कमी होगी क्योंकि १,४०० बैरियर्स समाप्त हो गये हैं। आप जान लें कि प्रत्येक बैरियर में जो रुकना पड़ता था, जो कमचारी हैं, के निश्चित रूप से रुपया वसूल करते थे। तो अब हमें आशा करनी चाहिये कि इससे कमी होगी।

एक शतरुद्ध प्रकाश जी ने ध्यान आकर्षित किया कि नगरपालिकाओं में भी इसको समाप्त होना चाहिये या जो नगरपालिकाओं में बैरियर रह जाते हैं उनको भी समाप्त होना चाहिये। तो जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, लोकतंत्र में जितने विभाग हैं और उनके सम्बन्ध में जो प्रक्रियायें हैं वे सभी प्रयोग के आधार पर चला करती हैं। अभी यह प्रथम चरण में प्रयास किया जा रहा है और नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया आदि में बैरियर्स समाप्त हो रहे हैं, तो यदि यह प्रयोग सफल रहा तो निश्चित रूप से नगरपालिकाओं में बैरियर्स समाप्त करने के बारे में शासन विचार करेगा।

और बहुत से सुझाव दिये गये। माननीय ऊदल जी ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुये एक शिकायत की ओर ध्यान आकर्षित किया और कल जब वह मुझसे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि शिकायत की किस अधिकारी से जांच करा लूं। परिवहन आयुक्त से जांच करा लूं। जब मैंने यह पूछा तो उन्होंने कहा कि करा लें। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय ऊदल जी को बताना चाहता हूं परिवहन आयुक्त उस विषय में जांच करेंगे और जांच की प्रक्रिया अपनाने के बाद जो भी कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

अब अंत में मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम लोग सभी आपकी बात मानते हैं तो आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर लें केवल इसलिये कि जितने भी आपके सुझाव हैं, उन पर पुनः बाद में विचार कर लेंगे। लेकिन अगर इसको सर्वसम्मति से पारित होने दें तो बहुत अच्छी परिपाटी हो जायेगी। इसलिये मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वह कृपया इसको वापस लें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से कृपया दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष--

(परिवहन मंत्री जी से) कृपया माननीय सदस्य के स्पष्टीकरण की बात सुन लें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है और जो उद्देश्य लिखे हैं उसमें एक स्थान पर लिखा है कि स्थानीय निकायों को

होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए माल कर और यात्री कर की दरें बढ़ा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इससे जो राजस्व की आमदनी होगी उसका वितरण किस प्रकार करेंगे। मैं जानता हूं, ऐसी नगरपालिका और नोटीफाइड व टाउन एरिया हैं जिनकी आमदनी का स्रोत केवल टोल टैक्स था। अब जब यह समाप्त हो जायगा तो उनकी कमर टूट जायगी। मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो आमदनी उनको होती थी उसी के अनुपात में आप इस पैसे का वितरण करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उद्देश्य और कारण में ही यह लिखा है कि क्षति पूर्ति की जायगी। यह निश्चित रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो जिसकी क्षति होगी उसी प्रकार से धन देने की व्यवस्था की जायगी।

श्री ऊदल--

एक स्पष्टीकरण मेरा भी है। क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं कि ट्रक वालों के सामने एक व्यवहारिक कठिनाई है। आपके यहां से साढ़े सात या ९ टन सामान ले जाने का परमिट मिलता है। लेकिन जो नये ट्रक्स आये हैं उनमें १२ से १५ टन तक सामान ले जाते हैं। जब आर० टी० ओ० चेकिंग करते हैं तो ओवर लोडिंग में उनका चालान कर देते हैं और जिनका-चालान नहीं करते उनसे सौ दो सौ रुपया ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि जो बाहर के प्रदेशों का परमिट मिलता है वह १५ दिन के लिए मिलता है तो क्या इस सीमा को भी महीने या दो महीने की करने पर विचार करेंगे चाहे उनसे कुछ पैसा अधिक ले लिया जाय ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

विचार कर लेंगे। बहुत विचार करना पड़ेगा। परिवहन विभाग का जब बजट आयेगा तब विचार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, पहले मैं एक स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहता हूं। हो सकता है उनके उत्तर के बाद मेरा मन डगमगा जाय। मैं जानना चाहता हूं कि ७३, ७४ ७५ में बस कंडक्टर्स और ड्राइवर्स निकाले गये थे जिनके मामले अभी विचाराधीन हैं। कुछ तो आर्बीट्रेरीली खत्म किये जा चुके हैं। उनकी लड़ाई चल रही थी। वह जेल में थे। माननीय मन्त्री जी के आने के बाद छूटे हैं। क्या उनके मामलों पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह विधेयक से सम्बन्धित नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

वह चीज अलग है। माननीय वर्मा जी कल या परसों मुझसे मिले थे। ५६ कर्मचारियों के बारे में उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित रूप से उनपर निर्णय ऐसा किया जायगा जिसमें आपको संतोष होगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री राम आसरे वर्मा को दोनों संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से दोनों संकल्प वापस हुए)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री राम आसरे वर्मा को प्रवर समिति में भेजने वाले संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९ पर विचार किया जाय।

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ से ६ तक, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९

संयुक्त प्रांत मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, १९३५, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, १९६४ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७९ कहा जायगा।

(२) धारा २ और ३ के उपबन्ध ६ अप्रैल, १९७९ को प्रवृत्त समझे जायेंगे, धारा ४ और ५ के उपबन्ध १ मई, १९७९ को प्रवृत्त समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या ५ सन् १९३५ की धारा ५ का संशोधन

२--संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, १९३५ की धारा ५ में उपधारा (१) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी कलेन्डर वर्ष से संबंधित किसी अवधि के संबंध में ऐसे कलेन्डर वर्ष में पन्द्रह जनवरी के पश्चात् किसी दिनांक से धारा ४ या प्रथम अनुसूची में किये गये किसी संशोधन द्वारा कर की दर बढ़ायी जाय या कर का नया दायित्व सृजित किया जाय, वहां धारा ४ या अनुसूची के, जैसी कि वह ऐसे संशोधन के पूर्व थी, उपबन्धों के अनुसार किसी अवधि के लिए देय कर की धनराशि और धारा ४ या अनुसूची के, जैसा कि वह ऐसे संशोधन के पश्चात् हो, उपबन्धों के अनुसार ऐसी अवधि के लिए देय कर की धनराशि के अन्तर का या, यथास्थिति, ऐसे नये दायित्व की धनराशि का, भुगतान, उस वर्ष के जिसमें ऐसा संशोधन प्रवृत्त हो, ठीक आगामी वर्ष के इकतीस मार्च को या उसके पूर्व किया जा सकता है।"

संक्रमण कालीन उपबन्ध

३—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, १९३५ के अधीन कर की दर उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, १९७८ द्वारा किये गये संशोधनों से बढ़ा दी गई है या कर का कोई ऐसा नया दायित्व सृजित किया गया है, वहां वर्ष १९७८ के संबंध में किसी अवधि के लिए, ऐसा संशोधन किये जाने के पूर्व और उसके पश्चात् देय कर की धनराशियों के अन्तर, या, यथास्थिति, ऐसे नये दायित्व की धनराशि का भुगतान तीस जून, १९७९ को या उसके पूर्व किया जा सकता है।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८ सन् १९६२ की धारा ३ का संशोधन

४—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३ में, उपधारा (२) में, शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १५, सन् १९६४ की धारा २ और ३ का संशोधन

५—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) अधिनियम, १९६४ में,—

(क) धारा २ में खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात :—

"(छ) 'सार्वजनिक माल वाहन' का तात्पर्य माल ले जाने के प्रयोग के लिए, पूर्णतः या अंशतः निर्मित या अनुकूलित किसी मोटर गाड़ी से है, या किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो लेकिन उसका प्रयोग किराये पर या पारितोषिक लेकर केवल माल या यात्रियों के साथ-साथ माल ले जाने के लिए किया जाय, और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मोटर कैब या ठेका गाड़ी या यात्री गाड़ी नहीं है जब ऐसी ठेका गाड़ी या यात्री गाड़ी को सीमित मात्रा में बोझ ढोने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

स्पष्टीकरण--'सीमित मात्रा में बोझ' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त द्वारा अवधारित सीमा से अनधिक बोझ की ऐसी मात्रा से है जिसे रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी किसी वाहन के संबंध में रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) धारा २ में खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात--

"(ट) 'जुड़वा गाड़ी', 'मोटर कैब', 'मोटर कार', 'मोटर गाड़ी', 'यात्री गाड़ी', 'ठेका गाड़ी', 'ट्रेलर' और 'अनुज्ञा-पत्र', के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में पद 'आरटीकुलेटेड वेहिकिल', 'मोटर कैब', मोटर कार', 'मोटर वेहिकिल,' 'स्टेज कैरेज', 'कन्ट्रेक्ट कैरेज', 'ट्रेलर' और 'परमिट' के लिए दिये गये हैं ;"

(ग) धारा ३ में, उपधारा (२) में अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात--

"और एक या एकाधिक संभाग के लिए अनुज्ञा-पत्र रखने वाले किसी सार्वजनिक माल वाहन में ले जाये जाने वाले माल के लिए विभिन्न दर की विज्ञप्ति की जा सकती है ।"

निरसन और अपवाद

६--(१) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर एवं माल-कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ एतद्-द्वारा निरसित किये जाते हैं । उ० प्र० अध्यादेश संख्या ७ सन् १९७९ और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ११ सन् १९७९

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित धारा २, ४ और ५ में निर्दिष्ट मूल अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित ऐसे मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ६, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत १२ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । उनमें से मैंने श्री बाबूराम शुक्ल व श्री मित्रसेन यादव और श्री नेम सिंह चौहान की सूचनाओं को कानपुर महानगर के निवासियों द्वारा २ मई, १९७९ को उस वाटर वर्क्स के दूषित जल का उपयोग किया जिसमें श्री दीन मोहम्मद के पुत्र का शव सड़ रहा था । उक्त स्थिति से कानपुर नगर निवासियों में व्याप्त क्षोभ एवं आक्रोश के संबंध में हैं, स्वीकार किया है और शेष सब को अस्वीकार किया है । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ७ तारीख को इसके बारे में अपना वक्तव्य देंगे ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट्स के अनशन के बारे में मैंने एक सूचना दी थी, आज ११वां दिन अनशन का है । म चाहता था कि उसके संबंध में भी आप सरकार को कह दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो आपका अस्वीकृत इस कारण हुआ था कि पहले भी यह विषय आ चुका है । यह विषय कल नियम ३०१ के अन्तर्गत आ चुका था इसलिए मैंने इसको अस्वीकार कर दिया ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैंने नियम ५१ में सूचना दी थी जो हमारे जिले में कताई मिल में गोलीकांड हुआ है....मान्यवर सुन तो लीजिए....

श्री उपाध्यक्ष--

फिर कल भेज दीजिएगा ।

नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

*स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पान्डेय)--

मान्यवर ...

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

इसे पढ़ा हुआ समझ लीजिए क्योंकि लम्बा वक्तव्य है ।

श्री उपाध्यक्ष--

(मंत्री जी से) इसका पहला पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ पढ़ दीजिए ।

श्री रामाधार पाण्डेय--

जहां तक वक्तव्य का सवाल है यह तो शायद वितरित भी हो गया है । मगर जिस हड़ताल के संबंध में वक्तव्य देना था उसके बाद भी आज बात हुई है वह मैं पढ़ दूं तो मामला साफ हो जायगा और कोई प्रश्न फिर नहीं रहेगा । प्रतिनिधियों से बात हुई ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी प्रतियां वितरित नहीं हुई हैं ।

श्री रामाधार पाण्डेय—

माननीय सदस्यों को यह बटी नहीं है । मान्यवर, वक्तव्य होने के बाद जो घटना हुई और जिसके फलस्वरूप हड़ताल खत्म हो गई है उसे मैं पढ़ देता हूं क्योंकि उससे यह जुड़ जायेगा और तमाम सूचनाएं उससे पूरी हो जायेगी ।

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष जी जो मैंने नियम ५१...

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जो जो वक्तव्य है इसका पहला और अंतिम पैराग्राफ पढ़ दें और उसके बाद जो बाद का वक्तव्य है उसे पढ़ दें ।

श्री रामाधार पाण्डेय—

१९७२–७३ में राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, अध्यापकों आदि के वेतनमानों पर विचार करने हेतु एक वेतन आयोग का गठन किया । वेतन आयोग ने राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के सम्बन्ध में अलग–अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उनकी संस्तुति के अनुसार स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनमान १–८–७२ से संशोधित कर दिये गये । इस समय उसी वेतन आयोग के द्वारा संस्तुत वेतनमान स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिये जा रहे है ।

[ ] १९७४ से १९७६ तक स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की ओर से अनेक मांग रखी गयी जिसमें मुख्य मांग यह थी कि वेतन आयोग के संस्तुतियों के कारण वेतन निर्धारण की जो प्रक्रिया निश्चित की गयी है उससे उन्हें हानि होती है । शासन ने इस मांग पर विचार किये और १९७६ में इस हानि को दूर करने के लिए आदेश जारी किये । इस सम्बन्ध में पुनः प्रत्यावेदन प्राप्त हुए और उस पर विचार करने के बाद वर्तमान शासन ने २८–१०–७८ को आदेश जारी करके वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में जो कमी रह गयी थी उसको भी दूर कर दिया ।

१९७६ के बाद स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की अनेक अनेक मांगें शासन के सम्मुख रखी गई । इन मांगों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(१) स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाना ।

(२) राज्य कर्मचारियों के समान मकान किराया भत्ता दिया जाना ।

(३) राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाना ।

(४) राज्य कर्मचारियों के समान नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाना ।

(५) राज्य कर्मचारियों के समान शिक्षा सुविधा दिया जाना ।

(६) राज्य कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधा दिया जाना ।

(७) स्थानीय निकायों के अन्य विभागों के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को हटाना ।

[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

(८) राज्य कर्मचारियों के समान अवकाश नगदीकरण की सुविधा दिया जाना ।

(९) राज्य कर्मचारियों के समान पर्वतीय भत्ता दिया जाना ।

(१०) राज्य कर्मचारियों के समान सीमान्त भत्ता दिया जाना ।

(११) वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी ।

(१२) जीवन निर्वाह निधि की सुरक्षा ।

(१३) आवास सुविधा ।

(१४) सीवर भत्ता ।

(१५) चुंगी कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा ।

(१६) सामूहिक बीमा योजना लागू किया जाना ।

(१७) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमन ।

(१८) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को दर पर मजदूरी देना ।

(१९) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमन ।

(२०) सीवर में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उपकरण देना ।

(२१) कर्मचारियों के विवादों को निपटारे हेतु ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिव कमेटी का गठन ।

(२२) अनिवार्य बचत योजना की समाप्ति ।

वर्तमान सरकार ने मद-१ की मांग को छोड़कर उक्त सभी मांगें मान ली हैं और ये सभी सुविधायें स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को अनुमन्य कर दी गई है । इन सुविधाओं के अनुमन्य करने के कारण १४ करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त व्ययभार पड़ रहा है ।

मद १ पर वर्णित मांग अर्थात स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया जा चुका है कि यह मांग मानना सम्भव नहीं है क्योंकि स्थानीय निकायें स्वशासी संस्थाएं होती हैं और उनके कर्मचारी इन्हीं निकायों के प्रशासनिक परिधि में रहते हैं । यदि इन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जायेगा तो स्थानीय निकायों का स्वशासी चरित्र समाप्त हो जायेगा जो जनतंत्र के विरुद्ध होगा ।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के मुख्यतः तीन संघ हैं :—

(१) पंच नगर महापालिका कर्मचारी संघ ।

(२) स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ ।

(३) उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ ।

[श्री रामाधार पान्डेय]

यद्यपि ये तीनों संघ शासन द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है परन्तु कर्मचारियों के कल्याण और सदभावना की वृष्टिकोण से शासन ने इन कर्मचारियों के संघों के प्रतिनिधियों से समय-समय पर वार्ता द्वारा इनकी कठिनाइयों को समझने और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया है । इस तरह की बातचीत १४ तथा १५ दिसम्बर, १९७७, १३ तथा १४ जनवरी, १९७८, १९ मई, १९७८, १२ फरवरी, १९७९, १६ अप्रैल, १९७९ तथा १८ अप्रैल, १९७९ को हुई ।

१४ तथा १५ दिसम्बर, १९७७ की बातचीत में उन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, अवकाश नकदीकरण की सुविधा, वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी, वेतनमान में राज्य कर्मचारियों से समानता तथा महंगाई भत्ते की किस्तें उन्हीं तिथियों से देने की मांग की, जिन तिथियों से राज्य कर्मचारियों को दी गई थी ।

इन मांगों में से मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता अवकाश नकदीकरण तथा वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग मान ली गई थी तथा उसके आदेश जारी कर दिये गये थे । राज्य कर्मचारियों के समान वेतनमान की समानता के प्रश्न पर यह निर्णय लिया गया था कि इस विषय में नया वेतन आयोग ही विचार कर सकता है ।

महंगाई भत्ते की इस समय कुल १५ किस्तें मिलती हैं । १ली से ५वीं किस्त तथा १०वीं से १५वीं किस्त स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को उन्हीं तिथियों से अनुमन्य है जिन तिथियों से राज्य कर्मचारियों को मिलती हैं । विवाद केवल ६ठीं से ९वीं किस्त का है । स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को तत्कालीन सरकार ने चार किस्तें १-१-७७ से की । जबकि राज्य कर्मचारियों को ये किस्तें क्रमशः १-४-७४, १-६-७४, १-७-७४ तथा १-३-७६ से दी गई थी । मंहगाई भत्ते की इन किस्तों को देने तथा देने में विलम्ब होने का उत्तरदायित्व तत्कालीन सरकार का था । अब यदि किस्तें पुरानी तिथियों से देना स्वीकार किया जाता है तो इस पर लगभग ६ करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा । इसलिए यह मांग अस्वीकार कर दी गई थी लेकिन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में जब-जब राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की किस्तें दी जायेगी तब-तब उन्हीं तिथियों से स्थानीय निकायो के कर्मचारियों को भी दी जायेगी । इस निर्णय का पालन हो रहा है । वर्तमान सरकार ने महंगाई भत्ते की १४वीं तथा १५वीं किस्तें उन्हीं तिथियों से स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को स्वीकृत की है जिन तिथियों से राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत है ।

१३ तथा १४ जनवरी, १९७८ को स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से पुनः बातचीत हुई जिसमें मुख्य मांगे रखी गयीं । उन मांगों और उन पर लिए गए निर्णय का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	मांग	विवरण
१	२	३
१	स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाना	अस्वीकृत ।
२	स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह समान वेतन देना	आर्थिक साधन और व्ययभार के प्रत्येक पहलू पर विचार करना होगा ।

१	२
३—राज्य कर्मचारियों के समान, अवकाश नकदीकरण, आवास, चिकित्सा, सीमान्त पर्वतीय भत्ता देना	सभी भत्ते दे दिये गये हैं ।
४—समस्त स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा देना	३१-३-७८ तक बनाये जायेंगे । वर्तमान स्थिति यह है कि केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को पेंशन नियमावली विज्ञप्ति कर दी गई है अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों को पेंशन नियमावली बनाई जा रही है
५—केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों के समान दर पर मंहगाई भत्ता दिया जाना	आदेश जारी हो चुके हैं ।
६—मंहगाई भत्ते की ६ठीं से ९वीं किस्त उन्हीं तिथियों से देना जिन तिथियों से राज्ग कर्मचारियों को अनुमन्य है ।	आर्थिक व्ययभार को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव नहीं है ।
७—जीवन निर्वाह निधि की सुरक्षा	आदेश जारी हो चुके हैं ।
८—स्थानीय निकायों का वर्गीकरण समाप्त किया जाय ।	यह सम्भव नहीं है ।
९—१२ तथा १३ अक्तूबर, १९७७ को स्वीकृत मांगे लागू की जांय	सभी मांगें लागू की जा चूकी है ।
१०—चुंगी कर्मचारियों की जीविका से खिलवाड़ न किया जाय	इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त न किए जाने के आदेश जारी हो चूके हैं ।
११—वेतन निर्धारण की क्षति दूर करना	आदेश जारी हो चुके हैं ।
१२—अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना	आदेश जारी हो चुके हैं । नियमावली बन रही है ।

१९ मई, १९७८ को पंच महापालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों के सम्बन्ध में विचार हुआ जिसमें वेंतन निर्धारण की क्षति, अवकाश नकदीकरण की सुविधा, पेंशन नियमावली, दैनिक वेंतनभोगी कर्मचारियों का नियमन, बकाये वेतन इत्यादि का भुगतान, ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिव कमेटी का गठन, कर्मचारियों से ८ घंटे ही कार्य लेना और अनुमन्य अवकाश ही देना, ई० एस० आई० स्कीम की समाप्ति, अवकाश सेवा के कर्मचारियों से मकान किराया भत्ता न लेने की मांगों पर बातचीत हुई । वेंतन निर्धारण की क्षति, अवकाश नकदीकरण की सुविधा, पेंशन नियम (केन्द्रीयित), बकाये का भुगतान, ज्वाइन्ट कन्सलटेटिव कमेटी का गठन, आठ घंटे दैनिक कार्य लेना, आवश्यक सेवा के कर्मचारियों से मकान किराया न लेने के आदेश जारी हो चुके हैं । ई० एस० आई० स्कीम की समाप्ति और दैनिक भोगी कर्मचारियों का नियमन हेतु पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है ।

[श्री रामाधार पाण्डेय—]

१६ अप्रैल, १९७९ को पंच महापालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से पुनः बातचीत हुई जिसमें निम्न निर्णय लिए गए :

(१) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण ६ सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय ।

(२) ज्वाइन्ट कन्सलटिव कमेटी के गठन की कार्यवाही २ महीने के अन्दर पूरी की जायेगी ।

(३) स्थानीय निकायों के जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के समान वेतन देन का निर्णय हो चुका है । उस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(४) महापालिकाओं एवं जल संस्थान के कर्मचारियों पर लागू ई०एस० आई० स्कीम समाप्त करने की कार्यवाही ६ सप्ताह से अन्दर पूरी की जायेगी ।

(५) दैनिक वेतन भोगी कमचारियों से इ० एस० आई० स्कीम की कटौती नहीं की जायेगी ।

(६) महापालिकाओं, विकास प्राधिकरणों तथा जल संस्थान के ४०० रुपये तक के अधिकतम वेतनमान वाले कर्मचारियों को जिला स्तर के राजकीय कर्मचारियों की दरों पर वेतनमान की समानता दी जायेगी तथा अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की वेतन की समानता पर आंकड़े एकत्रित करने के उपरान्त विचार कियां जायेगा ।

(७) वर्दी धुलाई भत्ता, झाड़, टोपी, मशक भत्ता तथा वेतन भत्ते में वृद्धि की जायेगी ।

(८) यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों से ८ घंटे से अधिक काय न लिया जाय और अनुमन्य अवकाश दिये जांय ।

(९) अन्य जो मांगे शेष रह गई है उन पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से पुनः बात चीत की जायेगी ।

१८ अप्रैल, १९७९ को स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों से बात हुई जिसमें निम्न निर्णय लिए गए :

क्रम सं०	मांग	निर्णय
	१	२
१	स्थानीय निकाय कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन क्रम प्रदान किया जाय	इस पर आवश्यक आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं तदुपरान्त विचार किया जायेगा
२	वर्दी धुलाई, झाड़ू, टोकरी, मशक, डोल भत्ते और ढोर भत्ता	में महसूस करता हूं कि इन भत्तों में वृद्धि होना चाहिए अतः जैसा आपके सामने विभाग को आदेश दिया है, कार्यवाही की जायेगी ।

१	२
३ तीन वर्षों से कायरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी किया जाय	तीन साल (प्रतिवर्ष में २४० दिन) से अधिक एण्ड पदों पर काय करने वाले कर्मचारियों को शीघ्रा-तिशीघ्र नियमित किया जायेगा
४ समस्त कर्मचारियों को दैनिक ८ घंटे ड्यूटी साप्ताहिक व अन्य देय अवकाश सुलभ कराने हेतु।	टोल, वाटर वर्क्स तथा फायर ब्रिग्रेड में काम करने वाले कर्मचारियों को यदि छुट्टी के दिन काम करना पड़ता है तो उन्हें सप्ताह में किसी दूसरे दिन अवकाश दिया जायेगा।

कर्मचारियों के दोनों संघों ने यह आश्वासन दिया था कि २०-४-१९७९ से प्रस्तावित हड़ताल पर वें नहीं जायेंगे लेकिन अपने आश्वासन का उन्होंने उल्लंघन किया है और उन्होंने हड़ताल कराने की पूरी कोशिश की है। यद्यपि लगभग ६५० स्थानीय निकायों में से केवल ३०-३२ स्थानीय निकायों में ही आंशिक हड़ताल चल रही है और जनता ने इस गैर कानूनी हड़ताल का सामना करने में पूरा उत्साह दिखाया है। मिर्जापुर, हल्द्वानी, देवबन्द, टांडा, अकबरपुर, मुबारकपुर, उहानी, बाराबंकी आदि जगहों में हड़ताल चल रही थी लेकिन वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करके काम पर वापस आगए हैं। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवायें अनिवार्य सेवायें घोषित की जा चुकी है और अनिवार्य सेवा अधिनियम के प्राविधानों के अधीन इनके द्वारा हड़ताल करना निषिद्ध है।

यह सर्वविदित है कि स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है उनकी कुल आय का लगभग ८० से ८७% तक केवल वेतन देने में व्यय हो रहा है। इन स्थानीय निकायों का कुल वेज बिल लगभग ३६ करोड़ रुपये का है जिस पर शासन को प्रतिवर्ष लगभग ९ करोड़ रुपया अंशदान देना पड़ता है। परिणाम-स्वरूप स्थानीय निकायों की आय का बहुत बड़ा भाग वेतन देने पर ही व्यय हो जाता है और पानी, बिजली, सड़कें, नालियां सीवर, सफाई आदि जैसी आवश्यक सुविधायें जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग ९२ हजार है। इसमें से लगभग ७० हजार सफाई कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन तथा अन्य सभी सुविधायें राज्य कर्मचारियों के समान दी जा रही है। सफाई कर्मचारियों की कोई भी महत्वपूर्ण मांग इस समय नहीं है और उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ चलने वाली हड़ताल में सम्मिलित नहीं है। इसी तरह से केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों जिनकी संख्या लगभग २५०० है, हड़ताल पर नहीं है। स्पष्ट है कि केवल लिपिक वर्ग के थोड़े से कर्मचारी जिन्हें हर प्रकार की सुविधायें प्रदान की जा चुकी है ये गैर कानूनी हड़ताल करा रहे हैं। ये कर्मचारी बार-बार राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने, बोनस देने, चिकित्सा सुविधा की जगह चिकित्सा भत्ता देने, शिक्षा सुविधा की जगह शिक्षा भत्ता देने, प्रबन्ध में भागीदार बनाने, दोहरा कार्य भत्ता दिये जाने, वेतन आयोग गठित करने, समयबद्ध वेतन क्रम निर्धारित करने, ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय का राष्ट्रीकरण करने, अनक्वालीफाइड कर्मचारियों को क्वाली-फाइड वेतनमान देने आदि की यह मांग कर रहे हैं। इन मांगों को मानना

[श्री रामाधार पाण्डेय]

सम्भव नहीं है क्योंकि इनमें से कोई सुविधा राज्य कर्मचारियों को भी उपलब्ध नहीं है ।]

२ मई, १९७८ को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से पुनः बातचीत हुई । उन्होंने बिना शर्त हड़ताल वापस ले ली है ।

पहली मई श्रमिक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने श्रमिकों के प्रति सहानुभूति का रुख अपनाते हुए स्वायत्त शासन के हड़ताली कर्मचारियों से अपील की कि वें जनहित में और नागरिकों की कठिनाइयों को देखते हुए तत्काल बिना शर्त हड़ताल वापस ले लें । श्रमिकों को स्वायत्त शासन मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि हड़ताल की समाप्ति के बाद किसी भी कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं किया जायगा । स्वायत्त शासन मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि पहले जो भी शर्तें हो चुकी हैं या जिन जिन मुद्दों पर शासन द्वारा किसी भी स्टेज पर निर्णय लिया गया है उसको शासन कार्यान्वित करेगा । मंत्री जी ने शासन की तरफ से यह भी आश्वासन दिया है कि वार्ता जिन मुद्दों पर बात अधूरी रह गयी थी हड़ताल समाप्त होने के बाद पुनः सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से समस्या के सुलझाने के लिए सदैव वार्ता के लिए तैयार रहेंगे ।

श्रमिकों के प्रतिनिधियों के निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने आज से हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की :

श्री कैलाश नाथ मेहरोत्रा, अध्यक्ष ।

श्री राम जी द्विवेदी, भूतपूर्व अध्यक्ष ।

श्रमिकों के प्रतिनिधियों की इस घोषणा के बाद कि हड़ताल वापस की जाती है, स्वायत्त शासन मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि हड़ताल की अवधि का वेतन जो भी बनेगा वह स्वायत्त शासी संस्थाओं द्वारा तत्काल कर्ज के रुप में कमचारियों को दे दिया जायेगा ताकि उनके ऊपर आर्थिक परेशानी न आवें तथा ऐसी दी हुई धनराशि आगे चलकर अर्जित अवकाश में समयोजित कर दी जायगी जिन कर्मचारियों ने अपने अर्जित अवकाश का उपभोग कर लिया है उनसे इस धन राशि के बदले आगे छुटिटयां में या ओवरटाइम के रूप में काम कराया जायेगा और इस प्रकार उनके कर्ज की धनराशि उसमें समायोजित कर दी जायेगी । यह धनराशि जो कर्ज के रूप में कमचारियों को दी जायेगी इसका देय वेतन बिल अलग से बनाया जायेगा ।

इसके बाद मान्यवर, हड़ताल आज खत्म हो चुकी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, पहले वक्तव्य के अंत में माननीय मंत्री जी लिखते हैं कि २ मई, १९७९ को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से पुनः बात चीत हुई । उन्होंने बिना हड़ताल वापस ले ली है । जो कि एंक्चुअली गलत है । क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कमचारियों को हड़ताल वापस लेने से पूर्व तीन

माननीय मंत्रियों के दस्तखतों से चार आश्वासन कर्मचारियों को दिये गए हैं ? यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं ?

श्री रामाधार पाण्डेय---

उनके प्रेसीडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों आदमी वहां थे । उनके १५ प्रतिनिधि और थे और चार विधायक कानपुर के वहां मौजूद थे । उनसे बातचीत हुई । न उन्होंने कोई शर्त रखी और न हमने रखी । वह भी चाहते थे हड़ताल टूटे और हम भी चाहते थे टूटे । हम यह भी चाहते थे कि उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो । पहले वक्तव्य में बतला चुका हूं कि उनकी चार मांगों को हमने पूरा किया है ५वीं के लिए बता दिया है कि बिना आंकड़ों के हम कुछ नहीं कर सकते । ४७ हजार कर्मचारियों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना होगा । बीच में गलतफहमी आ गयी थी इसलिए यह हड़ताल हो गयी । फिर भी दोनों तरफ से यह प्रयास होता रहा कि हड़ताल को सही तरीके से खत्म किया जाय जिसका परिणाम यह हुआ कि बड़े सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हड़ताल खत्म हो गयी । कल बहुत सी बातें उनसे करनी हैं । मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूं । मैं इतना आश्वासन देता हूं कि मेरे जरिये शासन की परिधि व कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हमेशा गरीब लोगों का हित ही होगा ।

श्री ऊदल--

हड़ताल के दौरान बहुत से कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, कुछ को जेलों में भेजा गया, उनके बारे में मंत्री जी ने क्या फैसला किया, क्या उनको नौकरी पर बहाल कर दिया जायेगा ?

श्री रामाधार पान्डेय---

कोई भी कर्मचारी जो स्थायी है उसे निकाला नहीं गया था । कुछ लोगों का सस्पेंशन हुआ था । लेकिन यह मैंने आश्वासन दे दिया है कि उनके खिलाफ मेरा कोई इरादा कार्यवाही करने का नहीं है । कुछ लोग डेली वेंजेज पर थे खास तौर से सफाई मजदूर जो एवजों में डेली वेंजेज पर रख लिए जाते हैं उन के लिए कोई नियम लागू नहीं होता है उनको भी आगे एम्पलायमेंट से डिबार नहीं किया जायेगा । कुछ लोग सीतापुर, रायबरेली और कानपुर में गिरफ्तार किया गया था, आज ही उनके लिए आदेश जा चुके हैं कि उनको पर्सनल बांड पर छोड़ दिया जाय और मुकदमे की प्रक्रिया अपनी होती है चाहे मुकदमा वापस ही क्यों न लिया जाय, उस पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता । उस पर प्रक्रिया नहीं होगी कि उनको जल्दी से छोड़ दिया जाय और कोई कार्यवाही न की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है । उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कोई शर्त नहीं रखी गयी । १९७६ में उनका एक मांग पत्र शासन के सामने आया था एक को छोड़ कर शासन ने बाकी सब स्वीकार कर ली थी कई बार ऐसे समझौते हुए हैं इसी तरह १८ अप्रैल को भी समझौता हो गया जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की ओर से कुछ मांगों को शासन के सामने रखा गया था शासन की ओर से आज बातें हुई है उस हड़ताल के संदर्भ में तो जो मांग पत्र शासन को मिला था उस पर उन प्रतिनिधियों के सामने शासन की ओर से क्या अभिमत रखा गया ?

[श्री रामाधार पान्डेय--]

कुछ समझने में भूल हो गयी थी और उसका विवरण पेज ५ पर दिया गया है आखिरी १८ तारीख को जो वार्ता हुई थी उसमें दो खास मुद्दे मान लिए गए थे जिनमें ये सब बातें कवर हो जाती हैं कि जो भी मांगे शासन के सामने रही हैं चाहे एमरजेंसी का शासन हो अथवा उसके पहले का शासन रहा हो हम सब उनको एक्जामिन कराकर छांट लेंगे और अगर वह कार्यान्वित नहीं कराया गया है तो कार्यान्वित करायेंगे । कुछ शर्तें ऐसी थीं जिनको दो महीने की अवधि दी गई थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह सही बात है कि शासन सबल है और वें निर्बल हैं और इसी वजह से उन्होंने हड़ताल वापस कर दी । मान्यवर, हड़ताल इस बात पर प्रारम्भ हुई थी कि सरकार ने जितने आश्वासन दिए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ था । मान्यवर, अगर आप मुझे थोड़ा छूट देंगे तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सन् १९६६ में ३ बार यह कहा गया था कि इन कमचारियों को राज्य सरकार के कमचारियों के समान मंहगाई भत्ता दिया जायेगा । उसके उपरान्त समय-समय पर १-४-७४, १-३-७६, १-१२-७६ को कहा गया कि उनको यही मंहगाई भत्ता दिया जायेगा किन्तु नहीं दिया गया । उनको यह १-१२-७६ से यह मंहगाई भत्ता देय है । तो माननीय मंत्री जी उस देय मंहगाई भत्ते को कब तक इन कमचारियों को दिला देंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

माननीय सदस्य को कुछ भ्रम सा है । क्योंकि हमने साफ कह दिया है कि ८० फीसदी उनकी मांगों को कार्यान्वित कर दिया है । एक दो शर्तें ऐसी हैं जो टेक्नीकल हैं उनकी छानबीन करके उनपर विचार करेंगे । हम इन मांगों के सम्बन्ध में उनके साथ बैठेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप हमारे हितों के संरक्षक हैं । यह बात सही है कि आप माननीय मंत्री जी को मजबूर नहीं कर सकते हैं लेकिन आप निदेश उन्हें अवश्य दे सकते हैं । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी यह बतायें कि जो ४ मंहगाई भत्ते की किस्तें इन कर्मचारियों को देय हैं वह कब तक उन्हें दी जायेंगी ? मैंने अवधि चाही है ।

श्री रामाधार पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं माननीय सदस्य को अपनी बात समझा न सका । मगर जिस सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हमारी बातें इन लोगों के साथ हुई हैं यह कोई छिपी हुई बात नहीं है और कम से कम जब से मैं आया हूं तब से ऐसी बात हुई हैं । जो गलतफहमी हुई है वह यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं, सामाजिक हैं किन्तु वें काम राजनीतिक ही करते हैं और इसके पीछे एक संगठन का हाथ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप हमारे हितों की रक्षा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है । आप प्रश्न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उत्तेजना इस लिए आती है कि जो कहा जाता है पूछा जाता है, उसे नहीं बता रहे हैं । जो चार किस्ते उन कर्मचारियों को देय हैं उनको देने की बात है । मैंने अवधि जाननी चाही है । इन [xx] बातों से क्या मतलब....

श्री उपाध्यक्ष--

यह [×××] शब्द में निकाल देता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप अपनी कमजोरियों को अपनी अनुभवहीनता को और गैरजिम्मेदारी को छिपाना चाहते हैं, मैं इसकी घोर-घोर निन्दा करता हूं । मान्यवर, मेरा सीधा सवाल था कि ४ मंहगाई की किस्तें जिनमें कोई हिसाब की जरूरत नहीं है, आंकड़े साफ हैं, उनको न देने का क्या कारण है, कब तक आप यह किस्तें उन्हें दे देंगे ? इसका उत्तर न देकर घुमा फिराकर आप अपने पद का दुरूपयोग करके कहते हैं कि मैं समझ नहीं रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप यह स्पष्ट कर दें कि जो ४ मंहगाई की किस्ते हैं उनको कब तक दे देंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

मान्यवर, जो समझौता हुआ महंगाई भत्ते का वह श्रमिकों और कर्मचारियों को दिया जा रहा है । कुछ लोग जो नए मजदूरों के हिमायती हो गए हैं उनका कहना है कि १९७२ से १९७४ तक का एरियर भी दिया जाय । इसके ऊपर कोई समझौता नही हुआ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा जवाब नहीं आ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले पूरा जवाब आने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना देना चाहता हूं । इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि १९७६ के बाद स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाना स्वीकार किया गया है । और उसके बाद यह कहते हैं कि हम देने के लिये बाध्य नहीं हैं (व्यवधान)

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी को इसका उत्तर देने दें ।

श्री रामाधार पाण्डेय--

१९७६ में जो समझौता हुआ मैंने कई बार यह बात बताने की कोशिश की कि जब से समझौता हुआ तब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है । अगर उसके पहले की बात वह उठाते हैं तो उसपर मैंने एक्सप्लेन किया कि आर्थिक परिस्थितियां सामने हैं क्योंकि १९७२ से शासन ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया और हमारा समझौता १९७६ में हुआ और तब से देना शुरू कर दिया । एरियर की जो बात करते ह उसमें कल भी मेरी बात हुई जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उसमें हमें माफ करें क्योंकि उसे हम नहीं दे पायेंगे क्योंकि ८ करोड़ का कर्जा इनपर है उसमें और जुड़ जायेगा । मगर कुछ लोग फिर उसे उठाना चाहते हैं ।

श्री शतरूद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि चूंकि हड़ताल खत्म हो गई एक राहत की सांस लोगों ने ले ली है । लेकिन जो कर्मचारी जेलों में बन्द हैं उनको छोड़ दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि बिना शर्त हड़ताल खत्म करा दी । मंत्री जी ने खुद कहा है कि बिना शर्त हड़ताल खत्म हो गई। इसी बीच उन्होंने कई बार जिक्र किया कि मेरे आने के बाद, तो मतलब तो शासन की नीतियों से है माननीय मंत्री जी से अकेले मतलब नहीं है । मेरी मजदूर नेताओं से कल बातचीत हुई उन्होंने बताया कि हड़ताल इसलिए करनी पड़ी कि सरकार ने जो १४ जनवरी, १९७८ को सरकार और मजदूर नेताओं के बीच समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया । मैं मंत्री जी से केवल एक आश्वासन चाहता हूं कि १४ जनवरी, १९७८ के समझौते को पूरी तरह से लागू करेंगे या नहीं ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

यह सवालों में आ चुका है कि १४ जनवरी, १९७८ को कोई समझौता नहीं हुआ था बल्कि फरवरी, १९७८ और १९७९ में बातें हुई । जिस समझौते का वह जिक्र कर रहे हैं ऐसा कोई समझौता कहीं मुझे नहीं मिला । मेरी अधिकारियों के सामने उनको बुला कर बातें हुईं । १४ जनवरी, १९७८ को कोई समझौता लिखित या जबानी या प्रोसीडिंग में हुआ है, नहीं मिला । इसलिए जो भी समझौता हुआ वह फरवरी में हुआ । फरवरी के समझौते की मान्यतायें जो पूरी होनी थी उस वक्त हो गई थी । एक चीज रह गई थी, जो रेगुलराइजेशन के संबंध में थी जो २४० दिन काम करने वालों के बारे में थी उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी । हमने आश्वासन दिया था १८ तारीख को कि २ महीने में पूरा कर लेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यह जो जल संस्थान बने हैं उनके कर्मचारी भी स्वायत्तशासन के अंतर्गत आते हैं उनके वेतनमानों में भी विषमतायें हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो पहले वरकर के रूप में काम करते थे उनके कुछ और वेतनमान हैं और कुछ एल० एस० जी० से आये हैं, कुछ इस समय के हैं। तो तीन कैटगरीज जल संस्थान में चल रही हैं। काम समान है लेकिन उनका वेतनमान समान नहीं है, मिसाल के तौर पर आप गढ़वाल जल संस्थान लीजिए.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह जल संस्थान के कर्मचारियों से सम्बन्धित नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

नहीं है,। वे भी स्वयात्तशासी कर्मचारी हैं। तो जल संस्थानों से सम्बन्धित जो कर्मचारी हैं, क्या उनके भी वेतनमान समान करने की आप कृपा करेंगे ?

श्री रामाधार पान्डेय--

दो यूनियनों से हमारा समझौता हुआ था। पहली यूनियन पंच नगर महापालिका कर्मचारी संघ, जिन्होंने हड़ताल भी की थी, उनसे तो वेतनमान पर भी समझौता हो गया था कि ४ सौ रुपया तक वेतन पाने वाले जो इनमें कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह जिला स्तर के राज्य कर्मचारियों के समान होगी। उसमें यह भी किया गया था कि जल संस्थान कर्मचारियों पर भी वह लागू होगा। ये जल संस्थान भी पांचों महानगरों में और तीन अन्य स्थानों पर कुल ८ स्थानों पर ही हैं।

श्री मन्जूर अहमद--

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ ऐसे संगठन भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने को राजनैतिक नहीं कहते हैं, सामाजिक कहते हैं, किन्तु काम राजनीति का पूरा करते हैं, उनका इस हड़ताल के पीछे पूरा हाथ रहा है, तो वह कृपया इस सदन को अवगत कराने का कष्ट करें कि वे कौन हैं, जो प्रदेश में हड़ताल करा कर आम जिन्दगी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रदेश में गंदगी फैला रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं, इस प्रश्न का उत्तर आप इनसे दिलवा दीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

यदि ऐसा कोई संगठन है तो उसे हम लोगों को मालूम हो जाना चाहिये, ताकि हम भी अपनी जगह होशियार रह सकें। मंत्री जी को मालूम है, हमें भी मालूम होना चाहिये, इस सदन को मालूम होना चाहिये।

श्री उप ध्यक्ष--

लेकिन मैं इसको अनावश्यक समझता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आरिफ साहब क्यों परेशान हो रहे है, जिनको समझना चाहिये, वह समझ रहे हैं ।

गढ़वाल और कुमायूं के जो दो जल संस्थान हैं, क्या उनमें भी वह यह आदेश लागू करेंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

यह इसमें विषय नहीं था । लेकिन मैं बता दूं उनका यह कहना था कि पंच महानगरों से सम्बन्धित जो जल संस्थान या जल निगम के कर्मचारी हैं, उनको भी समान वेतनमान दिया जाए । जल संस्थान के जो लोग हैं, जल निगम से हो गये हैं और जो महापालिका के जल आपूर्ति विभाग में थे, वे वहां पर ले लिये गये हैं । तो करीब-करीब पैरिटी आफ पे उच्च स्तर पर हो गई है । किन्तु नीचे के स्तर पर कहीं-कहीं डिस्पैरिटी है । जल संस्थान ८ बन तो गये ह, लेकिन उनका कोई अभी सुपर स्ट्रक्चर ढांचा नहीं बना है । कोशिश यह की जा रही है कि वह सब समान पे रियलाइज करें, उनमें एक यूनिफार्मिटी आ जाए । इस बारे में और अधिक जो सदस्य जानना चाहेंगे, मुझसे जानकारी पूरी ले लेंगे, मैं उन्हें बता दूंगा ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

माननीय मंत्री जी ने पृष्ठ ३ पर अंकित एक मांग के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया है, मैं उसी संबंध में उनसे और अधिक स्पष्ट करने का आग्रह कर रहा हूं । जिसमें उन्होंने कहा है--समस्त स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन सुविधा देना । उसमें आपने कहा है, ३१-३-७८ तक बनाये ज" ।। वर्तमान स्थिति यह है कि केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों की पेंशन नियमावली विज्ञापित करा दी गयी है । एक प्रश्न यह है कि यह नियमावली विज्ञापित कर दी गई है, केन्द्रीय कर्मचारियों को पेंशन कब से देना प्रारम्भ कर देंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों की पेंशन नियमावली जो बना रहें हैं वह कब तक पूरी हो जायगी और अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को भी पेंशन मिलने लगेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

इससे इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

आपने जवाब दिया है कि सेंट्रालाइज्ड सर्विसेज हैं उनकी नियमावली बन गयी है ।

श्री रामाधार पाण्डेय--

मान्यवर, बहुत प्रत्यक्ष है जो पेज तीन पर तालिका दी गई है, एक तिथि को जो वार्ता का विषय था, जो निर्णय लिये गये थे उससे सम्बन्ध रखती है। जनवरी में यह तय हुआ कि ३१ मार्च, १९७८ तक नियम बना दिये जायेंगे। यह नहीं है कि आज मैंने फैसला किया कि नियम बना दिये जायेंगे सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज की नियमावली रेडी हो चुकी है, स्क्रूटनी में है, पब्लीकेशन के लिए दो एक दिन के अन्दर जाने वाली है। उस नियमावली को हम नान-सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज के लिए मान लेंगे। यह हमने ऐलान नहीं किया, जो ४० (चालीस) मांगों का विषय था, उसमें है। अगली वार्ता में उनके समक्ष आ जायेगा, नियम बन मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं। कल ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ
३ मई १९७९

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३८ (२) के तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७२ पर)

"सूची"

वर्ष १९७७ तथा १९७८ में प्राप्त किए गए पाम आयल के नमूनों का विवरण ।

क्रम-संख्या	स्थान का नाम	निर्माता अथवा विक्रेता का नाम जिसके यहां से नमूना प्राप्त किया गया	नमूना प्राप्त करने की तिथि	नमूने की जांच का परिणाम
१	२	३	४	५
		१९७७		
१	आगरा (१)	भगवान दास पुत्र दीन मल, पार्टनर, मेसर्स टीकम चन्द ऐन्ड ब्रदर्स	१२-८-७७	विशुद्ध
	(२)	मंगी लाल अग्रवाल, मैनेजर, मेसर्स नत्थी लाल ऐन्ड सन्स, दाल मिल	२६-८-७७	विशुद्ध
	(३)	तद्देव	२६-८-७७	अशुद्ध
	(४)	राम भरोसेलाल पुत्र राम प्रसाद	९-९-७७	अशुद्ध
	(५)	महेश चन्द्र पुत्र लक्ष्मी नारायन, मेसर्स प्रीमियर बिजीटेबुल प्रोडक्ट्स	१५-९-७७	अशुद्ध
	(६)	तदेव	१५-९-७७	विशुद्ध
	(७)	अनवार मियां पुत्र बशीर अहमद	१-१०-७७	अशुद्ध
	(८)	अशोक कुमार मेसर्स राम स्वरूप अशोक कुमार	२९-११-७७	विशुद्ध
	(९)	शम्भू नाथ पार्टनर सर्स शम्भूनाथ महेश चन्द	२९-११-७७	अशुद्ध
	(१०)	बाबू लाल पुत्र छगनपाल	७-१२-७७	विशुद्ध
	(११)	दीदार बख्श पुत्र मीरबख्श	२२-१२-७७	विशुद्ध
	(१२)	जोद्धाराम पुत्र ककनमल	२४-१२-७७	विशुद्ध
	(१३)	श्री नाथ पुत्र सुन्दर लाल	२७-१२-७७	अशुद्ध
२	कानपुर (१)	आनन्द स्वरूप मालिक मेसर्स राम बाबू आनन्द स्वरूप	१४-९-७७	विशुद्ध
	(२)	खद्दूमल पुत्र देव मल	२४-१२-७७	विशुद्ध

१	२	३	४	५
३	गाजियाबाद	(१) कुन्दन लाल पुत्र ठाकुर दास	१७–११–७७	अशुद्ध
		(२) बुबकी मल पुत्र शिवचरन मेसर्स राधे श्याम प्रकाश चन्द्र	११–१२–७७	विशुद्ध

१९७८

१	आगरा	(१) दौलत राम पुत्र केवल राम	२७–२–७८	विशुद्ध
		(२) ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र राम प्रसाद गुप्ता	३०–३–७८	अशुद्ध
		(३) लेखराज पुत्र ज्ञान चन्द मेसर्स अशोक ब्रदर्स	३१–३–७८	अशुद्ध
		(४) चन्द्रभान पुत्र तेजभान	२९–५–७८	अशुद्ध
		(५) चुन्नी लाल पुत्र दरयाई लाल	३१–५–७८	अशुद्ध
		(६) अशोक कुमार पुत्र तपन्न दास	३०–५–७८	अशुद्ध
		(७) रईसउद्दीन पुत्र मुन्ना	३०–५–७८	अशुद्ध
		(८) भगवती लालबेंट एक्सट्रेक्शन	१५–७–७८	अशुद्ध
२	गाजियाबाद	(१) जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड	१८–१–७८	विशुद्ध
		(२) जे० पी० चतुर्वेदी, मैनेजर, जैन शुद्ध वनस्पति	९–२–७८	विशुद्ध
		(३) तदेव	१३–२–७८	विशुद्ध
		(४) तदेव	१४–४–७८	विशुद्ध
		(५) तदेव	३०–३–७८	विशुद्ध
		(६) तदेव	१–४–७८	टूटा हुआ।
		(७) तदेव	२४–५–७८	विशुद्ध
		(८) तदेव	५–५–७८	विशुद्ध
		(९) तदेव	१–४–७८	विशुद्ध
		(१०) एस० डी० गुप्ता, चीफ केमिस्ट, मोदी वनस्पति लिमिटेड	११–५–७८	विशुद्ध
		(११) जे० पी० चतुर्वेदी, मैनेजर, जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड	१–६–७८	विशुद्ध
		(१२) तदेव	२१–१२–७८	विशुद्ध
		(१३) तदेव	१४–४–७८	विशुद्ध

पी० एस० ब० पो०—६४ वि० सभा—६–१०–७९—८३५—(पी० डी०)